लोक-सभा बाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd LOK SABHA DEBATES

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

Third Series

खण्ड २८, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXVIII, 1964/1886 (Saka)

[२१ मार्च से २ अप्रैल, १९६४/१ चैत्र से १३ चैत्र, १८८६ (शक)]

[March 21 to April 2, 1964/Chaitra 1 to 13, 1886 (Saka)]

Preservation Unit
Fumigated
On 14.12.87
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८५-८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1885-86 (Saka)

(खण्ड २८ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

(Vol. XXVIII contains Nos. 31 to 40)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SHABA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय-सूची

अंक ३४—बुधवार, २५ मार्च, १९६४/५ चैत्र, १८८६ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२६११—३४
*तारांकित प्रश्न संख्या		
७३४	तकनीकी अध्यापकों का केन्द्रीय 'पूल'	२६११—१३
७३५	राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय सम्मेलन	२६१३—१६
७३७	तकनीकी शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी	२६१६—१८
७३८	गंगानगर में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई	२६१८—२०
७३९	मुख्य मंत्रियों की बैठक	२६२०—२४
७४०	उर्वरकों का उत्पादन	२६२४—२६
७४१	तेल समवायों का रुपया समवायों में बदला जाना	२६२६—२७
७४२	शिक्षा मंत्रालय	२६२७—२८
७४३	निरक्षरता को समाप्त करना	२६२८—३२
७४५	व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ८७-ख	२६३२
७४६	जम्मू तथा काश्मीर	२६३२—३४
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२६३५—६०
तारांकित प्रश्न संख्या		
७३६	विज्ञान मंदिर	२६३५
७४४	जम्मू में विस्फोट	२६३५
७४७	अम्बाला जेल में एक संसद्-सदस्य के साथ दुर्व्यवहार	२६३६
७४८	ओटावा में राष्ट्रमंडल शिक्षा सम्मेलन	२६३६
७४९	राष्ट्रीय प्रयोगशालायें	२६३७
७५०	भारतीय वैज्ञानिकों के आविष्कार	२६३७
७५१	राजद्रोह के लिए प्राणदण्ड	२६३७
७५३	हजरतबल के पवित्र अवशेष की चोरी का मामला	२६३८
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४९२	विश्वविद्यालयों को अनुदान	२६३८

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 34—Wednesday, March 25, 1964/Chairman 5, 1886 (Saka)

	SUBJECT	PAGE
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—		2611—34
*Starred Question Nos.		
734	Central Pool of Technical Teachers . . .	2611—13
735	Commonwealth Universities Conference . .	2613—16
737	Students receiving Technical Education . . .	2616—18
738	Archaeological Excavations in Ganganagar . .	2618—20
739	Meeting of Chief Ministers	2620—24
740	Production of Fertilisers	2624—26
741	Conversion of Oil Companies into Rupee Companies	2626–27
742	Ministry of Education	2627–28
743	Ending Illiteracy	2628—32
745	Sec. 87-B of C.P.C.	2632
746	Jammu and Kashmir	2632—34
WRITTEN ANSWERS QUESTIONS—		2635—60
Starred Question Nos.		
736	Vijnan Mandirs	2635
744	Explosion in Jammu	2635
747	Maltreatment of an M.P. in Ambala Jail . .	2636
748	Commonwealth Education Conference in Ottawa .	2636
749	National Laboratories	2637
750	Inventions of Indian Scientists . . .	2637
751	Death Penalty for Treason	2637
753	Hazratbal Relic Theft Case	2638
Unstarred Question Nos.		
1492	Grants to Universities	2638

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों क लिखित उत्तर—जारी		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४९३	अध्यापकों के लिए आदर्श सेवा नियम . . .	२६३९
१४९४	जन्म तथा मृत्यु की सांख्यिकी के सम्बन्ध में विधान .	२६३९
१४९५	सैलम में विश्वविद्यालय . .	२६३९
१४९६	स्कूलों तथा कालिजों में आडिटोरियम . . .	२६४०
१४९७	उड़ीसा में निरधिसूचित आदिम जातियों का कल्याण .	२६४०–४१
१४९८	उड़ीसा में योग्यता छात्रवृत्तियां . .	२६४१
१४९९	उड़ीसा में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत .	२६४१
१५००	उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा . . .	२६४१–४२
१५०१	सीमा क्षेत्रों का सर्वेक्षण	२६४२
१५०२	विस्थापित व्यक्तियों के लिये आयु सम्बन्धी रियायतें .	२६४३
१५०३	खम्भात की खाड़ी का सर्वेक्षण . . .	२६४३
१५०४	अखिल भारतीय संयुक्त स्कूल संगठन . .	२६४३
१५०५	श्रव्य–दृश्य शिक्षा समिति .	२६४४
१५०६	मद्रास के निकट उर्वरक कारखाना .	२६४५
१५०७	पुंछ क्षेत्र में तेल	२६४५
१५०८	कथित जासूस पर मुकदमा	२६४५
१५०९	उर्वरक कारखाने .	२६४६
१५१०	उर्वरक उद्योग का विकास	२६४६
१५११	ड्रिलिंग रिग . .	२६४६–४७
१५१२	दिल्ली में क्रीड़ा ग्राम .	२६४७
१५१३	तकनीकी शिक्षा की आलोचना .	२६४७–४८
१५१४	उत्तर प्रदेश के गंगा बेसिन क्षेत्र में तेल	२६४८
१५१५	दिल्ली में तरंग-ताल . .	२६४८
१५१६	राजस्थान में उर्वरक के कारखाने .	२६४८–४९
१५१७	संघ राज्य-क्षेत्र . .	२६४९
१५१८	मनीपुर में सतर्कता समिति . .	२६४९
१५१९	नई दिल्ली में नेशनल थियेटर . .	२६४९–५०
१५२०	कुतब मीनार .	२६५०
१५२१	स्टेडियम . .	२६५०–५१

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

Unstarred Question No.	SUBJECT	PAGE
1493	Model Service Rules for Teachers	2639
1494	Legislation on Statistics on Births and Deaths .	2639
1495	University at Salem	2639
1496	Auditoria in Orissa Schools and Colleges . .	2640
1497	Welfare of Denotified Tribes, in Orissa . . .	2640–41
1498	Merit Scholarships in Orissa	2641
1499	Consumption of Petroleum Products in Orissa .	2641
1500	Primary Education in U.P.	2641–42
1501	Survey of Border Areas . .	2642
1502	Age Concession for D.Ps.	2643
1503	Survey of Gulf of Cambay	2643
1504	All India United Schools Organisation . . .	2643
1505	Audio-Visual Education Committee . . .	2644
1506	Fertilizer Factory near Madras	2645
1507	Oil in Poonch Area	2645
1508	Tribal of an Alleged Spy	2645
1509	Fertilizer Factories	2646
1510	Development of Fertilizer Industry . . .	2646
1511	Drilling Rigs	2646–47
1512	Sports Village in Delhi	2647
1513	Criticism of Technical Education	2647–48
1514	Oil in Ganga Basin Area of U.P.	2648
1515	Swimming Pools in Delhi	2648
1516	Fertilizer Factories in Rajasthan	2648–49
1517	Union Territories	2649
1518	Vigilance Committee in Manipur	2649
1519	National Theatre in New Delhi	2649–50
1520	Qutab Minar	2650
1521	Stadia	2650–51

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१५२२	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बायोकैमिस्ट्री एण्ड एक्सपेरिमेंटल मैडिसन	२६५१
१५२३	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बायोकैमिस्ट्री एण्ड एक्सपेरिमेंटल मेडिसन की 'एनल्स' पत्रिका .	२६५१–५२
१५२४	रूस के शिक्षा मंत्री का दौरा .	२६५२
१५२५	सिन्धु पुनर्वास निगम .	२६५२–५३
१५२६	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार	२६५३
१५२७	अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह	२६५३
१५२८	प्रतिबद्ध छुट्टियां .	२६५३–५४
१५२९	श्री आर० पी० कपूर की मुअत्तिली	२६५४
१५३०	हैदराबाद में प्रादेशिक प्रौद्योगिकी संस्था . .	२६५४
१५३१	उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय छात्रसेना दल के चान्दमारी क्षेत्र .	२६५४
१५३२	अखिल भारतीय शिक्षक संघ	२६५५
१५३३	वयस्क अंधों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र	२६५५
१५३४	रिहायशी स्कूलों को अनुदान	२६५६
१५३५	भारतीय सांख्यिकीय सेवा .	२६५६
१५३६	लड़कों और लड़कियों के लिए पोलीटेकनीक	२६५६–५७
१५३७	दिल्ली में आग की दुर्घटना	२६५७–५८
१५३८	दास आयोग	२६५८
१५३९	बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम . . .	२६५८–५९
१५४०	दावकी चौकी	२६५९
१५४१	असैनिक और ग्रामीण इंजीनियरिंग डिप्लोमा .	२६५९
१५४२	दिल्ली में निःशुल्क शिक्षा . . .	२६६०
स्थगन प्रस्तावों और ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में . .		२६६०–६१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना .		२६६१–६२, २६८६––८८
(१)	पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले हिन्दू आदिम जातीय शरणार्थी .	२६६१–६२
	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	२६६१
	श्री मेहरचन्द खन्ना .	२६६१–६२
(२)	न्याय प्रशासन में पुनर्वास मंत्रालय के हस्तक्षेप के बारे में पंजाब उच्च न्यायालय का निर्णय . .	२६८६––८८
	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती . .	२६८६

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

Unstarred Question No.	SUBJECT	PAGE
1522	Indian Institute of Bio-Chemistry and Experimental Medicine.	2651
1523	"Annals" of Indian Institute of Bio-Chemistry and Experimental Medicine	2651–52
1524	Visit of Soviet Education Minister . . .	2652
1525	Sindhu Resettlement Corporation	2652–53
1526	Central Government Employees Consumer Co-operative Store	2653
1527	Andaman and Nicobar Islands	2653
1528	Restricted Holidays	2653–54
1529	Suspension of Shri R. P. Kapur	2654
1530	Regional Institute of Technology in Hyderabad .	2654
1531	N.C.C. Shooting Ranges in U.P.	2654
1532	All India Teachers' Federation	2655
1533	Training Centre for Adult Blind	2655
1534	Grants to Residential Schools	2656
1535	Indian Statistical Service	2656
1536	Polytechnics for Boys and Girls .	2656–57
1537	Fire Accident in Delhi . . .	2657–58
1538	Das Commission	2658
1539	Syllabus for Basic Education . . .	2658–59
1540	Dawki Outpost	2659
1541	Civil and Rural Engineering Diploma . . .	2659
1542	Free Education in Delhi . . .	2660

Wednesday, March 25, 1964/Chaitra 5, 1886 (Saka)

Re : Adjournment Motions and Calling Attention Notices . 2660–61

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance 2661–62 2686—88

(1) Hindu refugees from East Pakistan

Shrimati Renu Chakravartty 2661

Shri Mehr Chand Khanna 2661–62

(2) Judgement of Punjab High Court *re* : Rehabilitation Ministry's interference in administration of Justice . . . 2686—88

Shrimati Renu Chakravartty 2686

विषय	पृष्ठ
श्री मेहरचन्द खन्ना	२६८६—८८
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में	२६६२
सभा पटल पर रखा गया पत्र	२६६२—६३
लोक लेखा समिति	२६६३
तेईसवां प्रतिवेदन	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	२६६३
अड़तीसवां प्रतिवेदन	
संविधान (सत्रहवां) संशोधन विधेयक	२६६३
(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	२६६३
(२) समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य . . .	२६६३
सशस्त्र सेनायें (विशेष शक्तियां) जारी रखना विधेयक—पुरस्थापित .	२६६३—६४
अनुदानों की मांगें	२६६४—८६
विधि मंत्रालय	२६६४—७०
श्री स० मो० बनर्जी	२६६४
डा० मा० श्री० अणे	२६६५
श्री अ० कु० सेन . . .	२६६५—७०
डाक और तार विभाग	२६७०—८६
डा० रानेन सेन	२६७१—७३
श्री मणियंगाडन	२६७३—७४
श्री सोलंकी	२६७४—७५
श्री जेना	२६७५—७६
श्री हिम्मतसिंहका	२६७६
श्री रा० बरुआ	२६७६—७८
श्री अं० शं० आल्वा . . .	२६७८—७६
श्री याज्ञिक	२६७६—८०
श्री महेशदत्त मिश्र	२६८०—८१
श्री ओंकार लाल बेरवा	२६८१—८२
श्री भगवती	२६८२—८४
श्री स० मो० बनर्जी	२६८४—८६
श्री ब० कु० दास	२६८८—८६

SUBJECT	PAGE
Shri Mehr Chand Khanna	2686—88
Re : Calling attention notice	2662
Paper laid on the Table	2662–63
Public Accounts Committee	2663
Twenty-third Report	
Committee on Private Members' Bills and Resolutions	2663
Thirty-eighth Report	
Constitution (Seventeenth) Amendment Bill	2663
Report of Joint Committee; and	2663
Evidence before Joint Committee	2663
Armed Forces (Special Powers) Continuance Bill—introduced	2663–64
Demands for Grants	2664—69
Ministry of Law	2664—70
Shri S. M. Banerjee	2664
Dr. M. S. Aney	2665
Shri A. K. Sen	2665—70
Department of Posts and Telegraphs	2670—89
Dr. Ranen Sen	2671—73
Shri Maniyangadan	2673–74
Shri Solanki	2674–75
Shri Jena	2675–76
Shri Himatsingka	2676
Shri R. Barua	2676—78
Shri A. S. Alva	2678–79
Shri Yajnik	2679–80
Shri Mahesh Dutta Misra	2680–81
Shri Onkar Lal Berwa	2681–82
Shri Bhagwati	2682—84
Shri S. M. Banerjee	2684—86
Shri B. K. Das	2688–89

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, २५ मार्च, १९६४/५ चैत्र, १८८६ (शक)

Wednesday, March 25, 1964/Chaitra 5, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तकनीकी अध्यापकों का केन्द्रीय 'पूल'

\+

*७३४. **श्री दाजी :**
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री कर्णी सिंह जी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री १८ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी अध्यापकों का एक केन्द्रीय "पूल" गठित करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख). अभी नहीं, श्रीमान् ।

श्री दाजी : इस मंत्रालय के सामने सामान्य विचार किया है ? इसी मंत्रालय ने यह विचार दिया था ।

श्री मु० क० चागला : सामान्य विचार स्पष्ट है : अध्यापकों का केन्द्रीय पूल बनाना जिसमें से हम विभिन्न तकनीकी संस्थाओं की, जब वे चाहें, सहायता कर सकेंगे ।

श्री दाजी : विदेशों में जो भारतीय तकनीकी कर्मचारी काम कर रहे हैं क्या हमें उन्हें वापिस लाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री मु० क० चागला : जैसा कि मैं बता चुका हूं हमारे पास एक वैज्ञानिक पूल है और विदेशों में काम करने वाले वापिस आ सकते हैं, हरेक को वैज्ञानिक पूल में रखा जा सकता है तथा किसी संस्था में लगाये जाने तक वह वेतन ले सकता है । यह तरीका काफी अच्छी तरह से चल रहा है ।

Shri Vishwanath Pandey : There is a shortage of technical teachers in the country. I want to know what Government proposes to do to meet this shortage.

Shri M. C. Chagla: We are considering to start more teaching institutions and train more teachers.

Shri Sidheshwar Prasad : The hon. Minister has just now stated that no final decision has so far been taken in this regard. I want to know at what stage the matter stands now and when a final decision would be arrived at.

श्री मु० क० चागला : मैं समझता हूं कि वित्त की कुछ कठिनाई है । वित्त मंत्रालय ने योजना की स्वीकृति नहीं दी है । उनके स्वीकृति देते ही कदम उठाये जायेंगे । मुझे आशा है कि कोई ज्यादा देर नहीं होगी ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether any assistance would be given by the Central Government to encourage technical teachers or increase their number ?

श्री मु० क० चागला : जी हां; हम राज्यों को सहायता देंगे और राज्य अधिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने में हमारी सहायता करेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : विदेशों में जो तकनीकी अध्यापक हैं उनको छोड़ कर क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उन अध्यापकों को भी वापिस लाने का विचार कर रही है जो उच्चतर शिक्षा के लिये बाहर गये थे यदि वे वापिस भारत आना चाहते हैं ? क्या उन्हें नौकरियां दी जायेंगी या उनके लिये कुछ और किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इसी प्रश्न या इसी से मिलते जुलते प्रश्न का उत्तर दिया गया था ।

श्री दाजी : जी नहीं; वह प्रश्न वैज्ञानिक अध्यापकों के बारे में था; यह मानव शास्त्रों के बारे में है ।

श्री मु० क० चागला : हम पूल का प्रसार कर रहे हैं और मानव शास्त्रों को भी उसमें शामिल करने का विचार है ।

Shri Vishram Prasad: The President had offered his official residence at Simla for the training of teachers. I want to know whether teachers are being trained there or not.

श्री मु० क० चागला : शिमला में राष्ट्रपति के आवास स्थान के बारे में हमारी एक महान योजना है। हम वहां ऐसा संस्था स्थापित करना चाहते हैं जहां भारत के बड़े-बड़े विद्वान आकर मिलेंगे—अमरीका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय की तरह। योजना अभी तैयार नहीं की गई है।

श्री दी० चं० शर्मा : तकनीकी अध्यापकों के केन्द्रीय पूल में किन श्रेणियों के अध्यापक होंगे तथा क्या वे माध्यमिक स्कूलों में या जूनियर कालेजों या विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के योग्य होंगे ?

श्री मु० क० चागला : योजना में विभिन्न स्तरों के लगभग ५०० अध्यापकों को भर्ती करने का विचार है—श्रेणी १ प्रोफैसर, श्रेणी २ सहायक प्रोफैसर और श्रेणी ३ लेक्चरार। हम ने यह भी प्रस्ताव किया है कि इन श्रेणियों को कितना वेतन मिलना चाहिये।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या तीसरी योजना में अध्यापकों की आवश्यकता का कोई अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो उस लक्ष्य में से कितने अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाने वाला है ?

श्री मु० क० चागला : जहां तक मुझे पता है, लगभग ४० प्रतिशत की कमी है। मेरे पास ठीक आंकड़े नहीं हैं। काफी कमी है।

Shri Sheo Narain: The hon. Minister has just stated that the difficulty is about money. I want to know the amount that is required.

Mr. Speaker : Will he give that just now ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : केन्द्रीय पूल के अध्यापकों तथा अन्य स्थानों पर काम करने वाले अध्यापकों की सेवा की शर्तों में क्या अन्तर होगा ? क्या आप दो वर्गों को जन्म नहीं दे रहे हैं ?

श्री मु० क० चागला : संघ सरकार को एक आदर्श नियोजक होना चाहिए और हम जो वेतन-क्रम निर्धारित कर रहे हैं वे आदर्श हैं। यदि हम आदर्श वेतन-क्रम रखते हैं तो इससे दूसरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि वे अपने अध्यापकों के वेतन बढ़ायें।

राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय सम्मेलन

+

*७३५. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धजन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन में राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय सम्मेलन में भाग लेने वाले उपकुलपतियों की संख्या पर प्रतिबन्ध लगाये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्तमान राष्ट्रीय आपात में विदेश यात्रा पर होने वाले व्यय में बचत की आवश्यकता ।

(ग) जी, हां ।

Shri Yashpal Singh: Is Government in a position to tell what is the criteria to decide who would be sent and who have been eliminated ?

Shri M. C. Chagla: The question here is not of "would be sent"; it is about those who were to be sent. Seven Vice-Chancellors were sent when the Commonwealth Conference was held. If the hon. Member is asking about future, that question is not before us now.

Shri Yashpal Singh: What was the criteria ?

Shri M. C. Chagla: The criteria was there. The Education Minister had selected them and seven persons were sent.

श्री हेम बरुआ : क्या यही कसौटी है ?

अध्यक्ष महोदय : चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखा गया था ?

श्री मु० क० चागला : मैं कह नहीं सकता । यह मेरे पूर्वाधिकारी की अपनी पसन्द है । मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता ।

Shri Yashpal Singh: May I know their names ?

श्री मु० क० चागला : (१) डा० ए० एल० मुदालियर, उपकुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय; (२) डा० सी० डी० देशमुख, उपकुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय; (३) डा० सी० पी० रामस्वामी आयर, उपकुलपति, अन्नमलाई विश्वविद्यालय; (४) श्री डी० सी० पावटे, उपकुलपति, करनाटक विश्वविद्यालय; (५) डा० ए० सी० जोशी, उपकुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय; (६) डा० टी० सेन, प्रधान अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड तथा रैक्टर, जाधवपुर विश्वविद्यालय ; और (७) श्री बदरुद्दीन तैयबजी, उपकुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ।

Shri Vishram Prasad: May I know whether any political considerations were involved in this selection ?

Mr. Speaker: He has said that this was the selection made by his predecessor and he does not know which things he took into consideration at that time.

Shri Vishram Prasad: I want to know whether it was due to the shortage of foreign exchange or any other reason that the seven persons who were selected did not get the chance.

Mr. Speaker: This too has been answered.

श्री हेम बरुआ : उन्होंने कहा है कि उनके पूर्वाधिकारी ने चुना था और इसलिये वह नहीं जानते । क्या यह उत्तर उचित है ?

अध्यक्ष महोदय : पूछा यह गया था कि उस समय उन्होंने किन बातों को ध्यान में रखा था और उन्होंने बताया कि यह उनके पूर्वाधिकारी का अपना चयन था । इस बारे में वह कुछ और कैसे कह सकते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : श्री हेम बरुआ ने जो पूछा है उससे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उठती है । क्या यह मंत्री का अपना मामला है ? क्या यह निर्णय इससे सम्बन्धित व्यक्तियों के परामर्श से मंत्रालय स्तर पर नहीं किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : व्यक्ति बहुत हैं और उनमें से कुछ को चुनना होता है । रुपये की कमी को देखते हुए उन्होंने सोचना है और फैसला करना है ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, भविष्य में सभा के मार्गदर्शन के लिये भी मैं यह जानना चाहता हूं । क्या किसी मंत्री को इस बात की आड़ लेने दी जा सकती है कि उनके पूर्वाधिकारी ने कुछ किया था या आपका कथन केवल इसी विशेष मामले पर लागू होता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो किसी फाइल में हो या रिकार्ड में हो जिसके बारे में वह जवाब दे सकें । ऐसे सवालों के लिये कि उन्होंने किन चीजों को ध्यान में रखा, किसने चुना आदि, रिकार्ड में कुछ नहीं होता । सात व्यक्ति चुने गये थे । थे तो इससे भी ज्यादा परन्तु इतना रुपया नहीं था कि सब को भेजा जा सकता । इसलिए उन्होंने केवल सात व्यक्तियों को चुना ।

श्री रंगा : वह पूर्वसूचना के लिये कह सकते थे क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में कुछ नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार लगातार चलने वाली संस्था नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : है; यदि उन्होंने भी किया होता तो वह उन्हें बता नहीं सकते थे । श्री काशी राम गुप्त ।

Shri Kashi Ram Gupta : Is there anything in the record to show that the hon. Minister's predecessor wrote to some Vice-Chancellor and he declined the offer ?

Shri M. C. Chagla : As far as I know, nobody declined.

Shri Kashi Ram Gupta : Is it in the record or not ?

Shri M. C. Chagla : There is nothing in the record that somebody was asked to go but he refused.

श्री स्वैल : देश में ५३ उपकुलपतियों में से केवल ७ को इस सम्मेलन में जाने के लिए चुना गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने उन्हें चुनने में अन्य उपकुलपतियों की भी राय जानी थी ?

श्री मु० क० चागला : तथ्य यह है कि अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड या उपकुलपति सम्मेलन से परामर्श नहीं किया गया था । जहां तक मुझे पता है, यह मेरे पूर्वाधिकारी की व्यक्तिगत पसन्द थी । मैं तो इतना ही कह सकता हूं ।

Dr. Govind Das : It is clear from the seven names just enumerated by the hon. Minister that nobody has been sent from the universities of Hindi-speaking areas. What is the reason ?

Mr. Speaker : He says that it was personal choice. Now, what he can say about it.

Students receiving technical Education

*737. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the All India Technical Education Council have, in their meeting held recently in New Delhi, recommended that the number of students in engineering colleges and polytechnics be increased ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the other matters considered in the said meeting ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) to (c). A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) & (b). Yes, Sir. The All India Council has recommended that the physical targets set in the Third Five Year Plan should be increased from 20,000 admissions to 25,000 admissions to first degree courses in Engineering and Technology and from 40,000 to 50,000 admissions to diploma courses. These additional targets will be reached mainly by expanding the capacity of existing institutions.

(c) The other important recommendations made by the All India Council are as below :

(*i*) The Central Government establish immediately four Regional Technical Teachers Training Institutes to train teachers for polytechnics.

(*ii*) A central pool of technical teachers should be set up in order to meet critical shortages of staff in institutions and to function as a reserve force.

(*iii*) Admissions to technical institutions should not be restricted on the basis of domicile or nativity of applicants but should be made on the basis of merit and as many students from other States as possible should be admitted.

(*iv*) The question of revising the present system of examinations for technical studies should be examined by the Board of Studies with a view to suggesting improvements in the system.

(*v*) A Central Research Institute should be set up to continuously carry out research on all aspects of technical education and training.

Shri Sidheshwar Prasad : The statement points out that the All India Council has recommended that admission should be given on the basis of merit and not nativity. May I know how many universities or technical institutes are following it and what action is being taken by Government. to persuade those which are not implementing it ?

श्री मु० क० चागला : जितनी संस्थायें केन्द्र द्वारा चलाई जाती हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि वे अखिल भारतीय आधार पर चलें और सारे भारत से विद्यार्थी लिये जायें ।

Shri Sidheshwar Prasad : The decision taken by Govt. to expand technical education is commendable. But has the attention of the Govt. been drawn to the fact that the standard of technical education is deteriorating as there is shortage of teachers in every institute ? What steps are being taken by Govt. to meet this shortage of teachers ?

श्री मु० क० चागला : यह राज्यों का मामला है। अध्यापकों का प्रश्न एक रुकावट है जिसे हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो कहा है मैं उसे समझता हूं।

श्री रामचन्द्र उलाका : विवरण में बताया गया है कि सरकार चार प्रादेशिक तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थायें खोलना चाहती है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इन संस्थाओं को कब और कहां खोलने का विचार रखती है ?

श्री मु० क० चागला : अखिल भारतीय परिषद् ने सिफारिश की है कि अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिये केन्द्रीय सरकार को शीघ्र ही चार प्रादेशिक तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थायें खोलनी चाहियें। इस सिफारिश के अनुसरण में संस्थाओं के बारे में मोटी रूप रेखा तैयार की गई है और उसे योजना आयोग की स्वीकृति के लिये भेज दिया गया है। हम १९६४–६५ में ये संस्थायें चालू करने के लिये उत्सुक हैं। इन्हें कहां खोला जायेगा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

Shri Ram Sewak Yadav : Is it a fact that the students who compete for admission in the engineering Colleges run by the Centre are not given any intimation about the marks secured by them in various subjects ?

श्री मु० क० चागला: मैं नहीं जानता लेकिन मेरा अनुमान है कि प्रत्येक विद्यार्थी नम्बरों के लिये आवेदन भेजता है।

Shri Bade : Is it a fact that there was an exchange of views regarding politechnics in the recent meeting ? How many cases are pending under your open-door policy, especially in Madhya Pradesh ?

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि नये पालीटैकनिक्स खोलने के बारे में कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं।

श्री मु० क० चागला : योजना में ९१ पालीटैक्नीक्स खोलने की व्यवस्था है और योजना के पहले तीन वर्षों में राज्य सरकारों द्वारा ४९ पालीटैक्नीक्स स्थापित किये गये थे। हम उत्सुक हैं कि जितने पालीटैक्निक्स खोलना संभव हो खोले जायें। यदि राज्य इस बारे में लिखेंगे तो हम पूरी सहानुभूति से विचार करेंगे। मैं यह नहीं कह सकता कि कितनों ने आवेदन पत्र भेजे और कितने लम्बित हैं।

Shri Bade : I wanted to know whether it was discussed in the meeting or not.

Shri Kachhavaiya : May I know the number of seats reserved for the Scheduled Caste candidates in technical colleges and how many students belonging to Scheduled Castes are studying there ?

श्री मु० क० चागला : अनुसूचित जातियों के बारे में आंकड़े यहां मेरे पास नहीं हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या वर्तमान इंजीनियरिंग कालेजों को भी प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेजों में बदला जा रहा है यदि हां, तो वे कालेज कौन से हैं, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री मु० क० चागला : यहां मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री तिरुमल राव : क्या यह सच है कि इंजीनियरिंग स्नातकों की रोजगार की स्थिति के मूल्यांकन से पता चला है कि उन में से बहुत से बेरोजगार हैं और इस आशय का एक वक्तव्य जारी किया गया है कि इंजीनियरिंग कालेजों में अब आगे दाखिले सीमित कर दिये जायें जिस का अर्थ है कि नये कालेज खोलने की जरूरत नहीं है ।

श्री मु० क० चागला : हम नये इंजीनियरिंग कालेज खोलना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है कि इन कालेजों से निकलने वाले स्नातकों को रोजगार नहीं मिलता। मेरे विचार में बहुत सारे स्नातकों को रोजगार मिल जाता है ।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : श्रीमान् उस दिन ऐसे ही, एक प्रश्न का उत्तर देते हुए जैसा कि माननीय सदस्य श्री तिरुमल राव ने पूछा है यह स्वीकार किया था कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अर्हता प्राप्त इंजीनियरों को रोजगार नहीं मिल पाता क्योंकि जो शिक्षा वे पाते हैं और जो नौकरियां वे ढूंढ़ते हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : अब वह प्रश्न करें ।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : मैं जानना चाहती हूं कि क्या इस ओर मंत्रालय ने ध्यान दिया है । मैं जानना चाहती हूं कि क्या ऐसे इंजीनियर हैं जो उपयुक्त नौकरी नहीं ढूंढ सकते और ऐसी नौकरियां भी हैं जिन के लिये उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते और यदि ऐसा है तो इस के लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री मु० क० चागला : समस्या प्रायः यह होती है। नौकरियां होती हैं और साथ ही प्रादेशिक सोच-विचार । नौकरियां होती हैं परन्तु स्नातक उन्हें पसन्द नहीं करते और वे अन्य काम चाहते हैं; रोजगार के रास्ते में यही कठिनाइयां हैं ।

गंगानगर में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई

\+
***७३८.**
- **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
- **श्री रामेश्वर टांटिया** :
- **श्री अंजनप्पा** :
- **श्री राम हरख यादव** :
- **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के गंगानगर जिले में कालीबंगा में की गई खुदाई से हड़प्पा तथा मोहनजोदारो जैसी यहां अपनाई गई नगर आयोजन की एक निश्चित पद्धति का पता चला है ;

(ख) क्या मिली सामग्री से उस काल का पता चलता है जब कि यह पद्धति आरम्भ हुई और आगे चली;

(ग) क्या भरतपुर के निकट की गई और खुदाई से अनेक उत्तरोत्तर चरणों में सभ्यता के होने का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो इस का किस काल से सम्बन्ध है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) मिली सामग्री का सम्बन्ध अनुमानत: २२०० ई० पू० और १८०० ई० पू० के बीच के काल से है ।

(ग) जी हां ।

(घ) निम्नतर स्तर लगभग १००० ई० पू० तथा उच्चतम स्तर मध्यकालीन समय का है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि खुदाई में मनुष्य की खोपड़ियां भी मिली हैं; यदि हां, तो ये खोपड़ियां अनुमानत: किस काल की हैं ?

श्री मु० क० चागला : मैं समझता हूं कि तिथियां मैं ने उत्तर में दे दी हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मैं वह तिथि जानना चाहता हूं जिस से वहां मिली मानवीय खोपड़ियों का सम्बन्ध है ।

श्री मु० क० चागला : मनुष्य की खोपड़ियों के बारे में मैं नहीं जानता लेकिन जो कुछ मिला है उस का काल निर्धारित किया गया है और समय २२०० ई० पू० तथा १८०० ई० पू० के बीच का है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या खुदाई का काम किसी विदेशी विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया था; यदि हां, तो वह विश्वविद्यालय कौन सा है ?

श्री मु० क० चागला : केवल भरतपुर के समीप होने वाली खुदाई विदेशी सहयोग से की जा रही है और इस में कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय का सहयोग प्राप्त है ।

Shri Vishwanath Pandey : What is the expenditure incurred by the Central Govt. on excavations ?

श्री मु० क० चागला : मैं इस का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं ।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether the materials discovered during this excavation are likely to have any influence on the Indian history ?

Shri M. C. Chagla : Whatever materials are discovered influence the Indian history. It is also Indian history that this civilisation was in India.

श्री प्र० के० देव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पकाई हुई मिट्टी की कुछ मुहरें मिली हैं जिन पर दुर्बोध लिपि में कुछ लिखावट है और यदि हां, तो क्या उस लिखावाट को पढ़ा गया है ?

श्री मु० क० चागला : मैं इस बारे में नहीं जानता । अधिकतर नगरों तथा सड़कों के खाकों के बारे में ही सामग्री मिली है ।

श्री प्र० के० देव: मेरा प्रश्न कुछ अलग था ।

श्री मु० क० चागला : जो सामग्री मिली है उस से यही पता चलता है कि मकान कैसे बनाये जाते थे और कैसी ईंटें लगाई जाती थीं । शायद मैं ने प्रश्न समझा नहीं है ।

श्री प्र० के० देव: मैं जानना चाहता हूं कि क्या पकाई हुई मिट्टी की कुछ मुहरें मिली हैं जिन पर दुर्बोध लिपि में कुछ लिखावाट है और यदि हां, तो क्या उस लिखावट को पढ़ा गया है ?

श्री मु० क० चागला : इस के लिये मुझे सूचना चाहिये ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : देश के विभिन्न भागों में पुरातत्व संबंधी जो वस्तुएं मिली हैं क्या सरकार उन की महत्ता के बारे में उचित रूप में उस सामग्री का प्रकाशन करना चाहती है ?

श्री मु० क० चागला : यह बड़ा अच्छा सुझाव है । मैं इसे पुरातत्व विभाग के पास भज दूंगा और मुझे विश्वास है कि इसे कार्यान्वित किया जाएगा ।

श्री काशीराम गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या खुदाई कार्यों का प्राचीन स्मारक अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षण किया जायेगा तथा क्या उन स्थानों पर अभी खुदाई हो रही है ।

श्री मु० क० छागला : खुदाई अभी चल रही है ।

श्री काशीराम गुप्त । क्या प्राचीन स्मारक अधिनियम के अधीन उन का संरक्षण होगा ?

श्री मु० क० चागला : यदि उन्हें स्मारक समझा गया तथा वे अधिनिाम की परिभाषा के अन्तर्गत हुए तो अवश्य उन का संरक्षण होगा ।

Shri Braj Bihari Mehrotra : Will the hon. Minister be pleased to state whether work is hampered due to shortage of personnel in the Archaeological Department ?

Shri M. C. Chagla : I am not aware of any such defficiency there.

Shri Sheo Narain : May I know the date to which the materials discovered relate ?

Shri M. C. Chagla : I have already stated that.

मुख्य मंत्रियों की बैठक

\+

*७३६. { **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री वें० वेंकटासुब्बय्या :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा सम्बन्धी नीति की कार्यान्विति के बारे में विचार विमर्श करने के लिये हाल ही में समस्त राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य बातों पर विचार किया गया तथा क्या निर्णय किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) इन मुख्य बातों पर विचार किया गया था :—

(१) हिन्दी के प्रचार के लिये किये जाने वाले उपाय, और

(२) अखिल भारतीय तथा उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपनाना। सामान्य रूप से यह स्वीकार किया गया था कि (१) हिन्दी के प्रचार के लिए वर्तमान व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये उपाय किये जायें ; और इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार अधिक धन राशि दे; और (२) सितम्बर १९६५ में होने वाली परीक्षा से अखिल भारतीय तथा उच्चतर केन्द्रीय सेवा परीक्षा में हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपनाया जाए यदि अंग्रेजी तथा हिन्दी में लिखे गये पर्चों के मूल्यांकन के लिये एकरूप स्तर बनाये रखने के हेतु इस बीच आवश्यक नीतियां तथा प्रणालियां तैयार कर ली जायें।

Shri Vishwanath Pandey : Is it proposed to encourage Govt. employees to learn Hindi typewriting and shorthand also ?

Shri Hathi : Yes, Sir.

Shri Vishwanath Pandey : Did the meeting consider any proposal to publish in Hindi about 40 percent non-statutory notifications and advertisements which are published in the Gazette of India in English ?

Shri Hathi : It was not considered in this meeting.

Shri Sidheshwar Prasad : When the present Minister without Portfolio was the Home Minister, he gave an assurance at the time of discussion on the Official Language Bill that a standing Committee would be constituted to implement the decisions regarding Hindi. Was it considered in this meeting and is Govt. taking any decision to set up a Standing Committee ; if so when ?

Shri Hathi : The main point which was discussed in this meeting was the introduction of Hindi as an optional medium in the UPSC.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मद्रास सरकार द्वारा स्वीकृत तीन-भाषायी सूत्र—तमिल, अंग्रेजी और संस्कृत—के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री हाथी : अखिल भारतीय सेवाओं के लिये इसे स्वीकार नहीं किया गया है।

Shri Prakash Vir Shastri : As has been stated by the Prime Minister several times, the Hindi speaking States in particular should have no objection in corresponding with the Centre or among themselves in Hindi. May I know whether this was discussed in the meeting of the Chief Ministers, if so, what are the decisions arrived at ?

Shri Hathi : There was no discussion about it. The discussion was mainly about the medium of examinations.

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्मेलन में अहिन्दी-भाषी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने सितम्बर १९६५ में इस योजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में कई कठिनाइयां बताई हैं जैसा कि माननीय गृह-कार्य मन्त्री ने बताया है; यदि हां, तो क्या सरकार अहिन्दी भाषी राज्यों को पेश आने वाली इन कठिनाइयों को देखते हुए योजना में परिवर्तन करेगी ?

श्री हाथी : दोनों पक्षों ने कठिनाइयां बताई थीं। अहिन्दी-भाषी राज्यों ने बताया कि यदि उम्मीदवारों को हिन्दी में भी उत्तर लिखने की आज्ञा दी जाती है तो हो सकता है कि हिन्दी जानने वाले लोग अपनी बात अधिक अच्छी तरह से लिख सकें। दूसरी तरफ यह भी कहा गया था कि सारा तकनीकी साहित्य तथा पुस्तकें अभी हिन्दी में उतने विस्तार में प्रकाशित नहीं हुई हैं जितनी कि अंग्रेजी

में और इसलिये हिन्दी जानने वाले लोग चाहे अपनी बात अधिक अच्छी तरह से कह सकें परन्तु हो सकता है कि उनका उत्तर अंग्रेजी जितना समृद्ध न हो। अतः कुल मिला कर यह निर्णय किया गया था कि हम कोई बीच का रास्ता लें जिससे दोनों ओर किसी को नुकसान न हो। यह मुख्य बात थी। हमें विभिन्न भाषाओं में दिये जाने वाले उत्तरों की कोई तकनीक तथा बीच का रास्ता तैयार करना है।

Dr. Govind Das : The hon. Minister has just stated that two matters were discussed in the meeting of the Chief Ministers. What action is being taken in regard to other matters enunciated in the Presidential Order of 1960 ? What is being done by Govt. to bring out necessary books when Hindi is going to be an optional medium after 1965 ?

Mr. Speaker : Now it is not possible to discuss the general policy regarding the development of Hindi. The present question is only about the conference of the Chief Ministers.

श्री अ० प्र० जैन : जो मध्यमार्गी योजना स्वीकार की गई है उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

श्री हाथी : वस्तुतः इस पर अभी चर्चा होनी है। मध्य मार्ग अभी तय किया जाना है। निर्णय यह किया गया था कि इस प्रणाली के तैयार होने के बाद मुख्य मन्त्रियों की पुनः बैठक हो क्योंकि मुख्य आपत्ति यह है कि यदि अलग अलग लोग विभिन्न भाषाओं में उत्तर देंगे तो हो सकता है कि प्रत्येक भाषा के अनुसार अलग अलग स्तर हो जायें; अतः इस प्रणाली को तैयार करना आवश्यक है और हमें सन्तोष होना चाहिये कि. . . (**अन्तर्बाधा**)

श्री अ० प्र० जैन : हरेक चीज अस्थायी है।

श्री हाथी : अभी कोई प्रणाली तैयार नहीं की गई है।

Dr. Govind Das : Sir, one of my questions has not been answered.

Mr. Speaker : No more, now.

श्री हो० ना० मुकर्जी : भाषा सम्बन्धी संसदीय समिति ने १९५८ में सिफारिश की थी कि जब हिन्दी को संघ लोक सेवा आयोग तथा ऐसी ही परीक्षाओं के लिये माध्यम बनाया जाए तो साथ ही यह देखने का भी प्रयास होना चाहिए कि धीरे धीरे अंग्रेजी नहीं बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं को भी इस प्रयोजन के लिये चालू किया जाए। क्या सरकार ने उस सिफारिश की उपेक्षा कर दी है या इस ओर कोई प्रयास कर रही है ?

श्री हाथी : इस पर भी सामान्य रूप से चर्चा हुई थी परन्तु मत यह था कि यदि अखिल भारतीय सेवा परीक्षा में माध्यम के रूप में सभी प्रादेशिक भाषाओं की आज्ञा दी जाती है तो शायद सेवाओं का अखिल भारतीय स्वरूप शेष नहीं रहेगा।

श्री रंगा : अखिल भारतीय स्वरूप है कहां ?

श्री हाथी : १४ या १५ भाषायें होंगी और तब बीच का रास्ता अपनाना और भी कठिन हो जायेगा। परन्तु इस प्रश्न पर विचार किया गया था।

श्री हो० ना० मुकर्जी : मेरा प्रश्न यह था। उस समिति ने यह विशिष्ट सिफारिश की थी कि बीच का मार्ग लिया जाए—कम से कम कोशिश तो की जाए—तथा परिणामों के बारे में एक रिपोर्ट दी जाए। लगता है कि सरकार ने उस सिफारिश को भुला दिया है तथा इस प्रयोजन के लिये हिन्दी

तथा अंग्रेजी को जुड़वां मान कर कार्यवाही की है जो संसदीय समिति की सिफारिश के प्रतिकूल है। सरकार ऐसा कर सकती है परन्तु साथ यह भी तो कहे कि वह संसदीय समिति की सिफारिश की अवहेलना कर रही है।

श्री हाथी : जैसा कि मैंने कहा है, हम मुख्य मन्त्रियों की बैठक की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस प्रश्न पर भी विचार हुआ था परन्तु यही मत व्यक्त किया गया था।

श्री रंगा : इस बात को देखते हुए कि, जैसा कि मन्त्री महोदय ने भी कहा है, अभी तक मध्य मार्ग का विकास नहीं किया गया है तथा इसके तैयार होने तथा कार्यान्वित होने में उनके पास केवल १ वर्ष और ६ महीने और हैं, क्या कारण है कि सरकार ने यह गलत निर्णय किया है कि पहले तो एक निश्चित तिथि तय कर दी जाए और फिर कहा जाए, कि उस तिथि के बाद से हिन्दी-भाषी लोगों को सभी प्रश्नों के हिन्दी में उत्तर देने की छूट होगी तथा अहिन्दी-भाषी लोगों को केवल अंग्रेजी में उत्तर देने की छूट होगी ? वे किसे धोखा देना चाहते हैं ? अपने आपको ?

श्री हाथी : सरकार ने कोई गलत फैसला नहीं किया है। सामान्यतः सरकार सदा विवेकपूर्ण निर्णय करती है। निर्णय यह नहीं है कि यह सितम्बर १९६५ से होगा। साथ ही निम्नलिखित परन्तुक है:—

> "परन्तु यदि अंग्रेजी में और हिन्दी में लिखे गये पर्चों के मूल्यांकन के एक रूप स्तर बनाये रखने के लिए इस बीच आवश्यक रीतियां तथा तरीके तैयार कर लिए जाते हैं।"

उसके साथ यह परन्तुक है और वह विवेकपूर्ण है।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रधान मन्त्री मुस्करा कर असहमति प्रकट कर रहे हैं। मैंने देखा है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Has it been considered to have Devnagari script for other Indian languages as there is for Hindi so that Hind and other Indian languages can go on side by side ?

Shri Hathi : There was no such point rasied in that meeting.

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister has just told that candidates could reply in Hindi in the Central services examination. How does this question arise when Hindi is going to be the principal language after 1965 under the Constitution and even according to the Official Language Bill ? What is contemplated to carry out the spirit of the Constitution and this Bill ?

Mr. Speaker : It is a question of broad policy.

श्री **तिरुमल राव** : क्या मैं जान सकता हूं कि जो विद्यार्थी हिन्दी में उत्तर देना पसन्द करते हैं क्या इससे पहले कि वे हिन्दी में उत्तर देने का निर्णय करें इस बात पर भी आग्रह किया जाता है कि उन्हें अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान हो ?

श्री हाथी : अंग्रेजी में भी एक अनिवार्य पर्चा होता है

श्रीमती सावित्री निगम : यह निर्णय बड़ा स्वागत योग्य है कि १९६५ से विद्यार्थी हिन्दी में भी उत्तर दे सकेंगे परन्तु माननीय मन्त्री ने अभी जिस परन्तुक का उल्लेख किया है क्या मैं जान सकती हूं कि इसके लिये क्या विशेष उपाय किया गया है कि वे सभी शर्तें पूरी हों और उन शर्तों को निर्धारित के लिये कोई समिति बनाई गई है ?

श्री हाथी : यही तो निर्णय हुआ था अर्थात् मध्य-मार्गी तरीके ढूंढने के लिए प्रयास किये जायें। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से हमने बातचीत की थी तथा अन्य लोक सेवा आयोगों को उम्मीदवारों को विभिन्न भाषाओं में उत्तर देने की अनुमति देने से जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसे भी ध्यान में रखा जायेगा ।

उर्वरकों का उत्पादन

***७४०. श्री रामहरक यादव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : जिन परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है उनके निष्पादन में तेजी लाने तथा सरकारी क्षेत्र के कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। गैर-सरकारी क्षेत्र के लाइसेंस धारियों को भी सहायता और प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि वे अपनी योजनाओं को शीघ्रता से कार्यान्वित कर सकें।

Shri Vishwanath Pandey : I want to know when the fertiliser factory at Gorakhpur would go into production.

श्री अलगेशन : सितम्बर, १९६७ में यहां उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है ।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : उद्योग मन्त्रालय तथा कृषि विभाग की विचारधारा में क्योंकि एकीकरण नहीं है तथा उद्योग मन्त्रालय द्वारा कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं को क्योंकि समझा नहीं गया है, उर्वरक कारखानों में अफसलता ही मिली है और कृषि के लिये वहां पर्याप्त उर्वरक नहीं पाया गया है। क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के उर्वरक कारखानों को सहायता देगी क्योंकि . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या को प्रश्न पूछ कर रुक जाना चाहिए। पहले उन्होंने भूमिका बांधी और फिर प्रश्न पूछा उसके बाद वह कारण बता रही हैं और तर्क कर रही हैं। उन्हें केवल प्रश्न ही पूछना चाहिए ।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : मैं अपने प्रश्न को एक ही वाक्य में समाप्त कर दूंगी। सरकार कहेगी कि आयात किये हुये उर्वरक अधिक इसलिये सस्ते हैं क्योंकि उन्हें वहां राज सहायता मिलती है। यदि सरकार हमारे उर्वरकों को भी राज सहायता दे तो व सस्ते होंगे। क्या सरकार उर्वरक उद्योग को राज सहायता देने की बात सोच रही है ?

श्री अलगेशन : वास्तव में यह प्रश्न खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय से पूछा जाना चाहिये। परन्तु मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि हमने २,५१,००० टन नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन किया है और १९६३–६४ में हमने २,१७,००० टन का आयात भी किया है। अतः हम देश की उर्वरकों की मांग को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री राम सहाय पाण्डेय : सरकार ने मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाने को स्वीकृति दी है। उसकी प्रगति क्या है ?

श्री अलगेशन : वास्तव में उस कारखाने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में लाइसेंस दिया गया था। लाइसेंसधारी ने लाइसेंस क्योंकि लौटा दिया था इसलिये भारतीय उर्वरक निगम ने यह काम सम्भाल लिया है और इसे कर रहा है।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या सरकार ने सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के कारखानों में उत्पादन लागतों का तुलनात्मक निर्धारण किया है ? यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र में लागत गैर-सरकारी क्षेत्र से ज्यादा बैठती हैं ? यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र में लागत कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री अलगेशन : हमने सरकारी क्षेत्र में उत्पादन लागत का हिसाब लगाया है परन्तु इस समय आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि २,६१,००० टन नाइट्रोजन उर्वरक के इस उत्पादन में से गैर-सरकारी क्षेत्र में मुश्किल से ३०,००० टन का उत्पादन होता है। अधिकतर उत्पादन सरकारी क्षेत्र में होता है।

श्री विश्राम जैन : माननीय मन्त्री ने कहा है कि गोरखपुर के कारखाने में सितम्बर १९६७ तक उर्वरक का उत्पादन होने लगेगा। वहां की उत्पादन लागत सिन्दरी के मुकाबले में कितनी होगी जहां कि ३७० रुपये प्रति टन है तथा आयातित उर्वरक के मुकाबले में कितनी होगी जो २०० रु० प्रति टन है ?

श्री अलगेशन : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। इस समय मैं नहीं बता सकता।

श्री अ० प्र० जैन : तीसरी योजना में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस युक्त उर्वरकों के लक्ष्य क्या हैं तथा कहां तक उनके पूरा होने की सम्भावना है ?

श्री अलगेशन : लक्ष्य ८ लाख टन था। नाइट्रोजन युक्त तथा फास्फोरस युक्त उर्वरकों के अलग अलग आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री अ० प्र० जैन : नाइट्रोजन युक्त ८ लाख है और फास्फोरस युक्त ४ लाख है। वे अलग अलग हैं अलग अलग बताने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अलगेशन : कुछ उत्पादन उससे बहुत कम है।

श्री अ० प्र० जैन : कितना लक्ष्य पूरा हुआ है ? आशायें क्या हैं ?

श्री अलगेशन : वर्तमान प्राक्कलन के अनुसार लगभग ४ से ५ लाख टन होगा।

Shri Daljit Singh : I want to know the names of the fertiliser factories where there is a programme to double the production and when this target would be achieved.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : उत्पादन दुगना करने का कोई प्रश्न नहीं है। जैसा कि मैंने अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय अपने उत्तर में बताया था उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। सिन्दरी में क्षमता को बढ़ाने के लिए हम विशेष कदम उठा रहे हैं। नंगल में उत्पादन क्षमता बढ़ाने का एक प्रस्ताव है। हम "फैक्ट" (fact) में क्षमता बढ़ा रहे हैं तथा रूरकेला में भी ऐसे उपाय कर रहे हैं।

श्रीमती रेणुका राय : इस बात को देखते हुए कि बहुत सी प्राईवेट फर्मों ने, जिन्हें उर्वरक के उत्पादन के लिये लाइसेंस दिए गए थे, उत्पादन नहीं किया है, चाहे उसके कारण कुछ भी हों, क्या सरकार ने प्रयोग में न लाई जाने वाली क्षमता का निर्धारण किया है तथा उसी मात्रा में सरकारी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाया है ?

श्री अलगेशन : जैसे मैंने बताया था, गैर-सरकारी क्षेत्र में जब लाइसेंस लौटाया गया तो हमने स्वयं काम सम्भाल लिया। गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ ऐसे कारखाने हैं जो धीमी चाल चल रहे हैं। दो-तीन और भी लाइसेंसधारी हैं जिन्होंने समय मांगा है। हमने उन्हें समय दे दिया है। इस बीच हमने एक आयोजन दल की नियुक्ति की है। वह दल नई परिस्थितियों के विषय की जांच कर रहा है।

श्रीमती रेणुका राय : क्या सरकार ने उपयोग में न लाई गई क्षमता का निर्धारण किया है ?

तेल समवायों का रुपया समवायों में बदला जाना

+

*७४१. { **श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री धुलेश्वर मीना : }

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री १८ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वितरण समवायों के रुपया समवायों में बदले जाने के बारे में 'बर्मा शैल', 'एस्सो' तथा 'काल्टेक्स' तेल समवायों द्वारा किए गए अस्थाई प्रस्तावों की बीच जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) इन प्रस्तावों की अभी भी जांच की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या तेल समवायों ने अपनी साम्य अंश पूंजी में भारतीय भागीदारी के बारे में भी कोई प्रस्ताव किया है ? यदि हां, तो उसका क्या स्वरूप है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री हुमायून् कबिर : प्रश्न 'बर्माशैल', 'एस्सो' तथा 'काल्टेक्स' द्वारा वितरण समवायों के बदले जाने के बारे में किये गये प्रस्तावों के सम्बन्ध में था तथा इन प्रस्तावों में कुछ सुझाव इस आशय के भी थे कि इन वितरण समवायों को रुपया समवायों में बदल दिया जाय और साम्य पूंजी में भारतीयों की भी साझेदारी हो। परन्तु 'एस्सो' के अतिरिक्त, किसी अन्य ने किसी भी प्रकार के विस्तृत अथवा विशिष्ट प्रस्ताव नहीं किए हैं।

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या इन तेल समवायों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्री हुमायून् कबिर : औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में समस्त क्षमता सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जायेगी। परन्तु इस संकल्प में इस बात की भी व्यवस्था है कि वर्तमान फर्मों को कार्य करने दिया जायेगा तथा कुछ मामलों में विशेष दशाओं के अधीन उनको विस्तार करने की भी अनुमति दी जा सकेगी। अतः इस समय राष्ट्रीयकरण का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री दी० चं० शर्मा : 'बर्मा शैल' तथा 'काल्टेक्स' तेल समवाय अपने को रुपया समवायों में बदलने के बारे में कोई प्रस्ताव क्यों नहीं कर रहे हैं ? ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं ?

श्री हुमायून् कबिर : यह प्रस्ताव स्वयं समवायों ने ही किया था। उन्होंने प्रस्ताव किया तथा कहा कि वे अपने को बदलना चाहते हैं। अतः मैं नहीं कह सकता कि वे अब पीछे क्यों हट रहे हैं। परन्तु मेरा विचार ऐसा है कि वे शायद इस बात को अपनी क्षमता का विस्तार किए जाने के प्रश्न से जोड़ना चाहते हैं और इसी कारण हम सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। इस समय उनको और अधिक क्षमता प्रदान करने की कोई सम्भावना नहीं है।

श्री धुलेश्वर मीना : क्या इन तेल समवायों ने भारतीय समवाय के रूप में एक विपणन संगठन स्थापित किया है ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्री हुमायन् कबिर : प्रश्न यह था कि वे अपने को भारतीय समवायों में बदलना चाहते थे। अतः यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपने को भारतीय समवायों के रूप में संस्थापित नहीं किया है।

श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि न विदेशी तेल समवायों के संभरण स्रोत, वास्तविक लागत तथा लाभ की मात्रा के बारे में जांच करने सम्बन्धी सरकार के प्रयत्न इन के द्वारा नियमित रूप से तथा बार बार विफल किए जा रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इनके रुपया समवायों के रूप में बदले जाने से जांच करने में आसानी हो जायेगी अथवा तेल समवायों ने यह प्रस्ताव केवल इसी-लिये किया है ताकि इस देश में उनका व्यापार सुनिश्चित हो जाय।

श्री हुमायून् कबिर : मेरे माननीय मित्र मुझ से यह जानना चाहते हैं कि इन समवायों के दिल में क्या है। मैं इस के बारे में कुछ नहीं जानता।

श्री हेम बरुआ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यह प्रस्ताव किया है ....

अध्यक्ष महोदय : वाक्य के अन्तिम भाव के अनुसार मैं और प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि मंत्री जी कहते हैं कि वे यह जानकारी नहीं दे सकते।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : विस्तार कार्यक्रम तथा रुपया समवाय में परिवर्तन किए जाने के बीच क्या सम्बन्ध है तथा इस मामले में सरकार का अपना दृष्टिकोण क्या है?

श्री हुमायून् कबिर : मेरा विचार है कि मैं बता चुका हूं कि सरकार का दृष्टिकोण यह है कि विस्तार सरकारी क्षेत्र में किया जायेगा और विशेष कर क्योंकि हम अपने तेल शोधक कारखाने चालू करने वाले हैं, अतः जब तक हम निर्णय करके सरकारी क्षेत्र में अपने तेल शोधक कारखानों की स्थापना न कर लें, तब तक इनके विस्तार के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता।

शिक्षा मंत्रालय

\+

*७४२. **श्री राम हरख यादव** :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा तथा वैज्ञानिक कार्य विभाग के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) (क) और (ख) २६ फरवरी, १९६४ के राष्ट्रपति के आदेश के अन्तर्गत शिक्षा तथा विज्ञान के दो विभाग पहिले ही समाप्त कर दिए गए हैं जैसा कि वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण की दृष्टि से अत्यावश्यक था मंत्रालय के समूचे प्रशासनिक ढांचे का और अधिक सुव्यवस्थित आधार पर निर्माण करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

Shri Prakash Vir Shastri : In view of the fact that the song and Drama Division is under the Ministry of Information and Broadcasting, is it under contemplation to affiliate the cultural section under the Ministry of Education with the Information and Broadcasting Ministry ?

श्री मु० क० चागला : सूचना और प्रसारण मंत्रालय का किसी विषय के प्रति दृष्टिकोण शिक्षा मंत्रालय के दृष्टिकोण से भिन्न होता है । हमारा अधिक सम्बन्ध संस्कृति के शिक्षा सम्बन्धी पहलू से है तथा उनका प्रचार से ।

Shri Sidheshwar Prasad : Is the reorganisation of the Ministry of Education being done under the direct supervision of the hon. Minister or a separate Committee has been constituted for the purpose ?

श्री मु० क० चागला : समितियों के प्रति मेरा क्या दृष्टिकोण है, उसको माननीय सदस्य जानते हैं । मैंने किसी समिति की स्थापना नहीं की है, मैं स्वयं ही इस ओर ध्यान दे रहा हूं ।

Shri Yashpal Singh : Has the hon. Minister ever thought over it that lakhs of rupees now being wasted on cultural programmes should be utilised for education and military training ?

Mr. Speaker : Order, Order, Shri Vishram Prasad .

Shri M. C. Chagla : No wasteful expenditure would be incurred.

Shri Vishram Prasad : Keeping in view the prominence and utility of science, may I know whether any department such as the Department of Science, exists in the Ministry of Education so that science may achieve more prominence ? If not, is the Ministry considering the establishment of the same ?

Shri M. C. Chagla : This Ministry wants to give as much prominence to Science as it can and would do its best in this direction.

निरक्षरता को समाप्त करना

+

*७४३. **श्री राम हरख यादव :**
श्री महेश्वर नायक :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वयस्क निरक्षरता के साथ साथ निरक्षरता को समाप्त करने के लिये अब तक किए गए प्रयत्नों के राज्यवार क्या परिणाम निकले ;

(ख) तीसरी योजनावधि के अन्त तक कितनी प्रगति होने का अनुमान है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितना धन व्यय किया गया है तथा शेष योजनावधि में कितना धन व्यय करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन) : (क) प्रयत्नों का यह परिणाम निकला है कि साक्षरता की प्रतिशतता, जो कि १९५१ में की गई जनगणना के अनुसार तब १६.६ थी, १९६१ में जनगणना के अनुसार २३.७ हो गई। यह आशा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक शिक्षा की दिशा में किए गए अधिक प्रयत्नों के परिणामस्वरूप, साक्षरता की प्रतिशतता आज २८ से ३० तक पहुंच गई होगी। राज्यवार आंकड़े सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २५८२/६४]**

(ख) यह अनुमान किया जाता है कि तीसरी योजना अवधि की समाप्ति तक समूचे भारत में साक्षरता की प्रतिशतता ३५ तक हो जायेगी।

(ग) जानकारी सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २५८३/६४]**

श्रीमती यशोदा रेड्डी : क्या यह सच है कि हैदराबाद के एक विशेषज्ञ ने वयस्कों को सिखाने के लिये वर्णमाला की एक नयी प्रणाली तैयार की है और सरकार ने दिल्ली के निकट एक अग्रिम योजना चालू करने के लिये उसकी सेवाओं की प्राप्ति की मांग की है ....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या प्रश्न पूछने से पहिले किसी जानकारी का पूरा ब्योरा प्रदान करती हैं।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : नहीं तो वे हमारे प्रश्नों को कैसे समझेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बहुत सी बातों की जानकारी रखते हैं। प्रश्न सीधा ही करने का कष्ट करें।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : क्या केन्द्रीय सरकार ने उस विशेषज्ञ की सेवाओं की प्राप्ति की मांग की है और यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : मुझे पता है कि केवल आंध्र से ही नहीं अपितु महाराष्ट्र से भी, प्रौढ़ शिक्षा में भाग लेने वाले शिक्षा अधिकारियों ने इस सम्बंध में नये नये तरीके निकाले हैं कि वयस्क को किस प्रकार से शीघ्रातिशीघ्र शिक्षित किया जा सकता है। परन्तु मैं इस बारे में निश्चयपूर्वक नहीं कह सकती कि क्या उसकी सेवाओं की मांग की गई है।

Shri R. S. Pandey : May I know whether the arrangements existing in the towns for imparting education to semi-literate and illilterate adults would also be extended to the villages ?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : अवश्य, क्योंकि अशिक्षित व्यक्तियों का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है तथा यह कार्य राज्य सरकारें करती हैं। कार्यक्रम की गति बढ़ाने के लिये हम केन्द्र से अधिक धनराशि प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री स्वैन : क्या यह सच है कि सरकार एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसके अनुसार प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह प्रति वर्ष कम से कम एक अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षित बनाये अथवा इसके स्थान पर निरक्षरता को समाप्त करने सम्बंधी एक निधि में कुछ निश्चित धनराशि दे ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं और यदि हां, तो योजना के कब तक चालू किये जाने की सम्भावना है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री राम सेवक यादव ।

Shri Ram Sewak Yadav : The progress made in eradicating illiteracy is very slow. Is the Ministry considering a scheme to make each and every person literate in the country and under which some target date has been fixed for the purpose and if so, the details thereof ?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : कोई भी तिथि निर्धारित नहीं की गई है परन्तु हमने एक योजना बनाई है और उसको कार्यान्वित कर रहे हैं ताकि तीसरी योजना के अन्त तक हम साक्षरता की प्रतिशतता में काफी वृद्धि करने में सफल हो सकें । परन्तु आपातकाल के कारण धन उपलब्ध नहीं किया जा सका है और हमने राज्यों से प्रार्थना की है कि वे यथासंभव शीघ्र अपने संसाधनों के द्वारा अपनी योजनाओं को कार्य रूप प्रदान करें ।

श्री जसवन्त मेहता : क्या सरकार का ध्यान १९५१ तथा १९६१ की जनगणना के आंकड़ों की ओर आकृष्ट किया गया है जिनसे पता चलता है कि आबादी के साथ साथ अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ी है तथा निरक्षरता को समाप्त करने सम्बंधी प्रगति आबादी में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं हुई है और क्या मैं जान सकता हूं कि इस समस्या के समाधान के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : इस समस्या पर सोचने का यह एक भिन्न तरीका है कि निरक्षरता की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है । परन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि आबादी में इतनी तेजी से वृद्धि हुई है .....

अध्यक्ष महोदय : यही तो वे कहते हैं ।

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : इसीलिये तो हम इसके महत्व को अनुभव कर रहे हैं । पटल पर रखे गये विवरण से आपको पता चलेगा कि आबादी में बढ़ोतरी होने के बावजूद भी साक्षरता की प्रतिशतता बढ़ती जा रही है । शायद माननीय सदस्य महाराष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं । राज्यों के पुनर्गठन के बाद कुछ राज्यों में पिछड़े क्षेत्र भी आ गये हैं । अतः शेष राज्यों में समूचे राज्य में जो साक्षरता की प्रतिशतता है वह कुछ कम है । परन्तु मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकती हूं कि हम निरक्षरता की समस्या के प्रति बहुत अधिक जागरूक हैं और हम इसके हल के लिये सब कुछ करेंगे । हम विशेष निधियों की भी मांग कर रहे हैं ।

Shri Sarjoo Pandey : Have the Government prepared a list mainly of those states where illiteracy is the greatest ? If so, have the Government made some provision of funds for these satates in the next Five Year Plan ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह पूछ रहे हैं कि क्या उन राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिये जहां कि सबसे अधिक निरक्षरता है, कोई कदम उठाये गये हैं ?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : उन योजनाओं के लिये जहां कि प्राथमिक शिक्षा सम्बंधी कार्यक्रम संतोषजनक रूप से नहीं चल रहा है; निधियों का विशेष आवंटन करके इस कार्यक्रम को तेजी के साथ चलाया जाता है क्योंकि इसका भी केवल वयस्क साक्षरता पर ही नहीं अपितु समूची साक्षरता पर प्रभाव पड़ता है । अन्यथा, प्रौढ़ निरक्षरता को समाप्त करने के लिये प्रत्येक राज्य अपने तरीके से वयस्क शिक्षा कार्यक्रम को चला रहा है ?

श्री प्र० के० देव : विवरण से पता चलता है कि ऐसे राज्य जहां साक्षरता की प्रतिशतता २० से भी कम है हिन्दी भाषी राज्य है जैसा कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश। इस बात के बावजूद कि हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है तथा इसको बढ़ावा देने के लिये इतना कुछ व्यय किया जा रहा है, स्थिति ऐसी क्यों है ?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : यह इस कारण है कि वे अन्य राज्यों के समान, जो कि कुछ अधिक प्रगतिशील हैं, प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं कर सके हैं। अतः माननीय सदस्य द्वारा वर्णित राज्यों को प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिये सहायता प्रदान की जा रही है परन्तु वयस्क शिक्षा कार्यक्रम को एक प्रथक विषय के रूप मे लिया जाता है।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : क्या केन्द्रीय सरकार का ऐसे राज्यों को जो कि लड़कियों को सेकेन्डरी तथा कालिज शिक्षा निःशुल्क देने के लिए तैयार हैं, अधिक धन का आवंटन करने का विचार है ?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : यह बात भी हमारे ध्यान में है। इसको पृथक रूप से लिया जायेगा।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether Government have formed any organisation to impart education to those illiterate adults whoare living in those villages where schools and colleges exist ?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : जी हां। महाराष्ट्र ने ग्राम शिक्षा समिति का निर्माण करके इस दिशा में कदम उठाया है। कुछ अन्य राज्यों ने भी, जैसे कि उत्तर प्रदेश "साक्षरता गृह" आदि बनाकर इस ओर प्रयास किया है। अतः हम यह जानकारी अन्य राज्यों को भी प्रदान कर रहे हैं और उन से कह रहे हैं कि वे अपने साक्षरता कार्यक्रम की गति बढ़ायें। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह कार्य जितना तेजी से होना चाहिये, उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। यही कारण है कि वे एक व्यापक योजना बनाने तथा विशेष धन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इस कार्यक्रम में सहायता दे सकें।

डा० च० भा० सिंह : क्या वे व्यक्ति जो इस योजना के अन्तर्गत साक्षर हो जाते हैं उसके बाद शीघ्र ही निरक्षर हो जाते हैं ?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : इसीलिये तो नव साक्षर व्यक्तियों के लिये पुस्तकें तैयार करने की योजना चल रही है तथा उस कार्यक्रम के लिये हमें बाहर से भी थोड़ी सहायता प्राप्त हो रही है।

Shri Bade: It is indicated in the statement that due to paucity of funds illiteracy is on the increase in Madhya Pradesh. The Ministers there have said : प्रत्येक आदमी किसी को पढ़ाये—पिता पुत्री को, पति पत्नी को, तथा भाई बहन को। Funds are not available for this purpose. Have these remarksled to a decline in adult education in Madhya Pradesh ?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : आंकड़े दिये हुए हैं जिन से माननीय सदस्य पता लगा सकते हैं। १९५१ में प्रौढ़ साक्षरता ९.८ प्रतिशत थी तथा १९६१ में १६.९ प्रतिशत हो गई। शायद यह और भी बढ़ रही है। माननीय सदस्य द्वारा दिये गये अन्य सुझावों पर विचार करना राज्य का काम है।

Shri Yashpal Singh : Why does Government take this responsibility upon itself ? Why does it not lighten its burden by entrusting this work different Panchayats, District Boards and State Governments ?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : इस कार्य का पहिले ही विकेन्द्रीयकरण कर दिया गया है तथा प्रत्येक खंड में एक समाज शिक्षा संगठन है जिसका कार्य यह है कि वह यह देखे कि ग्राम समुदाय केन्द्र साक्षरता में वृद्धि करने की दिशा में हाथ बटायें ।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ८७-ख

\+

*७४५. **श्री डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री अल्वारेस :
श्री च० क०० भट्टाचार्य :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ८७-ख के बारे में ६ मार्च, १९६४ के फैसले के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा व्यक्त विचारों की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने उच्चत्तम न्यायालय द्वारा व्यक्त विचारों की ओर उचित रूप से ध्यान दिया है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने मामलों में भूतपूर्व राजा महाराजाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये इस प्रकार की अनुमति मांगी गई थी तथा कितने मामलों में अनुमति दी गई थी ?

श्री हाथी : शायद माननीय सदस्य १९४८ से ले कर आज तक के आंकड़े जानना चाहते हैं । मुझे खेद है कि ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या ऐसे मामलों में अनुमति प्रदान करने की कोई कसौटियां हैं और यदि हां, तो क्या हैं ?

श्री हाथी : कसौटियां सामान्यतया उच्चत्तम न्यायालय द्वारा सुझाये गये आधारों पर

जम्मू तथा काश्मीर

\+

*७४६. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि जम्मू तथा काश्मीर

के मुख्य मंत्री ने यह विचार व्यक्त किया है कि वह संविधान के अनुच्छेद ३७० के निरसन/अथवा निराकरण द्वारा राज्य के शेष भारतीय संघ के साथ पूर्ण एकीकरण किये जाने के पक्ष में हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) समाचार पत्रों में जो श्री जी० एम० सादिक का वक्तव्य प्रकाशित हुआ है, उसको मैंने देखा है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

श्री हरि विष्णु कामत : जम्मू तथा काश्मीर के नये मुख्य मंत्री के हाल के इस स्पष्ट वक्तव्य के बाद क्या अब भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि इस राज्य का शेष भारतीय संघ के साथ पूर्ण एकीकरण किये जाने के विरुद्ध हैं और यदि उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री से यह कहा है अथवा कहने का विचार है कि वे यथासंभव शीघ्र अनुच्छेद ३७० के खंड (३) के परन्तुक के अनुसार सरकार की सिफारिशों के अतिरिक्त राज्य विधान सभा की सिफारिशों को भेजकर एकीकरण के कार्य को शीघ्र पूरा करने में सहायता दें?

बिना विभाग के मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : श्री सादिक इस बारे में पहिले ही एक स्पष्ट वक्तव्य दे चुके हैं। मेरे विचार से इस चालू सत्र में अनुच्छेद ३७० से सम्बन्धित सम्पूर्ण विषय पर कार्यवाही कर लेना संभव नहीं हो सकेगा। विधान सभा शायद कल स्थगित हो जायेगी। जैसा कि माननीय सदस्य को पता होगा, वे दो मामलों पर विचार कर रहे हैं। एक मामला तो प्रधान मंत्री के नाम के स्थान पर मुख्य मंत्री नाम रखने से सम्बन्ध रखता है तथा दूसरा गवर्नर के नाम से। परन्तु विधेयक में केवल नाम बदलने के अलावा और भी कुछ व्यवस्था है तथा इसको प्रवर समिति को निर्देशित कर दिया गया है। मैं यह नहीं जानता कि कल क्या होगा। परन्तु श्री सादिक इस के लिये बहुत इच्छुक हैं कि ये दो संशोधन अवश्य किये जाने चाहियें।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों का कोई आधार है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री, शेख अब्दुल्ला, की रिहाई के प्रश्न पर सरकार जम्मू तथा काश्मीर सरकार के विचार-विमर्श से सक्रिय रूप से विचार कर रही है और यदि हां...

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : ... और यदि हां, तो एकीकरण के प्रश्न के प्रति शेख अब्दुल्ला के दृष्टिकोण सम्बन्धी भिन्न भिन्न खबरों को देखते हुए, क्या सरकार ने यह पता लगाने की चेष्ठा की है... **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। इस बारे में निर्णय करने की मुझे स्वतन्त्रता होनी चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, यह ठीक है। उनके दृष्टिकोण सम्बन्धी भिन्न भिन्न खबरों को देखते हुए क्या सरकार ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि उनका इस मामले के प्रति क्या दृष्टीकोण है ताकि उचित निर्णय लिया जा सके तथा बाद में यह न हो कि एकीकरण के कार्य में कठिनाई पैदा हो?

अध्यक्ष महोदय : यहां पर यह प्रश्न नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : कैसे नहीं, श्रीमान? यह प्रश्न एकीकरण के बारे में है?

अध्यक्ष महोदय : रिहाई के बारे में नहीं। क्या माननीय मंत्री इसका उत्तर दे सकेंगे? माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि एकीकरण के बारे में जो शेख अब्दुल्ला के विचार हैं क्या उनका पता लगाने की कोई कोशिश की गई है?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : वह जेल में हैं। हम उनसे नहीं मिले हैं और न ही हमने कुछ पता लगाया है।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के विदेश मंत्री के हाल के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि सुरक्षा परिषद् में हाल में हुए वाद-विवाद के बाद, सुरक्षा परिषद ने भारत सरकार से यह कहा है कि वह जम्मू तथा काश्मीर के एकीकरण के लिये किसी भी प्रकार का कोई कदम न उठाये?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : सुरक्षा परिषद् ने ऐसी कोई सूचना नहीं भेजी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो चाहे कह सकते हैं परन्तु हम अपनी ही नीति का अनुसरण करेंगे।

Shri Yashpal Singh: May I know the steps being taken by Government to counter the slogan of an independent Kashmir being raised all around?

Several hon. Members : Where is the slogan being raised ?

Shri Lal Bahadur Shastri: This is absolutely wrong that this slogan is being raised all around.

श्री अब्दुल गनी गोनी : भारतीय संविधान का अनुच्छेद ३७० एक अन्तर्कालीन, अस्थायी तथा विशेष अनुच्छेद है। माननीय प्रधान मंत्री, माननीय श्री चागला, माननीय श्री शास्त्री तथा जम्मू और आम्मीर के नये प्रधान मंत्री, श्री सादिक द्वारा दिये गये हाल के वक्तव्यों को देखते हुए....

अध्यक्ष महोदय : इतना लम्बा प्रश्न नहीं। समय पहिले ही समाप्त हो चुका है।

श्री अब्दुल गनी गोनी : बिना विभाग के माननीय मंत्री जी ने नवीनतम विधेयक का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अनुच्छेद को हटाया जा रहा है....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विज्ञान मंदिर

*७३६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान मंदिर लाभदायक सिद्ध हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो लोग इन विज्ञान मंदिरों की सेवाओं का किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं ;

(ग) क्या १९६४–६५ के दौरान कुछ नये विज्ञान मंदिर स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो कितने ; और

(घ) क्या इनको शिक्षा सस्थाओं से सम्बद्ध किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण व्यक्ति विज्ञान मंदिरों की सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं और अपने दैनिक जीवन में जैसे स्वास्थ्य, सफाई, खाद्यान्न, कृषि आदि वैज्ञानिक सिद्धान्तों को अपना रहे हैं। इन सिद्धान्तों को प्रदर्शन, वार्ताओं, फिल्म शो आदि के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों को विज्ञान मंदिरों का प्रशासन दे देने से नये विज्ञान मंदिर स्थापित करने का दायित्व राज्य सरकारों का है।

(घ) जब राज्य सरकारों को विज्ञान मंदिरों का प्रशासन सौंपा गया था तब यह समझा गया था कि विज्ञान मंदिरों का अलग अस्तित्व रखा जायेगा।

जम्मू में विस्फोट

*७४४. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १० जनवरी, १९६४ को जम्मू की सबसे बड़ी मस्जिद के निकट हुए विस्फोट की घटना की जांच के सिलसिले में पुलिस की सहायता के लिये सेना के कोई विशेषज्ञ बुलाये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में क्या जांच के क्या परिणाम निकले ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) राज्य अधिकारियों ने सेना के विशेषज्ञों का उसी प्रकार परामर्श लिया था जिस प्रकार ऐसे मामलों में विस्फोटक पदार्थ की किस्म के बारे में लिया जाता है। इस मामले में उनकी रिपोर्ट में दिया गया है कि प्रयोग में लाया गया विस्फोटक पदार्थ या तो टी० एन० टी० है अथवा प्लास्टिक है तथा लगभग २२५ ग्राम का प्रयोग किया गया था।

अम्बाला जेल में एक संसद-सदस्य के साथ दुर्व्यवहार

*७४७. **श्री नाथ पाई :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक-सभा के सदस्य, श्री कछवाय, के साथ पंजाब सरकार द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के आरोपों की और जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच किसने की थी ; **और**

(ग) जांच की क्या उपपत्तियां हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) पंजाब सरकार ने जांच करने के लिये जिलाधीश, अम्बाला के प्रतिनिधित्व किया है। राज्य सरकार से प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है। पुनः याद दिलाने पर राज्य सरकार ने बताया है कि एक गवाह सहायक मैडिकल अफसर अम्बाला से बाहर हैं इसलिए जांच पूरी नहीं हो सकी है।

ओटावा में राष्ट्रमंडल शिक्षा सम्मेलन

*७४८. **श्री कपूर सिंह :**
श्री प० ह० भील :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरा राष्ट्रमंडल शिक्षा सम्मेलन अगस्त, १९६४ के अन्तिम सप्ताह में ओटावा में होने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें चर्चा के मुख्य विषय तकनीकी शिक्षा तथा छात्रवृत्तियां हैं ; **और**

(ग) इन चर्चाओं से भारत को क्या लाभ होने की आशा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यसूची में तकनीकी शिक्षा, राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति तथा फैलोशित प्लान पर चर्चा होना रखा गया है ।

(ग) शिक्षा के मामले में राष्ट्रमंडलीय देशों में सहयोग होगा तथा विचारों का आदान प्रदान होगा क्योंकि सम्मेलन का यही उद्देश्य है और देश में बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास के लिये शिक्षा के आवश्यक होने के कारण ऐसा करना लाभ दायक और आवश्यक होगा।

(पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २५८५/६४)

National Laboratories

*749 { **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri P. R. Chakraverti :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the posts of Directors of several National Laboratories have been lying vacant since long ;

(b) if so, the names of such laboratories and since when these posts are lying vacant ; and

(c) the reasons therefor ?

The Minister of Education (**Shri M. C. Chagla**) **:** (a) Some posts have been lying vacant.

(b) & (c) A statement is laid on the Table of the House. (*Placed in the Library. Please see No. L.T.*—2584/64).

भारतीय वैज्ञानिकों के आविष्कार

*७५०. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या मूल खोजें तथा आविष्कार किये हैं; और

(ख) प्रत्येक खोज तथा आविष्कार के साथ किन-किन वैज्ञानिकों के नाम सम्बद्ध हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वैधशालाओं से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राजद्रोह के लिए प्राणदण्ड

*७५१. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ११ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ५३५ तथा उस पर अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम से कम संकट काल की अवधि में राजद्रोह, जासूसी तथा तोड़ फोड़ की कार्यवाही करने के लिये प्राणदण्ड निर्धारित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब विधान पुरःस्थापित करने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) यद्यपि विधान में राजद्रोह तथा जासूसी शब्द इस्तेमाल नहीं किए गए हैं परन्तु इस प्रकार के कार्यों तथा तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों को प्राणदण्ड का दण्ड देने की व्यवस्था की जा रही है। यह प्रतिरक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ५ के अधीन तथा भारतीय गोपनीय अधिनयम, १९२३ (प्रतिरक्षा अधिनियम की धारा ६ द्वारा संशोधन) के अधीन घोषित संकटकाल की अवधि के लिए किया जा रहा है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा १२१ के अधीन भी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिये प्राणदण्ड की व्यवस्था है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हजरतबल के पवित्र अवशेष की चोरी का मामला

*७५३. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजरतबल के पवित्र अवशेष की चोरी के मामले के अपराधियों की सुनवाई के लिए न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह कौन है ;

(ग) क्या किसी अन्य अपराधियों का पता लगाने के लिये और जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : इन मामलों पर जम्मू तथा और काश्मीर सरकार विचार कर रही है। राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किये जाने पर न्यायाधीश की सेवायें देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

विश्वविद्यालयों को अनुदान

१४९२. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संबंधित विश्वविद्यालयों को अनुदान तो दिये हैं परन्तु तीसरी योजनावधि में मैचिंग अनुदान नहीं दिया है;

(ख) ऐसे मामलों में स्वीकार की गई योजनायें किस स्थिति में हैं ;

(ग) क्या १९६२ में हुए उप-कुलपति सम्मेलन की सिफारिशों में दी गई बातों में केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी हां ।

(घ) पहले राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया था कि वह केन्द्रीय सरकार से विकास निधि में से धन लें और उसके बजाये उसके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दे दें जो शत प्रतिशत आधार पर सभी विश्वविद्यालयों की विकास योजनाओं में धन लगाये। राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया प्रतिकूल रही है ।

इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये यह संभव नहीं है कि राज्य क्षेत्र से केन्द्र क्षेत्र को धन दिए बिना उपकुलपतियों के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार शत प्रतिशत सहायता देना संभव नहीं है ।

अध्यापकों के लिए आदर्श सेवा नियम

१४६३. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९६२ में हुए उपकुलपति सम्मेलन में यह सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय तथा कालिज अध्यापकों के लिये आदर्श सेवा नियम बनाने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा काम किया गया है अथवा किया जा रहा है; और

(ख) क्या नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय तथा कालिज अध्यापकों के लिये नमूना सेवा नियम बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जन्म तथा मृत्यु की सांख्यिकी के सम्बन्ध में विधान

१४६४. श्री हेमराज : क्या गृह-कार्य मंत्री २१ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन्म तथा मृत्यु की सांख्यिकी के संबंध में विधान बनाने के लिये सभी राज्य सरकारों से उत्तर मिल गये हैं ; और

(ख) सरकार का कब विधान पुरःस्थापित करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित विधान का प्रारूप बनाया जा रहा है और आशा है कि संसद् के वर्तमान सत्र में इसको पुरःस्थापित करना संभव होगा ।

सैलम में विश्वविद्यालय

१४६५. श्री राजा राम : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सैलम के एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में वित्तीय सहायता देने के बारे में कहा है;

(ख) विश्वविद्यालय के लिए अनुमानतः कितने धन की आवश्यकता होगी; और

(ग) इस कार्य के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आरंभिक अवधि के लिये कितना धन देगा और यह कब उपलब्ध किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नये विश्वविद्यालय बनाने के लिए वित्तीय सहायता नहीं देता है। विश्वविद्यालय बन जाने के बाद स्वीकृत विकास कार्यों के लिए यह अनुदान देता है।

स्कूलों तथा कालिजों में आडिटोरियम

१४९६. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में अब तक उड़ीसा के विभिन्न स्कूलों तथा कालिजों में आडिटोरियमों के निर्माण के लिये कितनी रकम स्वीकार की गई है;

(ख) उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य के लिये १९६४–६५ में उस राज्य को कितनी रकम देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) १९,००० रुपये।

(ख) (१) वी० जे० बी० हाई स्कूल खुर्जा—९,००० रुपये।

(२) पी० एम० अकादमी, कटक १०,००० रुपये।

(ग) उड़ीसा के लिये स्वीकृत दो परियोजनायें, (उपरोक्त दोनों परियोजनाओं समेत) के लिये किश्तों में दी जाने वाली राशि ७१३९९ रुपये का भुगतान होना है। जब शर्तें निर्धारित कर दी जायेंगी तब इसका भुगतान कर दिया जायेगा।

उड़ीसा में निरधि-सूचित आदिमजातियों का कल्याण

१४९७. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में निरधि सूचित आदिम जातियों के कल्याण की योजनाओं को आरम्भ करने के लिये उड़ीसा के लिये क्या राशि स्वीकार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या धन का पूरा उपयोग कर लिया गया था और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) (क) जी, हां। (ख) १९६३–६४ वर्ष के लिये राज्य सरकार के लिए आवंटित राशि के राज्यवार आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :

योजना	(लाख रुपयों में) राशि
१. मैट्रिक पूर्व वृत्तिकाएं (स्ट्राइपेंड्स)	०.१०
२. रैजिडैन्शल स्कूल	१.१०
३. कालोनाइजेशन	०.३८
४. कृषि और औद्योगिक सहायता	०.२५
५. कुएं खोदना	०.३०
जोड़	२.१३

(ग) ३१ मार्च, १९६४ तक के व्यय के आंकड़े ३० जून, १९६४ तक उपलब्ध हो सकेंगे। परन्तु राज्य सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष में २.०३ लाख रुपया व्यय करने का है।

उड़ीसा में योग्यता छात्रवृत्तियां

१४९८. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अधीन १९६३-६४ के विश्वविद्यालय शिक्षा को जारी रखने के लिये गरीब विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति देने के लिये उड़ीसा सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) इस में से राज्य सरकार ने कितनी रकम व्यय की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अधीन उड़ीसा राज्य सरकार को १९६३-६४ के लिये ६८,००० रुपये का अनुदान दिया गया था। छात्रवृत्ति उन अभ्यर्थियों को दी गई थी जिन के मां बाप की आय १००० रुपये मासिक से कम हो।

(ख) ३१ मार्च, १९६४ तक ६२,५२० रुपया दिये जाने की संभावना है।

उड़ीसा में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

१४९९. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में उड़ीसा में पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादों की कितनी खपत है; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) यह अनुमान है कि १९६३-६४ में उड़ीसा में पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादों की १.२८ लाख टन खपत होगी।

(ख) भारत प्रतिरक्षा नियमों द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण ब्यौरा नहीं बताया जा सकता है।

Primary Education in U.P.

1500. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 610 on the 11th September, 1963 and state :

(a) whether the recommendations made by the Standing Committee of the Central Education Advisory Board regarding Primary Education in U.P. have since been received ;

(b) if so, the main points contained therein and decisions taken thereon ; and

(c) the decisions taken in resiect of giving more financial assistance to various States for Primary Education ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education(Smt. Soundram Ramachandran) : (a) The Standing Committee of the Central Advisory Board of Education for Primary Education has submitted an interim report.

(b) The main recommendations of the Committee regarding Primary Education in U.P. are as follows :—

(*i*) The State Government should adopt the double-shift system in classes I and II with a view to cover as large a number of children as possible within the means of the State.

(*ii*) The allocation made for elementary education in the Third Plan of the State would have to be increased by about Rs. 6 crores (from the original estimate of Rs. 32 crores to Rs. 38 crores).

(*iii*) If this amount of Rs. 6 crores is made available, it would be possible to work out a detailed programme for 1964-65 and 1965-66 and to provide for (*i*) opening of all the new schools needed; (*ii*) appointment of additional teachers in existing schools ; and (iii) improvement for the remuneration of teachers.

During 1963-64, an additional central grant of Rs. 50·57 lakhs was sanctioned to U.P. for appointment of additional teachers. The State Government has made an equal contribution.

During 1964-65, provision has been made for the continuance of the additional teachers appointed under 1963-64 (Rs. 86 lakhs) and for opening additional schools, increasing the programme of continuation education for girls and for expanding the programme of teacher-training (Rs. 96 lakhs).

(c) Grants-in-aid for appointment of additional teachers were made available to all States in 1963-64 on the basis of the number of non-attending children.

During 1964-65, an attempt was made to provide additional funds for elementary education on the lines of the recommendations of the Standing Committee, to the extent possible. The exact increase provided varies from State to State, depending on several factors such as the raising of local resources, demands from other competing sectors etc.

सीमा-क्षेत्रों का सवक्षण

१५०१. **श्री हेम राज** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने सीमा क्षेत्र का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिये गये और इनको किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) नेफा, किन्नौर (हिमाचल प्रदेश), लद्दाख (जम्मू और काश्मीर) तथा स्पिति और लाहौल (पंजाब) के सीमा क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर लिया गया है।

(ख) जांच से पता लगा है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग शेष देश से अलग-अलग रहे हैं और इनको देश के अन्य भागों के विकास कार्यक्रमों का कोई लाभ नहीं हुआ है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यक्रम जैसे कल्याण विस्तार परियोजना, चिकित्सा सहायता देना, प्रसूति सेवा, बालवाड़ी सुविधा, समाज शिक्षा तथा मनोरंजन सुविधा की व्यवस्था इन क्षेत्रों के लिए की गई है।

विस्थापित व्यक्तियों के लिए आयु सम्बन्धी रियायतें

१५०२. **श्री गुलशन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में होने वाली भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षा में क्या विस्थापित व्यक्तियों को आयु सम्बन्धी रियायतें दी जायेंगी?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : जी नहीं।

खम्भात की खाड़ी का सर्वेक्षण

१५०३. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम गैस की खोज के लिए खम्भात की खाड़ी का सर्वेक्षण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कितना हो चुका है; और

(ग) सर्वेक्षण को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). खम्भात की खाड़ी के रेतीले तटों का सर्वेक्षण किया गया हैं यह तट लहरों के नीचे रहने की अवधि में किया गया था और पानी के नीचे की जमीन का सर्वेक्षण हाल में ही आरम्भ किया गया है।

(ग) आशा है कि खम्भात की खाड़ी का सर्वेक्षण अप्रैल, १९६५ तक पूरा हो जायेगा ?

अखिल भारतीय संयुक्त स्कूल संगठन

१५०४. **श्री धवन** :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय संयुक्त स्कूल संगठन का सम्मेलन दिसम्बर, १९६३ में दिल्ली में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या निर्णय लिये गये थे ;

(ग) क्या संगठन ने सरकार को कोई सुझाव भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां। संगठन का तेरहवां वार्षिक सम्मेलन, २२ से २५ दिसम्बर, १९६३ तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुआ था।

(ख) सम्मेलन में पारित संकल्प की प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-२५८५/६४]**

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रव्य-दृश्य शिक्षा समिति

१५०५. श्री यशपाल सिंह : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रव्य-दृश्य शिक्षा समिति की बैठक नई दिल्ली में दिसम्बर, १९६३ में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य निर्णय किये गये ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) बोर्ड की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :

(१) राष्ट्रीय श्रव्य-दृश्य शिक्षा बोर्ड की एक स्थायी समिति बनाना जो केन्द्र में और राज्यों में श्रव्य-दृश्य शिक्षा के विस्तार के बारे में समस्याओं पर विचार करेगी ताकि चतुर्थ योजना-काल के अन्त तक देश में सभी शिक्षण संस्थाओं में श्रव्य-दृश्य सुविधाएं और प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध कराये जा सकें।

(२) राष्ट्रीय शिक्षा संस्था के चारों रीज़नल प्रशिक्षण कालिजों में श्रव्य-दृश्य वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग में अध्यापकों को प्रशिक्षण देने और मौजूदा राज्य श्रव्य-दृश्य केन्द्रों/यूनिटों को अपने प्रशिक्षण और उत्पादन कार्यक्रम बढ़ाने के लिये सबल बनाने के लिये प्रशिक्षण-एवं-उत्पादन केन्द्र स्थापित करना।

(३) "स्कूल एडिशन आफ़ दि स्टडी किट्स" का बड़े पैमाने पर उत्पादन, जिसका नमूना राष्ट्रीय श्रव्य-दृश्य शिक्षा संस्था द्वारा गैर-सरकारी उत्पादकों के जरिये बनाया गया है, और विभिन्न राज्य श्रव्य-दृश्य शिक्षा विभागों द्वारा अपने राज्यों के बारे में 'स्टडी किट्स' तैयार करना।

(४) वर्ष १९६१-६२ में संस्था में चलाये गये यूनेस्को वर्कशाप के नमूने पर कम लागत की दृश्य-सामग्री उत्पादन करने में राष्ट्रीय श्रव्य-दृश्य शिक्षा संस्था द्वारा अल्प-कालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना।

(५) राष्ट्रीय श्रव्य-दृश्य शिक्षा संस्था और राज्य श्रव्य-दृश्य सेक्शनों द्वारा श्रव्य-दृश्य उपकरणों की मरम्मत और संधारण में अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिये तकनीकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लागू करना।

(६) विश्वविद्यालय स्तर पर श्रव्य-दृश्य केन्द्र और फिल्म पुस्तकालय स्थापित करना।

(७) सभी श्रव्य-दृश्य उपकरणों को उद्योग विकास और विनियम अधिनियम के "अनुसूचित उद्योगों" के समान बनाना।

(८) आकाशवाणी के शिक्षण प्रसारणों के लिये चित्र-सामग्री तैयार करना।

(९) सभी राज्यों में राष्ट्रीय श्रव्य-दृश्य शिक्षा संस्था द्वारा हर वर्ष स्थानीय उत्पादित श्रव्य-दृश्य सामग्री की अखिल भारत प्रदर्शनी करने के साथ-साथ श्रव्य-दृश्य शिक्षा के प्रभारी पदाधिकारियों के लिये लगभग एक सप्ताह के लिये वर्कशाप-एवं-गोष्ठी का आयोजन करना।

मद्रास के निकट उर्वरक कारखाना

१५०६. श्री यशपाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास शहर के निकट एक नैफ्था-आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कारखाने में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा; और

(ग) इसमें कितने उर्वरक का उत्पादन होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). चतुर्थ योजना में मद्रास में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

पुंछ क्षेत्र में तेल

१५०७. श्री यशपाल सिंह :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर की राज्य सरकार ने पुंछ क्षेत्र में तेल संसाधनों का पता लगाने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). जी, नहीं; बल्कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार के भूभौतिकीय और खनन परामर्शदाता ने आयोग का ध्यान पुंछ के उत्तर-पूर्व क्वास्बा क्षेत्र में तारकोल-मिश्रित लाइमस्टोन के होने की ओर आकृष्ट किया है । आयोग का इसके बारे में चालू क्षेत्र मौसम में जांच करने का प्रस्ताव है ।

कथित जासूस पर मुकदमा

१५०८. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या गृह-कार्य मंत्री एक कथित जासूस की गिरफ्तारी के बारे में २३ जनवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुकदमा समाप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). जांच से अपराधी के विरुद्ध कुछ भी साबित नहीं हो सका । उनको छोड़ दिया गया है ।

उर्वरक कारखाने

१५०९. { श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री हेडा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री १८ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उद्योग सम्बन्धी आयोजन दल ने तब से चतुर्थ योजना-काल में उर्वरक के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता बनाने के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य प्रस्ताव क्या हैं; और

(ग) विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के बारे में चतुर्थ योजना में उत्पादन के क्या लक्ष्य हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) और (ग). इस समय ये प्रश्न ही नहीं उठते।

उर्वरक उद्योग का विकास

१५१०. { श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री १८ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तब से सम्मेलन की कार्यवाही का विश्वस्त प्रतिवेदन मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या मुख्य सिफारिशें की गयीं; और

(ग) इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए क्या कार्यवाही की गयी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). जी, हां। इस प्रतिवेदन की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) प्रतिवेदन का अध्ययन किया जा रहा है।

ड्रिलिंग रिग

१५११. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री महेश्वर नायक :
श्री सुधांशु दास :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ड्रिलिंग रिगों के लिये मरम्मत की दुकानें स्थापित कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी दुकानें स्थापित की गयी हैं;

(ग) क्या देशी सामग्री से भी रिगों का निर्माण किया जाता है; और

(घ) इन सभी रिगों के स्थान पर भारी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में निर्मित बढ़िया किस्म के रिग कब दिये जायेंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ख). जी, हां। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अंकलेश्वर, कैम्बे, अहमदाबाद और सिबसागर में चार परियोजना मरम्मत वर्कशाप स्थापित किये हैं। बड़ौदा में भी एक सेन्ट्रल कैपिटल रिपेयर वर्कशाप स्थापित किया जा रहा है।

(ग) और (घ). जी, नहीं। तथापि, वर्ष १९६५ में भारी मशीन-निर्माण संयंत्र, रांची में देशी सामान से तेल छिद्रण रिग बनाना आरम्भ करने का प्रस्ताव है परन्तु अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि वर्तमान रिगों को पूर्णत: कब तक बदला जायेगा।

दिल्ली में क्रीड़ा ग्राम

१५१२. श्री गो० महन्ती : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारत खेल-कूद परिषद् ने दिल्ली में एक क्रीडा ग्राम स्थापित करने के लिये एक उपयुक्त प्लाट ले लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). क्रीड़ा ग्राम के लिये राजघाट के दक्षिण में ११० एकड़ का एक प्लाट लिया गया है। तथापि, सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय ने दिल्ली विद्युत् संभरण उपकरण को देने के लिये कुछ भूमि छोड़ने को कहा है। यह मामला विचाराधीन है और निर्णय होने तक, अभी तक, इस परियोजना का ब्योरा तैयार करने में कोई प्रगति संभव नहीं है।

तकनीकी शिक्षा की आलोचना

१५१३. श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री द्वारा इंजीनियर इंस्टीट्यूट की ३७वीं वार्षिक बैठक में दिये गये भाषण को पढ़ा है जिसमें तकनीकी संस्थाओं में तकनीकी प्रशिक्षण तरीकों को पुराना बता कर उनकी आलोचना की गयी है;

(ख) क्या वह भी इस वक्तव्य से सहमत हैं; और

(ग) यदि हां, तो तरीकों को सुधारने के लिये और युवा इंजीनियरों को ठीक प्रकार से प्रशिक्षण देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). केन्द्रीय इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री ने मुख्य रूप से यह आलोचना की थी कि कुछ कालिजों और विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग का डिग्री पाठ्यक्रम का सिलेबस पुराना हो गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति को देखते हुए पाठ्यक्रम और सिलेबस का बराबर पुन-विलोकन करने की आवश्यकता को माना गया है। अखिल भारत तकनीकी शिक्षा परिषद् ने इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में तकनीकी अध्ययन बोर्ड स्थापित किये हैं और ये बोर्ड संस्थाओं के मार्ग-दर्शन के लिये आदर्श सिलेबस तैयार करते हैं और समय समय पर

उनका पुनर्विलोकन करते हैं । स्नातकोत्तर स्तर पर, एक विशेष समिति की सिफारिश पर इस स्तर की विभिन्न संस्थाओं में पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन किया जा रहा है ताकि इंजीनियरों और प्रौद्योगविज्ञों को वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित किया जा सके । पुनर्गठन की योजना को अखिल भारत प्रविधिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत स्थापित स्नातकोत्तर इंजीनियरिंग शिक्षा और अनुसंधान बोर्ड की सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश के गंगा बेसिन क्षेत्र में तेल

१५१४. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने उत्तर प्रदेश के गंगा बेसिन क्षेत्र में तेल की संभावनाओं का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) और (ख). अभी भूतत्वीय सर्वेक्षण किया जा रहा है और अभी से निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

Swimming Pools in Delhi

1515. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that swimming pools are being constructed in Delhi ;

(b) if so, the number of pools to be constructed ; and

(c) the expenditure to be incurred thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) (*i*) Two by Delhi Municipal Corporation, of which one has been completed, and

(*ii*) three by New Delhi Municipal Committee, of which two are under construction.

(c) About Rs. 9,50,000.

Fertiliser Factories in Rajasthan

1516. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Karni Singhji :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the proposal to set up a fertiliser factory at Hanumangarh in Rajasthan has been deferred and instead a proposal to have two factories in Rajasthan is under the consideration of Government ; and

(b) If so, the places where the proposed factories are to be set up and the amount to be spent ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) and (b) The party to whom a licence was granted for the

establishment of a fertilizer factory at Hanumangarh in Rajasthan has approached Government for permission to change the location to Kota. The economics of the suggested change, and also of other suitable locations in the region, are under examination.

संघ राज्य क्षेत्र

१५१७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन संघ राज्यक्षेत्रों में विधान सभायें स्थापित की गयी हैं, क्या उनका दरजा समान है ;

(ख) यदि हां, तो कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के मुखियाओं का पद नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर और कुछ का मुख्य आयुक्त क्यों रखा गया है ; और

(ग) क्या सरकार संघ राज्यक्षेत्रों के मुखियाओं के पद नाम और श्रेणी में इस भेद को दूर करने के लिये कदम उठायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग). संघ राज्य क्षेत्र में विधान सभायें संघ राज्य-क्षेत्र शासन अधिनियम, १९६३ के अन्तर्गत बनायी गयी हैं और उनका सभी राज्य-क्षेत्रों में समान दरजा है। संविधान के अनुच्छेद २३९ में हर राज्य-क्षेत्र के लिये एक प्रशासक नियुक्त करने और उसका जो भी पदनाम वह रखना चाहें, ऐसा करने का अधिकार है। "लेफ्टिनेंट गवर्नर" और "मुख्य आयुक्त" शब्द प्रशासकों के पद-नाम हैं। पद-नाम हर मामले की परिस्थिति देखते हुए रखे जाते हैं। तथापि, प्रशासकों के पद-नाम भिन्न होने से संघ राज्य-क्षेत्रों की विधान सभाओं के दरजे में कोई अन्तर नहीं आता ।

मनीपुर में सतर्कता समिति

१५१८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र मनीपुर ने हाल ही में एक सतर्कता समिति बनायी है जिसके सभापति मुख्य आयुक्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्र सरकार ने राज्यों को और संघ राज्य क्षेत्रों को सतर्कता आयोग बनाने के निदेश दिये हैं, यह समिति किस हद तक विधिमान्य होगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) मनीपुर प्रशासन से जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) संघ-राज्य क्षेत्रों को ऐसे कोई निदेश नहीं दिये गये हैं ।

नई दिल्ली में नेशनल थियेटर

१५१९. **श्री महेश्वर नायक** ;
श्री राम हरख यादव .

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में सेंट्रल विस्तार राष्ट्रीय संग्रहालय के सामने नेशनल थियेटर बनाने की योजना काफी अन्तिम स्थिति में है और इस परियोजना के प्रभारी आर्किटेक्ट

उन देशों में थियेटरों के डिजाइन और संरचना का अध्ययन करने के लिये शीघ्र ही जापान और अमरीका जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का प्राक्कलित व्यय क्या है और इस थियेटर से क्या राष्ट्रीय उद्देश्य सिद्ध होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां । इस समय नेशनल थियेटर को राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग के सामने स्थापित करने का प्रस्ताव है। सम्बन्धित आर्किटेक्ट किसी और काम से अमरीका गए हैं परन्तु भारत वापस आते समय वह जापान वहां के थियेटरों के नमूनों का अध्ययन करने जायेंगे ।

(ख) परियोजना का प्राक्कलित व्यय ५० लाख रुपये हैं । नेशनल थियेटर का उद्देश्य राष्ट्रीय जीवन और सांस्कृति की अधिव्यक्ति के तौर पर नाटक का विकास करना है ।

कुतुब मीनार

१५२०. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको कुछ इतिहासवेत्ताओं के इस तर्क का पता है कि कुतुब मीनार का मूलतः निर्माण तीसरी शताब्दी में समन्द्रगुप्त द्वारा कराया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह तर्क किस सामग्री पर आधारित है ; और

(ग) क्या इस तर्क और इसकी सत्यता की आलोचनात्मक परीक्षा के लिये कोई प्रयत्न किए गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) सामग्री अनुमान पर आधारित है ।

(ग) इसके समर्थन में कोई पुरातत्वीय अथवा दस्तावेज साक्ष्य नहीं हैं ।

स्टेडियम

१५२१. श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
डा० सारदीश राय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक केन्द्रीय सहायता से कितने स्टेडियम बनाये गये हैं ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सहायता के लिये क्या शर्तें रखी गयी हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) तीसरी योजना के दौरान १९ स्टेडियम पूरे किए गए इनका निर्माण कार्य दूसरी योजना में आरम्भ हुआ था, और तीसरी योजना में मंजूर किये गये २३ स्टेडियम इस समय बन रहे हैं ।

(ख) कैम्पस कार्य परियोजना योजना के अन्तर्गत सेकेंडरी स्कूलों और इससे ऊपर की शिक्षण संस्थाऐं, जो तीन साल पुरानी हों और जिनकी अपनी इमारतें और इस परियोजना के लिये अपनी

भूमि हों, यह अनुदान लेने की हकदार हैं। इसके लिये लागत का ७५ प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता दी जाती है जिसमें ऐच्छिक श्रम शामिल नहीं र, जो कि निर्माण लागत के ५ प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये और अधिक से अधिक यह रकम २५,००० रुपये होगी।

उपयोगित स्टेडियम योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों, राज्य खेल-कूद परिषदों और राष्ट्रीय खेल-कूद फेडरेशनों को अनदान मंजूर किए जाते हैं। केन्द्रीय अंश निर्माण की लागत का लगभग ५० प्रतिशत है जिसकी अधिकतम सीमा २५,००० रुपये है।

Indian Institute of Bio-chemistry and Experimental Medicine

1522. **Shri Kishen Pattnayak :**
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any proposal to shift Indian Institute of Bio-chemistry and Experimental Medicine from Yadavpur to Kalyani is under consideration;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether this decision has been taken by the executive committee of Council of Scientific and Industrial Research ; and

(d) whether the Director of the Institute has been consulted on this point ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (d). The whole question of shifting the Institute from Jadavpur to Kalyani was considered by the Governing Body of the Council of Scientific and Industrial Research at its meeting held on 24th March, 1964. The Governing Body has appointed a Committee of Experts to go into the question whether the Institute should continue to remain at Jadavpur or be shifted to Kalyani.

"Annals" of Indian Institute of Bio-chemistry and experimental Medicine

1523. **Shri Kishen Pattnayak :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the publication of 'Annals' being brought out by the Institute of Bio-chemistry and Experimental Medicine, Calcutta has been discontinued but is being published from Delhi in a different form;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether there are such Institutes under C.S.I.R. which have a right to bring out their own bulletins or magazines ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) The Annals of Bio-chemistry and Experimental Medicine which was being published by the Indian Institute for Bio-chemistry and Experimental Medicine will now be published by the Publications Directorate of the Council of Scientific and Industrial Research under the title "Indian Journal of Bio-chemistry (formerly Annals of Bio-chemistry and Experimental Medicine)".

(b) This is being done in accordance with the decision taken by the Governing Body of the Council of Scientific and Industrial Research at its meeting held on 25-10-1963 and reaffirmed at its meeting held on 24-3-1964.

(c) In accordance with the decision of the Governing Body, individual Laboratories/Institutes are permitted to issue bulletins containing information of value of industry or house journals, but not research publications.

रूस के शिक्षा मंत्री का दौरा

१५२४. **श्री राम हरख यादव :**
श्री बसवन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के शिक्षा मंत्री दिल्ली आ गए है ;

(ख) क्या उनको भारत सरकार ने निमंत्रण दिया था ;

(ग) यदि हां, तो उनके दौरे का क्या उद्देश्य है ; और

(घ) इन उद्देश्यों की कहां तक प्राप्ति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी हां, । रूस के उच्चतर और विशेष माध्यमिक शिक्षा मंत्री २६ फरवरी, १९६४ को दिल्ली आये औ॰ ६ मार्च, १९६४ को वापस चले गये ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ).उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य द्वितीय दीक्षांत समारोह में भाग लेना और भारतीय प्रौद्योगिक संस्था बम्बई की प्रगति देखना था, जो यूनेस्को के जरिए दी गयी द्विपक्षी आधार पर रूस की सहायता से स्थापित की गयी है ।

सिन्ध् पुनर्वास निगम

१५२५. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :**
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्ध पुनर्वास निगम के मैनेजिंग डाइरेक्टर को गांधीधाम के विकास के लिये **लिये** गए प्रयुक्त होने वाले आयात लाइसेंस से प्राप्त लाखों रुपये का बिजली का सामान चौर बाजार में बेचने के लिये विशेष पुलिस संस्थान ने गिरफ्तार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में दोष सिद्ध हो गयी है और क्या अपील में उच्च न्यायालय ने सजा में वृद्धि कर दी है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि यह मैनेजिंग डाइरेक्टर तीन वर्षों तक बीमारी के आधार पर कानून से बचता रहा और गवर्नर से क्षमा प्राप्त करने तक कभी भी जेल नहीं गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) मैनेजिंग डाइरेक्टर को जेल नहीं भेजा गया बल्कि वह १३-१२-१९६१ तक, जब कि उनको पैरोल पर रिहा किया गया, सेंट जार्ज अस्पताल, बम्बई में एक रोगी के रूप में दाखिल रहे। बम्बई के गवर्नर द्वारा संविधान के अनुच्छेद १६१ के अन्तर्गत क्षमा प्रदान किए जाने तक वह पैरोल पर रहे ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार

१५२६. **श्री हिम्मत सिंहजी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार ने एक परिपत्र जारी करके कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उस से साइकिल टायर और ट्यूब खरीदने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि एक महीने से ज्यादा समय बीत जाने पर भी कोई टायर या ट्यूब सरकारी नौकरों को नहीं दिया गया ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) २० जनवरी, १९६४ को एक परिपत्र जारी किया गया था कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सीमित मात्रा में स्टोर में साइकिल टायर और ट्यूब बेचे जायेंगे ।

(ख) स्टोर को सिर्फ २०० टायर और २०० ट्यूब का माहवार कोटा मिल सका है। अभी तक दो खेप प्राप्त हुई हैं और वे तुरन्त ही बिक गयीं

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह

१५२७. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह जानते हैं कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने १९४४ में अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह को अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाने के बाद उनका नाम स्वराज और शहीद द्वीपसमूह रखा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके नाम में नेताजी द्वारा किये गये परिवर्तन को अपनाने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) (क) सरकार को जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Restricted Holidays

1528 **Shri Kachhavaiya :**
Shri Gokaran Prasad :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that four restricted holidays were allowed a year to Central Government Employees prior to 1962 ; and

(b) if so, the reasons for reducing them to two with effect from 1963 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). Prior to 1960, four days were declared as 'restricted holidays'. However, only members of coummunity to whom a particular holiday pertained could avail of it. This in effect meant that no one could avail of more than one 'restricted holiday' and that too only members of certain communities. As against this, two holidays out of the prescribed list of 'restricted holidays' are now available to each Central Government employee irrespective of the community to which he belongs.

श्री आर० पी० कपूर की मुअत्तिली

१५२९. **श्री कपूर सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इससे पहले कि श्री आर०पी० कपूर आई०सी० एस० को मुअत्तिल करने के लिये आदेश जारी किये गये, क्या केन्द्रीय सरकार ने उनसे कोई बयान मांगा था ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या वह सरकारी नौकरों से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). जी नहीं ।

हैदराबाद में प्रादेशिक प्रौद्योगिकी संस्था

१५३०. **श्री लक्ष्मी दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में एक प्रादेशिक प्रौद्योगिक संस्था (रीजनल इंस्टीट्यूट आफ टेकनोलाजी) खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). वारंगल में एक प्रादेशिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया गया है और दूसरे किसी प्रादेशिक इंस्टीट्यूट के लिये राज्य सरकार से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

N. C. C. Shooting ranges in U.P.

1531. Shri Rananjai Singh : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the grants given by the University Grants Commission for setting up N.C.C. shooting ranges in various districts of Uttar Pradesh are subject to the condition that the ranges must be set up by the 31st March, 1964 ; and

(b) if so, whether this time limit will be extended if any of the ranges is not set up by the 31st March, 1964 due to non-availability of cement ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) The grants paid by the University Grants Commission for the purpose are to be utilised by the 31st March, 1964.

(b) The question of extending the time limit beyond 31st March, 1964 is under consideration of the University Grants Commission in consultation with the Planning Commission.

अखिल भारतीय शिक्षक संघ

१५३२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या शिक्षा मंत्री हि बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय शिक्षक संघ (आल इंडिया टीचर्स फेडरेशन) से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां, आल इंडिया सेकन्डरी टीचर्स फेडरेशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) मांगें इस प्रकार हैं :

(१) देश में माध्यमिक शिक्षा के स्तर और ढांचे मे एकरूपता होनी चाहिये ।

(२) विभिन्न राज्यों में सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों के एक से वेतन क्रम और सेवाशर्तें होनी चाहिये ।

(३) समान आधार पर शिक्षकों को सेवा की उचित सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिये ।

(४) ग़ैर-सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिये पेन्शन योजना लागू की जानी चाहिये ।

(५) एक माध्यमिक शिक्षा अनुदान आयोग कायम किया जाना चाहिये ।

(६) राज्य विधान परिषदों में अध्यापकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्थान कायम रखें जायें ।

(७) सभी राष्ट्रीय तथा परामर्शदातृ तथा मंत्रणा निकायों में, खासकर शिक्षा सम्बन्धी विकास का विवेचन करने वाली संस्थाओं में अध्यापकों के संगठनों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये ।

सभी मांगों को दर्ज कर दिया गया है ।

वयस्क अंधों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

१५३३. **श्री अ० व० राघवन** :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में वयस्क अंधों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कौन सी जगह चुनी गयी है ; और

(ग) वह केन्द्र कब स्थापित किया जायगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) जगह अभी तक चुनी नहीं गयी है ।

(ग) सभवत: १९६४–६५ में केन्द्र का काम शुरू होगा ।

रिहायशी स्कूलों को अनुदान

१५३४. { श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ चुने हुए रिहायशी स्कूलों को अनुदान देने की कोई योजना है जिससे वे अपनी शैक्षणिक तथा रिहायशी सुविधाओं में सुधार कर सकें ;

(ख) यह योजना कब कार्यान्वित की जायगी ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कौन कौन से स्कूल चुने गये हैं और इस योजना के लिए कितनी रकम मंजूर की गयी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) १९६४–६५ ।

(ग) निम्नलिखित संस्थाओं को चुना गया है और १९६४–६५ में ४ लाख रुपये का अनुदान दिये जाने का अनुमान है :—

(१) भोंसला सैनिक स्कूल, नासिक (महाराष्ट्र)

(२) श्री रामकृष्ण विद्याशाला, मैसूर (मैसूर राज्य)

(३) विद्या भवन, उदयपुर (राजस्थान)

(४) कोलविन तालुकदार्स कालेज, लखनऊ (उत्तर-प्रदेश)

(५) रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, पुरुलिया (पश्चिम बंगाल)

(६) रामकृष्ण मिशन बॉयज होम, रहारा (पश्चिम बंगाल)

भारतीय सांख्यिकीय सेवा

१५३५. श्री वी० बं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) भारतीय सांख्यिकीय सेवा बनाये जाने के संबध में आगे और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस समय यह मामला किस स्थिति में है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) भारतीय सांख्यिकीय सेवा बनायी जा चुकी है और उसकी प्रारंभिक दशायें नियुक्तियां १८ फरवरी, १९६४ को भारत के गजट में अधिसूचित भी की गयी है । ज्यों ही कुछ औपचारिकताएं पूरी हो जायेंगी, कुछ और नियुक्तियां अधिसूचित की जायेंगी ।

लड़कों और लड़कियों के लिए पोलीटेकनीक

१५३६. श्री दलजीत सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९६३ के अन्त में पंजाब में लड़कों और लड़कियों के लिए कितने पोलीटेकनीक काम कर रहे थे और वे कहां-कहां हैं ;

(ख) क्या १९६४-६५ में उनकी संख्या बढ़ाने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) दिसम्बर, १९६३ के अंत में, पंजाब में निम्नलिखित १७ पोलीटेकनीक काम कर रहे थे :

१. पंजाब पोलीटेकनीक, निलोखेड़ी ।

२. सरकारी पोलीटेकनीक, अम्बाला ।

३. सरकारी पोलीटेकनीक, चंडीगढ़ ।

४. सरकारी पोलीटेकनीक, झज्जर ।

५. सरकारी पोलीटेकनीक, सिरसा ।

६. जगत राम सरकारी पोलीटेकनीक, होशियारपुर ।

७. थापर पोलीटेकनीक, पटियाला ।

८. गुरु नानक इंजीनियरिंग कालेज, लुधियाना ।

९. मेहरचन्द पोलीटेकनीक, जालन्धर ।

१०. रामगढ़िया पोलीटेकनीक, फगवाड़ा ।

११. एस० डी० पोलीटेकनीक, बैजनाथ ।

१२. विश्वकिर्मा इंस्टीट्यूट आफ इंजीनिअरिंग टेक्नोलोजी, लुधियाना ।

१३. छोटूराम पोलीटेकनीक, रोहतक ।

१४. वैश टेकनीकल इंस्टीट्यूट, रोहतक ।

१५. सरकारी पोलीटेकनीक गुरु तेग बहादुर चंडीगढ़ ।
(भरती सेन्ट्रल पोलीटेकनीक, चंडीगढ़ में की गयी) ।

१६. सरकारी पोलीटेगनीक, हमीरपुर । (भरती जगतराम सरकारी पोलीटेकनीक, होशियारपुर, में की गयी) ।

१७. महिलाओं के लिए सरकारी पोलीटेकनीक, चंडीगढ़ ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार की तीसरी पंचवर्षीय योजना में योजना की अवधि के अन्त तक पांच और पोलीटेकनीक स्थापित करने की व्यवस्था है । इनमें से चार पोलीटेकनीक बटाला, रेवाड़ी, अमृतसर और फरीदाबाद में होंगे । पांचवें पोलीटेकनीक का स्थान अभी निश्चित करना है ।

दिल्ली में आग की दुर्घटना

१५३७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १० मार्च, १९६४ को दिल्ली में सब्जीमण्डी के पास मलकागंज में आग दुर्घटना में लगभग १५० परिवार बेघरबार हो गये, एक आदमी मर गया और कुछ जख्मी हुए ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या है ; और

(ग) उपर्युक्त परिवारों को फिर से बसाने के लिए क्या केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां । कुल १२६ झुग्गियां जल गयीं जिससे लगभग ५०० लोग बेघरबार हो गये । एक आदमी मर गया और अन्य दो आदमियों को मामूली घाव पहुंचे ।

(ख) दुर्घटना आग लगने के कारण हुई जो साइकिल टायरों के लिए प्लास्टिक कोटेज रबड़ पार्टस तैयार करने के लिए बनायी गयी झोंपड़ी में लग गयी ।

(ग) कोई केन्द्रीय सहायता देने का प्रश्न नहीं है । दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ने निम्न-लिखित सहायता उपाय मंजूर किये हैं :—

(१) प्रत्येक पीड़ित परिवार को २५ रुपये का नकद अनुदान

(२) मृत व्यक्ति के परिवार को १०० रुपये का अनुदान

(३) पीड़ित परिवारों को भोजन, पीने का पानी, और मकान दिलाने की व्यवस्था ;

(४) चिकित्सा संबंधी तथा सफाई की सुविधाएं ।

दास आयोग

१५३८. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दास आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश करने का समय बढ़ाने के लिए कहा है ; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने समय बढ़ाया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) अब तक की प्रगति पर विचार करते हुए, रिपोर्ट पेश करने का समय आयोग के परामर्श से १ जून, १९६४ तक बढ़ा दिया गया है ।

Syllabus for Basic Education

1539. Shri B. P. Sinha : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of States where basic education syllabus as recommended by Dr. Zakir Hussain has been prescribed ; and

(b) the extent to which this experiment has been successful ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) :(a) & (b) The concept of Basic Education as defined in the report of the Basic National Education Committee (popularly known as Zakir Hussain Committee) and elucidated by the Central Advisory Board of Education with some modifications, has been accepted as the national pattern of education for the elementary stage by all States and Union Territories.

Some progress has been made in this programme. In 1950-51, there were 33,761 Basic schools in the country (33,379 junior and 388 senior). Their number rose to 47,813 (42,971 junior and 4,842 senior) in 1955-56 and to 76,787 (62, 519 junior and 14,268 senior) at the beginning of the third Plan.

To complement the programme of conversion of elementary schools into basic ones, the States have also taken steps to introduce activities and such of the features of Basic Education as do not require large financial outlays and highly trained personnel. This programme known as 'orientation programme' has been included in the Third Five Year Plan and is being implemented by the States. It is hoped to be completed by the end of the third plan.

दाव की चौकी

१५४०. **श्री हेम बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में दादरी में सीमावर्ती सुरक्षा सेना की चौकी अभी हाल में जला दी गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस घटना की कोई जांच अभी तक की गयी है और उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : . (क) जी हां ।

(ख) सीमावर्ती सुरक्षा सेना के कमाण्डेन्ट ने इस घटना की जांच की थी और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि वह अचानक आग लग जाने का मामला था ।

असैनिक और ग्रामीण इंजीनियरिंग डिप्लोमा

१५४१. **श्री जेधे** :
श्री दे० शि० पाटिल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना इंजीनियरिंग सेवा सहित केन्द्रीय सेवाओं और रेलवे में स्थायी आधार पर नियुक्ति के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण उच्चतर शिक्षा परिषद् द्वारा दिये गये असैनिक और ग्रामीण इंजीनिअरिंग डिप्लोमा को १९६३ से मान्यता प्रदान की गयी है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के किन किन विभागों में नियुक्ति के लिए उपर्युक्त डिप्लोमा को मान्यता दी गयी है और इस डिप्लोमा वाले लोगों को रोजगार दिलाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण उच्चतर शिक्षा परिषद् द्वारा दिये गये असैनिक और ग्रामीण इंजीनिअरिंग डिप्लोमा को, आगे आदेश तक, अधीनस्थ पदों और सेवाओं में नियुक्ति के लिए अस्थायी तौर पर मान्यता प्रदान की गयी है । यह मान्यता केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए है ।

इस डिप्लोमा को स्थायी रूप से मान्यता देने के प्रश्न पर बोर्ड आफ असेसमेन्ट फॉर टेकनिकल एण्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन्स विचार कर रहा है ।

दिल्ली में निःशुल्क शिक्षा

१५४२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में १०वें दर्जे तक निःशुल्क शिक्षा देने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का क्या ब्योरा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं !

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्थगन प्रस्तावों और ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में

Re : ADJOURNMENT MOTIONS AND CALLING ATTENTION NOTICES

अध्यक्ष महोदय : शिलांग में पाकिस्तानी सहायक उच्चायुक्त की जासूसी गतिविधियों के विषय में मुझे दो स्थगन प्रस्तावों एवं ५ ध्यान दिलाने वाली प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। क्या माननीय मंत्री इस बारे में वक्तव्य दे सकते हैं ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): मामला वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के विचाराधीन है ।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी): इस विषय में मैंने अब तक प्रधान मंत्री से प्रश्न किया था तो उस के उत्तर में उन्होंने कहा था कि "हम उन की गतिविधियों को देख रहे हैं और समय आने पर उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी" । अब यह कार्यालय जासूसी कार्यवाहियां कर रहा है, जिस की चर्चा स्वयं गृह-मंत्री ने की है । तो क्या अब उपयुक्त कार्यवाही करने का समय नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): अब जब कि स्वयं गृह-मंत्री ने स्वीकार किया है कि इस कार्यालय द्वारा जासूसी कार्यवाहियां की जा रही हैं, तो इन कार्यवाहियों को रोकने के लिये क्या इस कार्यालय को बन्द नहीं किया जायगा ?

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ने कहा है कि यह मामला विचाराधीन है ।

श्री त्यागी (देहरादून) : कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में मंत्री ने केवल यह कहा था कि इस आशय की खबरें उन को प्राप्त हुई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री त्यागी ने सूचना दी है । क्या प्रधान मंत्री इस बारे में अब कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : जी नहीं । यह मामला विचाराधीन है इसलिये मैं इस के अग्रेतर ब्योरे में नहीं जा सकता ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) एक औचित्य का प्रश्न । पाकिस्तानी कार्यालय द्वारा जासूसी कार्यवाहियां की जा रही हैं और इधर, जैसा कि उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने कहा है कि राउरकेला

और जमशेदपुर की गड़बड़ में भी पाकिस्तानी जासूसों का हाथ है। इन परिस्थितियों में मैं जानना चाहता हूं कि हमारी सूचनाओं को किस आधार पर अस्वीकार किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं कई बार जो बात कह चुका हूं उस को एक बार फिर दोहराना नहीं चाहता। इस बारे में निर्णय मुझे लेना होता है कि कौन सा विषय कितना महत्वपूर्ण है। यदि किसी माननीय सदस्य को शिकायत हो तो वह मेरे पास आ सकता है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इन सुझावों को अभी लम्बित रखा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले हिन्दू आदिमजातीय शरणार्थी

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाती हूं और उन से अनुरोध करती हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

> "पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले आदिमजातीय हिन्दू शरणार्थियों को, विशेष रूप से राशन, इलाज, परिवहन आदि की नियमित व्यवस्था न होने के फलस्वरूप उत्पन्न चेचक तथा अन्य बीमारियों के कारण होने वाली कठिनाइयां।"

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : आज सवेरे असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार स्थिति यह है कि गारो हिल्स के एक शिविर में ३ व्यक्ति चेचक से ग्रस्त पाये गये थे। वे पाकिस्तान से आये थे और रोग की छूत वहीं से लाये थे। उन्हें अन्य लोगों से अलग करने और उनके इलाज की उचित व्यवस्था करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की गई।

गारो हिल्स में सब शिविरों में हैजे और चेचक को रोकने के लिए सामूहिक रूप से टीके पहले ही लगाये जा चुके थे। सब शिविरों में चिकित्सा का प्रबंध किया गया है और शरणार्थियों को राशन, कम्बल आदि दिये जाते हैं। डाक्टर और सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बंधी कर्मचारी पर्याप्त संख्या में ड्यूटी पर हैं और जिन लोगों को अस्पताल में रखने की आवश्यकता होती उन्हें तूरा में जिला अस्पताल में भेज दिया जाता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि सीमांत मिमनसिंह तथा बाघमारा स्थानों के आन्तरिक भागों में वहां आने वाले हजारों लोगों के लिये राशन, इलाज और परिवहन संबंधी कोई उचित प्रबंध नहीं है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : माननीय सदस्य की यह सूचना निराधार है। यह शिविर सीमा से तूरा तक स्थापित है। मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है कि आसाम सरकार ने चिकित्सा सहायता, राशन तथा अन्य बातों का उचित प्रबंध किया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : परन्तु मुझे ऐसे पत्र प्राप्त हुए हैं जिन से प्रतीत होता है कि ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा ईसाईयों के लिये उचित प्रबंध किये गये हैं परन्तु अन्य आदिम जातीय लोगों के लिये प्रबंध पर्याप्त नहीं है । इसलिये आप वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करें ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : हम ईसाईयों और अन्य लोगों में कोई भेद नहीं करते । सभी शरणार्थियों के लिये सड़कों के किनारे, जहां जल उपलब्ध हो, शिविर बनाये गये हैं । अब मानसून आ रहा है इसलिये शायद गोलपाड़ा में शिविर लगाये जायेंगे चूंकि वह ऊंचा स्थान है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इन लोगों के पुनर्वास के लिये क्या कोई राज्य एवं केन्द्रीय सरकार की योजना है । और क्या एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल के वहां भेजने का प्रबंध किया जायगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यदि कुछ संसद सदस्या वहां जाना चाहें तो मैं राज्य सरकार से बात कर सकता हूं ।

जहां तक शर्णार्थियों के पुनर्वास का सम्बंध है हम चाहते हैं कि उन्हें शीघ्र से शीघ्र काम पर लगाया जाय । परन्तु इसमें समय लगेगा चूंकि वह भारी पहाड़ी क्षेत्र में आये हैं । इस क्षेत्र का विकास करना होगा और अलग अलग योजनायें बनानी पड़ेंगी । इस बारे में कार्यवाही की जा रही है । मैंने स्वयं मुख्य मंत्री से इन योजनाओं पर बातचीत की है और उचित कार्यवाही की जा रही है

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में

RE: CALLING ATTENTION NOTICE

अध्यक्ष महोदय : कल मंत्री महोदय ने ध्यान आकर्षित कराने वाली सूचना के बारे में वक्तव्य दिया था । क्या मंत्री महोदय आज ५ बजे म० पं० माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देंगे ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : संबंधित सदस्य ५ बजे म० प० सभा में उपस्थित रहें ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : हमने जम्मू में हुए विस्फोट के बारे में ध्यान आकर्षित कराने वाली सूचनाएं दी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह इस समय सभा में नहीं पूछा जा सकता है ।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

पर्यटन सम्बन्धी तदार्थ समिति के प्रतिवेदन के बारे में सरकार के निर्णय

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं दिनांक १३ मार्च, १९६४ के परिवहन मंत्रालय के संकल्प संख्या ६—ए० एच० सी० (दो)/६३ की एक प्रति, जिसमें पर्यटन

संबंधी तदर्थ समिति के बारे में सरकार के निर्णय दिये हुए हैं, सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २५८१/६४।]

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

तेईसवां प्रतिवेदन

श्री त्यागी (देहरादून) : मैं लेखा परीक्षा रिपोर्ट (वाणिज्यिक), १९६३ के बारे में लोक लेखा समिति का तेईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

अड़तीसवा प्रतिवेदन

श्री कृष्ण मूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अड़तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

संविधान (सत्रहवां) संशोधन विधेयक
CONSTITUTION (SEVENTEENTH AMENDMENT) BILL

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री कृष्ण मूर्ति राव (शिमोगा) : मैं भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

श्री कृष्ण मूर्ति राव : मैं भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

सशस्त्र सेनायें (विशेष शक्तियां) जारी रखना विधेयक
ARMED FORCES (SPECIAL POWERS) CONTINUANCE BILL

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): मैं प्रस्ताव करती हूं कि सशस्त्र सेनायें (विशेष शक्तियां) विनियम, १९५८ को आगे और अवधि के लिए जारी रखने वाले विधयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि सशस्त्र सेनायें (विशेष शक्तियां) विनियम, १९५८ को आगे और अवधि के लिए जारी रखने वाले विधेयक को, पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

विधि मन्त्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधि मंत्रालय के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों पर चर्चा जारी करेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहिए कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने संबंधी योजनाओं को राज्यों में शीघ्र लागू किये जाने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गए हैं ।

छोटे न्यायालयों में चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। छोटे छोटे कार्य कराने के लिये भी घस देनी पड़ती है। इन न्यायालयों के कर्मचारी जिस ढंग से काम करते हैं उससे किसी भी व्यक्ति के लिए इन न्यायालयों से न्याय पाना असंभव हो गया है। इसके परिणामस्वरूप लोगों में भारी असंतोष होना स्वाभाविक है। सरकार को भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही करनी चाहिए।

चुनाव लड़ने के लिये उम्मीदवार काफी धन व्यय करते हैं और यह धन बड़े व्यापारियों द्वारा अपने निहित स्वार्थ के लिए दिया जाता है। उम्मीदवार चुनाव में जीत जाने के बाद सदा व्यापारी के दबाब में रहता है और देश के हित की परवाह न करके व्यापारी को लाभ पहुंचाने के उपाय ढूंढता रहता है, यह प्रजातंत्र के लिए घातक बात है। अतः मंत्री महोदय या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को निर्वाचन व्यय कम करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए राजनैतिक दलों और प्रगतिशील स्वतंत्र व्यक्तियों का सम्मेलन बुलाना चाहिए। यदि इस व्यय में कमी न की गई तो बहुत से ऐसे व्यक्ति जनता का प्रतिनिधित्व करने से वंचित हो जायेंगे जो जन साधारण के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं।

प्रायः यह देखा गया है यदि न्यायालय का निर्णय सरकार के पक्ष में नहीं होता है तो सरकार संविधान में संशोधन करके निर्णय अपने पक्ष में कराने का प्रयत्न करती है ।

हमारा संविधान सर्व प्रभुत्व सम्पन्न है इसलिए यह सबको मान्य होना चाहिये । सत्तारूढ़ दल की सुविधा के अनुकूल बनाने के लिए इसमें समय समय पर संशोधन करना सर्वथा अनुचित और संविधान का उपहास करना है ।

उत्तर प्रदेश में पैदा हुए संवैधानिक संकट बहुत गंभीर हैं । समाचारपत्रों के अनुसार जनसंघ द्वारा एक सदस्य ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए संकल्प प्रस्तुत किया गया जिस का समर्थन कृषि मंत्री श्री चरन सिंह ने किया । सभा जानना चाहती है कि क्या केन्द्र सरकार ने इस संवैधानिक संकट को समाप्त करने की दृष्टि से हस्तक्षेप करने का निर्णय किया है ? सरकार को इसमें अवश्य हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि राज्य की जनता को न्यायपालिका और जनता के प्रतिनिधियों बीच हो रहे विवाद से नुक्सान न उठाना पड़े ।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : श्रीमान मैंने तीन कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं ।

पहला कटौती प्रस्ताव मुस्लिम विधान संबंधी जांच समिति की नियुक्ति के बारे में है। विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार हिन्दू विधान तथा मुस्लिम विधान के कुछ मामलों की जांच की जानी थी। हिन्दू विधान के संबंध में यह काम पूरा किया जा चुका है और मुस्लिम विधान संबंधी जांच समिति अभी नियुक्त की जानी है। इस कार्य के लिए पिछले वर्ष के आय व्ययक में १,५९,६०० रुपये की व्यवस्था की गई थी किन्तु पुनरीक्षित प्राक्कलनों अथवा इस वर्ष के आय व्ययक में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मुस्लिम विधान बड़ा जटिल है इसकी व्याख्या करने के लिए कुछ प्रगतिशील नियम बनाये जाने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय को बताना चाहिए कि इस संबंध में जांच की जायेगी या नहीं और यदि नहीं की जायेगी तो इसके क्या कारण हैं।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव निर्वाचन याचिकाओं के निर्णय में होने वाले विलम्ब के बारे में है। विधि मंत्री महोदय को विधि आयोग के परामर्श से कोई ऐसा मार्ग निकालना चाहिए जिससे निर्वाचन याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय हो सके। यदि ये निर्णय लोक सभा की पूरी अवधि तक अनिर्णित रहते हैं तो इससे लोगों को परेशानी होती है और इस पर अनावश्यक रूप से समय तथा धन बर्बाद होता है ।

मेरा तीसरा और अंतिम कटौती प्रस्ताव कानूनों का हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के अनुवाद किये जाने के संबंध में है। यह सराहनीय बात है कि विधि आयोग कानूनों का अनुवाद करता है। जो कानून बार बार न्यायालयों में प्रयोग होते हैं पहिले उनका अनुवाद हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में किया जाना चाहिए। हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं को अपने अपने क्षेत्रों में राजभाषाओं के रूप में लागू करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कार्यवाही होगी। इससे हिन्दी लोकप्रिय होगी तथा इसका अहिन्दी भाषी राज्यों में विकास हो सकेगा ।

सभा के सदस्यों को सभा की प्रक्रियायें, नियमों, आदि के प्रति, जो देश के लिये विधान बनाने में उनका पथ प्रदर्शन करते हैं, उचित आस्था दिखानी चाहिए, इससे वे पूरे देश के सामने एक अच्छा उदाहरण रख सकेंगे। यह सराहनीय बात नहीं है कि जब महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही होती है तो कभी कभी गणपूर्ति के लिए दिन में दो तीन बार घंटी बजानी पड़ती है और कभी गणपूर्ति के अभाव में सभा स्थगित भी करनी पड़ती है। गणपूर्ति के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसका सब सदस्यों के लिए पालन करना अनिवार्य हो ।

मैंने ये कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत नहीं किये हैं। मेरा उद्देश्य केवल सरकार का ध्यान उन विषयों की ओर आकर्षित करना था जिनके बारे में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गये हैं ।

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन): विधि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में जिन सदस्यों ने भाग लेकर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है, मैं उनका आभारी हूं। यद्यपि कुछ बातें ऐसी उठाई गई हैं जो विधि मंत्रालय के कार्य-क्षेत्र में नहीं आती हैं फिर भी मैं सरकार की ओर से उनका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

सरकार देश में विधि शासन बनाये रखने के लिए सभा से पूर्णरूप से सहमत है। फिर भी इस खतरनाक सिद्धान्त को, जैसा कि श्री दाजी ने मांग की है, स्वीकार नहीं किया जा सकता कि न्यायालयों द्वारा विधान की व्याख्या सामाजिक विचारधारा के अनुसार की जानी चाहिए।

न्यायालय लोकहित में कानून की सही रूप से व्याख्या कर सकते हैं। यदि वे विभिन्न सामाजिक विचारधाराओं के अनुसार कार्य करने लगें तो कानून का अन्त ही हो जायेगा।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं माननीय मंत्री का ध्यान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के उस वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि सामाजिक न्याय के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मूल अधिकारों को भी कम करना होगा। इनके इस कथन की संविधान द्वारा पुष्टि नहीं होती है।

श्री अ० कु० सेन : मैंने मुख्य न्यायाधिपति के वक्तव्य को पढ़ा है। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कानून बनाया ही सामाजिक न्याय के लिए जाता है। न्यायाधीश कानून को केवल उस रूप में लागू करता है, जिस तरह लोकतंत्र में विधि निर्माता प्राधिकार ने व्यक्त किया है। यदि न्यायाधीश इस मूल बात को भूल जायें तो वे स्वयं कठिनाई में पड़ जाते हैं।

यदि कोई विषय सभा में विचाराधीन हो तो वह किसी न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता है और न्यायालय में चल रहे किसी मामले पर सभा में विचार नहीं किया जा सकता है। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह सिद्धान्त स्थापित किया है कि विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्रों में रहें और उन्हें दूसरों के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि वे इस प्रकार का प्रयास करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय, जिसे संवैधानिक सरकार की सीमा बनाये रखने का काम सौंपा गया है, शायद फिर उन सीमाओं को निर्धारित करे जिनका कभी भी उत्क्रमण नहीं किया जा सके। हमारी संसद्, न्यायालयों और सरकार द्वारा सावधानी व संयम से काम किये जाने से ही हम इस नाजुक संतुलन को सुरक्षित रख सकेंगे जिसका कि बनाये रखना सीमित सरकार को चलाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। केवल इस प्रकार की सावधानी से कार्य करने से ही उत्तर प्रदेश में घटी दुर्भाग्यपूर्ण घटना जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है।

हमारी न्यायप्रणाली संसार के अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छी है जिसका हमें गर्व है। हो सकता है कि मुकद्दमों को शीघ्र निबटाने तथा उन पर होने वाले अधिक व्यय सम्बन्धी कठिनाइयां हों किन्तु इससे न्याय प्रणाली पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। मुकद्दमों के निर्णय में देरी तथा अधिक व्यय सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम राज्य सरकारों से उपयुक्त कार्यक्रम बनाने के लिए कहेंगे क्योंकि न्याय प्रशासन पूर्ण रूप से राज्यों के क्षेत्राधिकार में है। विभिन्न राज्यों में समन्वय स्थापित करने तथा आपस में परामर्श के लिए राज्य के विधि मंत्रियों के सामयिक सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे।

दूसरे देशों की तुलना में हो सकता है कि भारत में मुकद्दमों पर होने वाले व्यय बहुत अधिक न हों किन्तु भारत का जन साधारण की आय को देखते हुए यह व्यय निश्चित रूप से बहुत अधिक है। धन के अभाव में लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है।

मैंने निर्धन लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए योजना बनाई है। यह योजना राज्यों को भेजी गई थी। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकारें इस पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने यह योजना दूसरे प्रगतिशील देशों की इसी प्रकार की योजनाओं का अध्ययन करके तैयार की है। जिन राज्य सरकार ने इस योजना को लागू किया है उन्हें काफी सफलता मिली है। मैं न तो केन्द्र सरकार को सारे व्यय की

व्यवस्था करने के लिए तैयार कर सका हूं और न ही राज्य सरकारों को पूरा व्यय वहन करने के लिए सहमत करा सका हूं । इस समय यह सुविधा केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को दी जाती है ।

निर्धन लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता देने की व्यवस्था को भी उतना महत्व दिया जाना चाहिए जितना कि देश में होने वाले अनेक विकास कार्यों को दिया जाता है । मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि इस कार्य के लिए आवश्यक राशि क्यों नहीं दी जाती है जब कि इस कार्य के लिए अधिक धन की आवश्यकता नहीं होगी । मुझे आशा है कि मैं मंत्री पद से सेवानिवृत्त होने से पहिले ही निर्धन लोगों के लिए एक अच्छी और वैज्ञानिक विधि सहायता स्थापित करने में समर्थ हो सकूंगा ।

एक माननीय सदस्य : न्यायालय शुल्क (कोर्ट फीस) और मुद्रांक शुल्क (स्टैम्प ड्यूटी) को समाप्त कर दीजिये ।

श्री अ० कु० सेन : मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि ये विषय राज्यों के अन्तर्गत हैं ।

देश में होने वाले विवादों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जबकि न्यायाधीशों और न्यायालयों की संख्या इनकी तुलना में बहुत कम है । इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक न्यायालय को बहुत अधिक संख्या में मुकद्दमों को निबटाना पड़ता है । यहां तक कि ग्राम पंचायतों को भी मुकद्दमे निबटाने पड़ते हैं । मुकद्दमों का शीघ्र निर्णय करने की समस्या उस समय तक हल नहीं हो सकती है जब तक न्यायालयों और न्यायाधीशों की संख्या न बढ़ा दी जाये ।

हमें न्याय पंचायतों को उचित क्षेत्राधिकार प्रदान करना चाहिये । श्री राजगोपालन की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने एक प्रशंसनीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । इस प्रतिवेदन में सुझाई गई प्रणाली को छोटे न्यायालयों में लागू करने से मामलों का जल्दी निपटारा किया जा सकेगा ।

हमने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को गत तीन निर्वाचनों के अनुभव के आधार पर एक प्रतिवेदन पेश करने के लिये कहा है । वे निर्वाचन विधि में ऐसे परिवर्तनों की सिफारिश करेंगे जिन्हें वे आवश्यक समझेंगे । सभा को उस प्रतिवेदन पर चर्चा करने का अधिकार होगा और उसमें जो भी परिवर्तन करना वह आवश्यक समझेगी वे परिवर्तन कर दिये जायेंगे और उस पर निर्णय कर लिये जायेंगे ।

{**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
{MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*}

यह प्रसन्नता की बात है कि भारत में निर्वाचन को दल से परे का विषय समझा जाता है । यही कारण है कि वयस्क मताधिकार की प्रणाली का सूत्रपात करने में हमें इतनी सफलता प्राप्त हुई है ।

निर्वाचनों में बहुत अधिक व्यय होने के बारे में सभी ओर से चिन्ता व्यक्त की गई है । एक साधारण व्यक्ति के लिये चुनाव लड़ना उसके सामर्थ्य से बाहर की बात है । यह भी संभव है कि योग्य व्यक्ति निर्वाचित होने से वंचित रह जायें क्योंकि वे पैसे के अभाव के कारण चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं । अतः मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि हमें इस बात के लिये

भरसक प्रयत्न करने चाहियें कि कोई व्यक्ति पैसे के बल पर चुनाव न जीत सके। हमारे देश में मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है और उन तक अपने विचार पहुंचाने के सस्ते साधन नहीं हैं। हमें इश्तहारों, पेट्रोल आदि पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। इग्लैंड और अमरीका जैसे देशों में टेलीविजन के माध्यम से जनता तक पहुंचा जा सकता है और इसलिये वहां चुनावों में कम खर्चा होता है। आधुनिक उपकरणों के न होने के कारण भारत में चुनावों में बहुत अधिक पैसा खर्च होता है। निर्वाचन विधि में इस बारे में कोई सीमा निर्धारित करने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। राज्य द्वारा मतदाताओं तथा चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों को जब तक कुछ सुविधायें नहीं दी जायेंगी यह समस्या हल नहीं की जा सकती।

डा० लोहिया ने इस देश में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण बात उठाई है। उन्होंने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद २१ का सरकार पालन नहीं कर सकी है और इसलिये विधि मंत्रालय को १ रुपये की राशि भी स्वीकार नहीं की जानी चाहिये। यह बात कहना कि हम अल्पसंख्यकों को पूर्ण संरक्षण देने में असमर्थ रहे हैं हमारे महान् लोकतंत्र के प्रति अनादर होगा। यह सभा इस प्रकार के आरोप से कतई सहमत नहीं होगी। हमारे देश में अल्पसंख्यकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। हमारे संविधान में बहुसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों तथा अल्पसंख्यकों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : एक व्यक्ति को उसकी सजा के समाप्त होने से पहले जेल से रिहा कर दिया जाता है जबकि एक साधारण व्यक्ति जेल में सड़ता रहता है ? सरकार को इस बारे में क्या कहना है ? नानावती के मामले में क्या हुआ ?

श्री अ० कु० सेन : देश को विधि को कार्यान्वित करने वालों पर गर्व है। हमारी विधि में बहुसंख्यक अथवा अल्पसंख्यक नाम की कोई बात ही नहीं है।

श्री राम सेवक यादव : मैं माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि . . .

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री राम सेवक यादव : **

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री राम सेवक यादव : **

श्री अ० कु० सेन : गत १७ वर्षों में हमारी स्वतंत्र सरकार ने यदि कोई सफलता प्राप्त की है तो वह यह है कि हम ने संसार को यह दिखा दिया है कि किसी भी धर्म का अनुयायी या कोई भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति, जो इस देश का नागरिक है, सरकार के ऊंचे से ऊंचे पद को सुशोभित कर सकता है और वास्तव में ऐसे उदाहरण मौजूद भी हैं। इसके विपरीत सरकार तथा संसद् पर यह आरोप लगाया गया है कि वह अल्पसंख्यक वर्ग के साथ अधिक सहानुभूति दिखाती रही है।

जहां तक न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने का प्रश्न है यह विधि मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है। फिर भी गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा समय समय पर पेश किये जाने वाले प्रगति प्रतिवेदन से पता चलता है कि आठ राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूर्ण रूप से पृथक्

**कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

किया जा चुका है और कुछ अन्य राज्यों में ऐसा किया जा रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि गृह-कार्य मंत्रालय इस मामले में अधिक तत्परता से कार्य कर रहा है ।

यह शिकायत की गई है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और रेलवे मध्यस्थ नियुक्त करने में विधि मंत्रालय से परामर्श नहीं लेते। परन्तु रेलवे प्रशासन अलग से कार्य करता है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकों में ही मध्यस्थ का उल्लेख होता है। अन्य मामलों के सम्बन्ध में भी, विधि मंत्रालय से किसी विशेष मामले के बारे में परामर्श नहीं लिया जाता, अपितु एक लाख रुपये से अधिक राशि वाले करारों के मामले में सरकार ने उच्च न्यायालयों के भूतपूर्व न्यायाधीशों की विभिन्न शहरों के लिए पृथक पृथक् सूचियां बना रखी हैं और सरकारी विभाग उन की सेवायें प्राप्त कर सकते हैं । एक लाख से कम की राशि के मामलों के लिये जिला न्यायाधीश की भी सूची बनी हुई है।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : इस वर्ष के प्रतिवेदन में मुस्लिम विधि जांच समिति का कोई उल्लेख नहीं है ।

श्री अ० कु० सेन : संकटकाल तथा कुछ अन्य बातों के कारण इसकी नियुक्ति के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : धार्मिक धर्मस्व विधेयक के बारे में क्या प्रगति की गई है ?

श्री अ० कु० सेन : चूंकि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न विचार व्यक्त किये गये हैं इसलिये मंत्रिमंडल की एक उच्च अधिकार प्राप्त उपसमिति उनका अध्ययन कर रही है और शीघ्र ही कोई निर्णय कर लिया जायेगा ।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know from the hon. Minister that the votes cast in favour of a candidate who forfeits his security deposit at the election are not counted for giving recognition to a political party ?

श्री अ० कु० सेन : यदि माननीय सदस्य ऐसे किसी मामले की जानकारी देने की कृपा करेंगे तो हम उसकी जांच करेंगे ?

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : संविधान के अनुच्छेद ९८(२) के अनुसार संसद्, विधि द्वारा संसद् के प्रत्येक सदन के साचविक कर्मचारी-वृन्द में भर्त्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर सकेगी। शर्तों सम्बन्धी नियम बनाने का अधिकार और भी अनुच्छेद में है। हम इस बारे में वर्तमान स्थिति जानना चाहते हैं और यह भी जानना चाहते हैं इस बारे में विधेयक कौन प्रस्तुत करेगा ?

श्री अ० कु० सेन : इस विषय का मेरे मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरे विचार में या तो यह संसद्-कार्य विभाग से अथवा गृह-कार्य मंत्रालय से सम्बन्ध रखता है। अतः मैं इस का उत्तर देने में असमर्थ हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All the cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विधि मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

The following Demands in respect of Ministry of Law were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७४	विधि मंत्रालय	४२,२२,०००
७५	निर्वाचन .	७८,७४,०००
७६	विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	२,०२,०००

डाक और तार विभाग

वर्ष १९६४–६५ के लिये डाक और तार विभाग की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
९८	डाक तथा तार विभाग . . .	८,९७,०००
९९	समुद्रपार संचार सेवा	१,४५,४८,०००
१००	डाक तथा तार (कार्यवहन व्यय) . .	१,१३,४५,७६,०००
१०१	सामान्य राजस्व को डाक तथा तार का लाभांश और रक्षित निधि में विनियोग	११,०९,८७,०००
१०२	डाक तथा तार विभाग का अन्य राजस्व व्यय . .	२४,२९,०००
१४५	डाक तथा तार विभाग का पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं दिया गया)	३८,५३,६७,०००
१४६	डाक तथा तार विभाग का अन्य पूंजी परिव्यथ .	४२,१७,०००

डाक और तार विभाग की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
९८	२	श्री रा० बरुआ	जोरहाट डाक घर को पुनः बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
९८	३	श्री रा० बरुआ	जोरहाट में टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
९८	४	श्री रा० बरुआ	स्टाफ क्वाटरों के निर्माण कार्य-क्रम को प्राथमिकता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
९८	५	श्री रा० बरुआ	भंडारों में अपव्यय को रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
१००	६	श्री यशपाल सिंह	ग्रामीण क्षेत्रों में नये डाक और तार घर खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
१००	७	श्री यशपाल सिंह	कर्मचारियों के लिये मकान बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१००	८	श्री यशपाल सिंह	हिन्दी में तार भेजने की सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१००	९	श्री यशपाल सिंह	हिन्दी में समाचार भेजने के लिये टेलीप्रिंटर लगाने की आवश्यकता	१०० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : ये मांगें तथा कटौती प्रस्ताव अब सभा में प्रस्तुत हैं ।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता पूर्व) : यह प्रसन्नता की बात है कि डाक और तार विभाग को भूतपूर्व परिवहन तथा सचार मंत्रालय से पथक् क़र दिया गया है । डाक और तार विभाग को रेलवे बोर्ड के समान स्तर का बनाया जाना चाहिये ताकि यह विभाग अधिक सुचारु रूप से कार्य कर सके और वैसा करना जनता के हित में भी होगा।

४८,००० टेलीफोनों के उपकरणों के निर्माण के लिये बेलजियम की बैल टेलीफोन कम्पनी के साथ किये जाने वाले ठेके की कीमत अन्य कम्पनियों के मूल्य-विवरणों की अपेक्षा ५० लाख रुपये अधिक होगी और यह रकम विदेशी मुद्रा में देनी होगी । इसके अतिरिक्त ३० प्रतिशत सीमा

शुल्क के रूप में देना होगा । व्याज तथा टेलीफोनों के संधारण आदि पर भी कुछ व्यय करना होगा । अतः इस करार पर सरकार को १ करोड़ रुपया अधिक अदा करना पड़ेगा । माननीय मंत्री ने कहा है कि यह कारखाना सस्ता पड़ेगा परन्तु उक्त ठेके में यह दिया हुआ है कि बैल टेलीफोन कम्पनी लेथ (lathe) मशीन नहीं देगी और इसे डाक तथा तार विभाग को और कहीं से खरीदना होगा। अतः मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसे सस्ती पड़ेगी ।

माननीय मंत्री ने एक-दो दिन पहले प्रश्नों के उत्तर में यह कहा है कि तीन अधिकारियों में से एक अधिकारी ने, जो कि इस मामले में विशेषज्ञ समझा जाता है, इस सौदे की सिफारिश की है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अन्य दो अधिकारियों की राय को अस्वीकार क्यों किया गया है। क्या ऐसा इस कारण किया गया है कि उक्त अधिकारी वित्त मंत्री का निकट सम्बन्धी है ? मंत्री महोदय को अपने उत्तर में इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिये ।

बैल टेलीफोन कम्पनी फ्रांसीसी कम्पनी, सी. जी. सी. टी. जैसी ही है । ये सब अमरीकन आई. टी. टी. कम्पनी से सम्बद्ध हैं । सरकार को पता है कि यह कम्पनी जासूसी का कार्य करती है । मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी कम्पनी को टेलीफोन निर्माण का कार्य क्यों सौंपा गया है। आशा है कि सरकार ऐसे करार न करने के लिये पर्याप्त उपाय करेगी ।

शहरों अथवा नगरों में डाक कर्मचारी तंग इमारतों में काम करते हैं । यह जनता की आम शिकायत है । इससे कर्मचारियों की कार्य-कुशलता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और जनता को भी असुविधा होती है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये । डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को अधिक काम करना पड़ता है । मुझे पता लगा है कि स्थानों को भरने में लाल-फीताशाही के कारण काफी महीने लग जाते हैं । मंत्री महोदय को इस मामले की जांच करनी चाहिये ।

डाक और तार विभाग के सचिव डाक और तार बोर्ड के चेयरमैन तथा डाक और तार निदेशालय के महानिदेशक भी हैं । समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति ये सारे काम कैसे कर सकता है । कर्मचारियों के लिये अच्छे मकानों की व्यवस्था की जानी चाहिये जैसा कि केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों के मामले में किया गया है ।

डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के कल्याण के लिये अधिक धन दिया जाना चाहिये ।

डाक जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत बीमाकृत व्यक्तियों को प्रीमियम का वार्षिक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिये जैसा कि सामान्य जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत किया जाता है ताकि उन व्यक्तियों को बाद में कोई कठिनाई न उठानी पड़े । यह बड़ा गम्भीर मामला है और सरकार को इस की जांच करनी चाहिये ।

बंगलौर की फैक्टरी में सुधार नहीं हुआ । इसके कारण हैं हानियां, गन्दे ठेके और फिजूल खर्ची आदि । डाक तार विभाग को इसकी जांच करनी चाहिये ।

मुझे हिन्दी के प्रचार से कोई विरोध नहीं । मैं हिन्दी जानता हूं । किन्तु अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आदेश आदि हिन्दी में भेजने का आदेश क्यों ? इसके स्थान पर प्रादेशिक भाषा क्यों नहीं रखी जाती ? मेरा अभिप्राय यह है कि प्रादेशिक भाषाओं में होना चाहिये । इस प्रकार हिन्दी को थोपने से किसी को लाभ नहीं होगा । कलकत्ता में गाड़ियों के

आने जाने का समय हिन्दी और अंग्रेजी में हैं मानो वहां के लोगों की अपनी कोई भाषा ही नहीं ?

कर्मचारियों को महंगाई भत्ता १ नवम्बर १९६१ से दिया जाना चाहिये था न कि जुलाई १९६३ से। मंत्री इस पर ध्यान दें। जब अनिवार्य बचत योजना ही समाप्त कर दी गई है फिर लोगों को क्यों ३१ मार्च से पहले धन जमा करने के लिये बाध्य किया जा रहा है। कर्मचारियों के ऊपर ऋण का भार पड़ जायेगा।

मध्य प्रदेश में भरती हुए लोग महाराष्ट्र मंडल के अंग होने के कारण पदोन्नति के अवसर नहीं पा सकते। अतः मध्य प्रदेश मंडल की स्थापना की जानी चाहिये।

१९६० की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को अभी तक सताया जाता है छोटे पद पर रखा जाता है अथवा पदोन्नति नहीं दी जाती। सरकार को उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और परेशान नहीं करना चाहिये। कर्मचारियों के प्रति न्याय किया जाये।

कलकत्ता उपनगरीय रेलवे स्टेशनों में टेलीफोन कक्षों के सम्बन्ध में मेरे प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन मंत्री द्वारा दिया गया था। वहां लाखों लोग जाते हैं अतः डाक तार विभाग टेलीफोन कक्ष स्थापित करने की ओर ध्यान दे।

श्री मणि यंगाडन (कोट्टयम): डाक तार बोर्ड की स्थापना स्तुत्य है परन्तु उसे विभाग के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखने का अधिकार नहीं मिला। अतः इस मामले में मैं अपने से पहले वक्ता के विचारों का समर्थन करता हूं कि यह बोर्ड रेलवे बोर्ड के समान होना चाहिये।

टेलीफोन व्यवस्था का काम बहुत खराब है। ट्रंक काल या तो बुक नहीं हो पाती या घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। माननीय मंत्री इसकी कुशलता को बढ़ाने की ओर भी ध्यान दें।

पत्र पहुंचने में विशेषकर छोटे स्थानों पर बड़ा विलम्ब होता है। इसका क्या कारण है ? गांव तक जाने में एक, दो तीन दिन अधिक लगते हैं। अतः इस मामले की ओर भी मंत्री जी ध्यान दें और इसे सुधारने का उपाय करें।

विलय के कारण ट्रावनकोर-कोचीन के कुछ टेलीफोन ओपरेटर डाक व तार विभाग में ले लिये गये थे। परन्तु उनकी टेलीफोन ओपरेटर की सेवाओं को बाद में लाइनमैन टेलीफोन ओपरेटर की श्रेणी में रख दिया गया और वह पदावलि उस विभाग में विद्यमान नहीं थी। वे लोग राज्य सेवा आयोग द्वारा चुने गये थे। यह कार्रवाई सर्वथा अनुचित है। इस भेदभाव की जांच करके इसे दूर करने का प्रयत्न किया जाये।

केरल मंडल को बने २ या ३ वर्ष हो गये हैं। इसको क्यों छोटा मंडल बना रखा है ? शीघ्र ही इसे वर्गोन्नत किया जाना चाहिये।

डाक तार कर्मचारियों के लिये मकानों और क्वार्टरों का निर्माण शीघ्र होना चाहिये। समझ में नहीं आता कि कुछ कार्रवाई करके यह काम क्यों अधूरा छोड़ दिया गया। इससे कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई होती है केरल में तो उनको कई जगह कमरा नहीं मिल पाता। डाकघरों की इमारतें पुरानी हैं उनकी मरम्मत और निर्माण क्यों नहीं किया जाता ? कोट्टयम की इमारत सौ वर्ष पुरानी होने के कारण कर्मचारियों की बढ़ती हुई संख्या के लिये पर्याप्त

नहीं है। परन्तु तो भी कुछ नहीं किया जाता। वहां पर ७ समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं परन्तु टेलीप्रिंटर की व्यवस्था नहीं है। मंत्री महोदय इसकी ओर विशेष रूप से ध्यान देने की कृपा करें।

नये डाकघरों और टेलीफोन ऐक्सचेंजों की मंजूरी तो दे दी जाती है परन्तु सामग्री न मिलने के कारण निर्माण कार्य आरम्भ नहीं होता। अतः मंत्री जी को शीघ्र सामग्री दिलवाने की ओर ध्यान देना चाहिये।

जब हिन्दी राष्ट्र भाषा बन चुकी है तो हिन्दी में परिपत्र जारी करने में कोई बुराई नहीं। परन्तु प्रादेशिक भाषाओं में भी परिपत्र जारी किये जा सकते हैं जब विज्ञापन देने हों।

श्री सोलंकी (कैरा) : डाक व तार विभाग परिवहन मंत्रालय से पृथक होना चाहिये। यह खेद का विषय है कि डाक विभाग १ करोड़ रुपये की आय कर रहा है जितनी रेलवे करता है परन्तु इसे व्यय के लिये वित्त मंत्रालय पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रशासन में कुशलता अवश्य आनी चाहिये। कुशलता लाने के लिये विभाग को स्वतंत्रता होनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि रेलवे मंत्रालय के समान यह विभाग भी स्वायत्त होना चाहिये।

इस विभाग में चार लाख कर्मचारी होने के बावजूद प्रगति अधिक नहीं हुई। मकानों के कार्यक्रम में यह विभाग रेलवे से पिछड़ा हुआ है। मंत्री महोदय ने आवास की खराब स्थिति को माना है और उसे सुधारने के लिये कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। किन्तु फिर भी इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया। संकटकाल के बावजूद रेलवे ने काफी काम क्वार्टर बनाने का किया है। रेलवे लगभग १२,००० मकान प्रति वर्ष बना रहा है। किन्तु संकटकाल के कारण डाक तार विभाग ने आवास व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न नहीं किया और कर्मचारी मकान के लिये चिल्ला रहे हैं तथा डाक घर की इमारतों की हालत भी अच्छी नहीं है। अहमदाबाद आदि नगरों में डाक घरों की स्थिति शोचनीय है।

डाक तार कर्मचारियों को कई बार चार पांच घंटे तक अतिरिक्त काम करना पड़ता है। परन्तु उसे अतिरिक्त काम नहीं माना जाता। एक समिति ने इस पर विचार भी किया था परन्तु कोई निर्णय नहीं किया गया। इस मामले में तुरन्त कार्रवाई की जाये और कर्मचारियों को अधिक समय तक काम करने का भत्ता दिया जाये।

अनिवार्य जमा योजना को हटाने से मध्यम तथा गरीब लोगों को कुछ राहत मिली है परन्तु कम आय वालों को अब भी इस वर्ष धन जमा करना पड़ेगा जिससे उन पर भार पड़ेगा परोक्ष करारोपण ढांचा भी राहत देने वाला नहीं।

१९६० की हड़ताल को हुए तीन साढ़े तीन वर्ष हो गये परन्तु कर्मचारी अभी भी परेशान हैं। डाक तार विभाग को उनको पुनः सेवा में लेने के लिये उदारता का बर्ताव करना चाहिये। प्रतिरक्षा मंत्रालय ने भी अपने कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर लगा लिया है। डाक तार भी वैसा ही करे।

डाक घरों में कई बार प्रपत्रों आदि की कमी पाई जाती है। विभाग का कर्तव्य होता है कि वह पर्याप्त संख्या में प्रपत्र आदि भेजे और कमी न होने दे। सरकार इस की ओर ध्यान दे।

बहुत से डाक घर खोले जा रहे हैं और खोले गये हैं। इनकी सूची भी प्रकाशित होती है। परन्तु कई बार उस सूची में डाकघरों के नाम नहीं मिलते। इससे बड़ी कठिनाई होती है। बाद में उनकी सूचना प्रकाशित होती है। अतः समय समय पर खोले गये डाकघरों की सूचना तुरन्त सूची में दर्ज की जानी चाहिये ताकि लोगों को परेशानी न उठानी पड़े।

दशमलव प्रणाली के बावजूद टिकटों की तहें विषय संख्याओं में प्रकाशित की जाती हैं। उन को २५, ५० या १०० आदि की सम संख्याओं में छापा जाना चाहिये। क्या प्रयुक्त होने वाला कागज विदेश से मंगवाया जाता है या देश में ही तैयार होता है ? अधिकाधिक डाकघर खोलने की जरूरत है और शिकायतों पर उचित कार्रवाई के लिये एक कुशलता ब्यूरो स्थापित किया जाना चाहिये। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये २०० मुख्य डाक कार्यालय और ४००० शाखा डाक कार्यालय खोले जाने चाहियें।

देश में अधिकाधिक सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों की आवश्यकता है ; रायलसीम और पंच महल जिलों में भी खोले जायें।

तीसरी योजना के अन्त तक ३ लाख अधिक टेलीफोनों की उपलब्धि की बात कही गई है; अभी टेलीफोनों की कमी है। बंगलौर का कारखाना मांग पूरी नहीं कर सकता। दिल्ली तथा गुजरात में भी बड़ी भारी आवश्यकता है। इस कारण चोर बाजारी और घूसखोरी जोरों पर है। यदि मांग पूरी कर दी जाये तो ये बुराइयां न रहें। अतः सरकार को गैर सरकारी साथों को टेलीफोन बनाने की अनुमति देनी चाहिये। सरकार को व्यापारी जनता को सुविधा पहुंचाने और उद्योग को बढ़ाने के लिये इसके सम्बन्ध में अवश्य कोई कार्रवाई करनी चाहिये।

टेलीफोन के लिये २ हजार की जमानत देनी पड़ती है जिस पर ब्याज नहीं दिया जाता। जापान में ब्याज दिया जाता है। डाक तार विभाग को अपने कर्मचारियों को संतुष्ट रखना चाहिये ताकि वे जनता के हित के लिये कुशलता तथा शीघ्रतापूर्वक सेवा कर सकें।

श्री जेना (भाडक) : मैं डाक व तार विभाग की मांगों का समर्थन करता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति पर डाक घर २२११६ थे, अब ९०२३९ हो गये हैं। पहले ३५ वर्ग मील के लिये एक डाक घर होता था अब १४ वर्ग मील के लिये है। इस विभाग ने अच्छा काम किया है परन्तु और अधिक काम करने की जरूरत है।

यह विभाग अपनी शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न करे ताकि अधिक कुशलतापूर्वक काम कर सके। डाक तथा तार और ऐक्सप्रेस पत्रों को बांटने में कई बार विलम्ब होने की शिकायत आती है। विभाग को इसको ठीक करना चाहिये और अपने हरकारों के लिये मकानों की व्यवस्था करनी चाहिये। संतुष्ट कार्यकर्त्ता अच्छी तरह और लगन के साथ काम कर सकते हैं।

उड़ीसा के अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के प्रति न्याय नही किया गया। उड़ीसा में पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय भी नहीं बनाया गया। उड़ीसा का टेलीफोन लेखा कार्यालय कलकत्ता में न हो कर उड़ीसा में ही होना चाहिये।

कटक में डी० पी० टी० के कार्यालय के लिये जो स्थान इस समय है वह पर्याप्त नहीं है। श्री जगजीवन राम ने इसको भवनेश्वर ले जाने का आश्वासन दिया था, परन्तु इस दिशा में कोई प्रगति नहीं की गई।

[श्री जेना]

माद्रक तथा टिटिलागढ़ में रेलवे डाक सेवा कार्यालय खुलने चाहियें, वहां मकान उपलब्ध हैं, केवल प्रयत्न करने की जरूरत है।

विजयानगरम और रायपुर के बीच आर० एम० एस० का सैक्शन केवल तीन जिलों की सेवा करता है। औद्योगिक विकास के कारण वहां पत्रों के आने जाने में बड़ा विलम्ब हो जाता है, क्योंकि कर्मचारी उड़िया और बंगाली नहीं जानते। अतः इस सैक्शन को बदला जाए और उड़ीसा के डी० पी० टी० के अधीन रखा जाए।

हावड़ा और मद्रास के बीच चलने वाली गाड़ियों में रेलवे डाक सेवा का एक सैक्शन खोला जाना चाहिये।

माद्रक के अधीन २० उप डाक घर है। अतः इस बारे में श्री जगजीवन राम ने इसे मुख्य कार्यालय बनाने का आश्वासन दिया था। मा० मंत्री इसकी ओर ध्यान दें और इसे मुख्य डाक घर बनायें।

ग्रामीण जनता निर्धनता के कारण घास फूस के छप्परों में रहती है, जिन में आग लगने का भय अधिक होता है, अतः मा० मंत्री को डाकघर ऐसे स्थानों पर खोलने चाहियें जो ग्राम पंचायत कार्यालय या स्कूल के पास हों, और सड़क से मिले हों। उनमें टेलीफोन भी चाहियें।

सोहोड़ा में एक शाखा डाकघर है, जहां छः मील से डाक आती है और दो दिन बाद आती है। मैं आशा करता हूं कि इस स्थिति को सुधारने की ओर मंत्री जी ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री हिम्मतसिंह का (गोडा): यह सब से कुशल विभाग है। परन्तु कई बार तारें देरी से प्राप्त होती हैं और तार देने का उद्देश्य पूरा नहीं होता। इस स्थिति को सुधारा जाए।

टेलीफोन आप्रेटर शिष्टता से तो बोलते हैं, परन्तु काल नहीं मिलती। टेलीफोन लाइनें प्रायः खराब मिलती हैं। इसको सुधारने का प्रयत्न किया जाए। विशेषतः असम के महत्व को देखते हुए तुरन्त सम्पर्क होना चाहिए। कई बार घंटों तक अत्यावश्यक काल भी नहीं मिलती। टेलीफोन शीघ्र मिलाने चाहियें। इसकी जांच करके यथायोग्य कार्रवाई की जाए।

सुना है कलकता में दिल्ली और बम्बई की अपेक्षा टेलीफोन काल के अधिक दाम लिये जाते हैं। यह ठीक नहीं, सुधार होना चाहिये।

अधिक डाक घर खुले हैं और पत्रों की संख्या बढ़ रही है। परन्तु सन्थाल परगनों में पत्र देरी से पहुंचते हैं। कई बार तीन चार दिन बाद पहुंचते हैं। इसकी जांच होनी चाहिये और समुचित कार्रवाई करने की जरूरत है।

कलकता में हरकारों के पास वर्दी नहीं होती। क्या वर्दी का नियम उन पर हटा दिया गया है? या लागू नहीं किया जाता?

श्री रा० बरुआ (जोरहाट): यह संतोष का विषय है कि यह मंत्रालय पृथक है और इसने डाक तथा तार घर और संचार साधनों को बढ़ाने में काफी प्रगति की है। परन्तु बढ़ती हुई औद्योगिक उन्नति को देखते हुये हमारे अन्दर आत्म तुष्टि की भावना नहीं आनी चाहिये।

हमें चीन और पाकिस्तान दोनों की वक्र दृष्टि का सामना करना है। यह अच्छा हुआ कि हमने पूर्वी क्षेत्र में माइक्रोवेव प्रणाली स्थापित करने का निश्चय कर लिया है। कलकत्ता से आसाम तक टेलीफोन जाने में कठिनाई इसलिये होती है कि संचार लाइन में गड़बड़ रहती है। इस प्रणाली के अतिरिक्त हमें और भी साधनों के बारे में विचार करना होगा। अतः इस क्षेत्र में आवश्यक सुधार और उन्नति लाने का प्रयत्न किया जाए।

डाकघरों की इमारतों और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण की स्थिति चिन्तनीय है। पांच लाख कर्मचारी हैं, परन्तु क्वार्टर बहुत ही कम हैं। इससे कर्मचारियों को, विशेषकर दूरस्थ स्थानों और नगरों के कर्मचारियों को बड़ी परेशानी होती है और भारी किराया देना पड़ता है। सरकार भत्ता देने में असमर्थ है और मकान देने में भी। ये दोनों बातें नहीं चल सकतीं। तीसरी योजना के तीन करोड़ रुपये के नियतन में से कुछ भी खर्च नहीं किया गया।

डाक तार विभाग का इंजीनियरिंग कक्ष पृथक होते हुए भी उसमें कर्मचारी पूरे नहीं, अतः उससे संतोषजनक कार्य की आशा नहीं की जा सकती।

कुछ छोटे कार्य राज्य लोक निर्माण विभागों को देने का विचार किया जा रहा है, जिनके दाम पहले ही बहुत कम है। अतः मेरा सुझाव है कि विभाग को अपने निजी संगठन का विकास करके निर्माण कार्य को बढ़ाना चाहिये।

इमारतों आदि के निर्माण संबंधी लक्ष्य विशेषतः मेरे राज्य में पूरे नहीं हुए। आसाम में प्रगति बहुत धीमी है, काम न के बराबर है।

मनोरंजन की सुविधायें प्रदान करने के संबंध में भी पर्याप्त काम नहीं हुआ। कैंटीन आदि के मामले में काम बिल्कुल नहीं हुआ आसाम में। धन की व्यवस्था होने के बावजूद काम का न होना यह दर्शाता है कि विभाग क्रियाशील नहीं। आसाम जैसे दूरस्थ क्षेत्र में कर्मचारियों के लिये मनोरंजन की सुविधायें अवश्य होनी चाहियें। अतः मैं इस बात की ओर मंत्री का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करूंगा।

निर्माण विभाग या तो कुछ करता ही नहीं, या कुछ करने में असमर्थ है। मुख्य इंजीनियर का कार्यालय कलकत्ता में होने से उसे मनीपुर, शिलांग आदि घूमना पड़ता है। इंजीनियरिंग विभाग के बावजूद काम नहीं होता, यह बड़ी खेद की बात है।

कुशलता के स्तर में भी गिरावट आ रही है। ईमानदारी का स्तर भी गिर गया है। सरकारी धन का गबन बढ़ गया है। मनीआर्डर, बीमाकृत वस्तुएं आदि का गुम होना नियमित हो गया है। दावे होने के बाद भी उनको सुलझाने में दो तीन वर्ष लग जाते हैं। कई बार तो जनता को बाध्य होकर न्यायालय में जाना पड़ता है। विभाग की ऐसी धारणा सी बन गई है कि लोग ठग हैं और उसे उनसे बचना है। यह गलत धारणा है।

राजस्थान से कुछ आभूषण बीमाकृत पार्सल के द्वारा भेजे गये। मार्ग में वे खोले गये और दावा किया गया। किन्तु उसका निपटारा न होने पर उस पक्ष को न्यायालय में जाना पड़ा। अब इस विभाग की स्थिति भी रेलवे जैसी हो गई है।

[श्री रा० बरूआ]

यह स्थिति बहुत बुरी है। मा० मंत्री इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और विभाग की कुरीतियों को तुरन्त समाप्त करें। क्योंकि यदि इस प्रकार डाक विभाग में धन गायब होने लगा, तो इस विभाग पर से जनता का विश्वास उठ जाएगा। इसके संबंध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट ५ का उल्लेख करूंगा।

डाक सुविधाओं का विस्तार नगरों और गांवों में हुआ है। परन्तु उस अनुपात से उप डाकघरों और शाखा डाकघरों को वर्गोन्नत नहीं किया गया। परिणामत: नियंत्रण का अभाव हो गया है। अत: इस पहलू पर ध्यान दिया जाए ताकि सभी डाक कार्यालयों का समुचित नियंत्रण हो सके।

कुशलता के संबंध में मैं कहूंगा कि कर्मचारियों को ठीक ढंग का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। विज्ञान की उन्नति के द्वारा कई प्रकार की संचार प्रणालिया हो गई हैं। इनका प्रशिक्षण कर्मचारियों को मिलना चाहिये, परन्तु नहीं मिलता। इसका कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अत: कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किये जाएं।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में लिखा है कि जोखिम क्रम खण्ड न होने के कारण विभाग को काफी हानि होती है। सभी करारों में यह खण्ड होना चाहिये।

मैं भारतीय टेलीफोन उद्योग के द्वारा किये गये उत्तम कार्य की प्रशंसा करूंगा और उनसे अधिक उत्तम कार्य की आशा करूंगा।

श्री अ० रा० अल्वा (मंगलौर) : इस विभाग को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है जिसके लिए मैं बधाई देता हूं। डाकघरों की जो संख्या १५-८-४७ को २२,११६ थी अब ९०,२३९ हो गई है। इस दृष्टि से आस्ट्रेलिया और कनाडा के बाद भारत का नाम आता है।

विकासशील देशों में निस्संदेह अधिक सुविधाओं की व्यवस्था है किन्तु इस देश की गरीबी को ध्यान में रखते हुये हमारी प्रगति कम नहीं है।

तीसरी योजना में २३,००० डाकघर खोले जाने हैं जिसमें से १२९६६ डाकघर खोले जा चुके हैं और गांवो में १२,०६१ डाकघर खोले जा चुके हैं।

२५,००० उप डाकघरों और विभागातिरिक्त डाकघरों को बड़े डाकघर बनाना है जिनमें से १२९० डाकघर बनाये जा चुके हैं और पिछड़े क्षेत्रों में २०० डाक घर खोले गये हैं जिन पर प्रति डाकघर २५०० रुपये की हानि हो रही है।

पंचायत डाक योजना का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो भी हम असन्तुष्ट नहीं हो सकते और अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता है।

टेलीफोन उद्योग की १९६३-६४ में १,३२,००० टेलीफोन बनाने थे जिसमें से ९३,२८० टेलीफोन बनाये जा सके हैं। इसी तरह छोटी एक्सचेंज लाइन के निर्माण में भी लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

विभाग यदि गांवों में टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था करता तो बहुत लाभ होता। अब तांबे की तार मिलने लगी हैं जिससे गांवों में पब्लिक काल दफ्तर खोले जा सकते हैं। मैसूर जैसे तटीय राज्य में संचार की बहुत कठिनाइयां रहती हैं।

डाकघरों के भवन निर्माण की स्थिति ऐसी है कि अनेक जगहों पर अभी तक डाकघर किराये के मकानों में हैं और मालिक मकानों को समय पर किराया नहीं मिलता। कुछ लोग मुकद्दमा चलाने की धमकी देते हैं। विभाग को इसका ध्यान रखना चाहिये क्योंकि मुकद्दमा चलने पर विभाग को ही हानि होगी। विभाग को भवन निर्माण की गति को भी तेज़ करना चाहिये।

दूर दूर के स्थानों से टेलीफोन सम्पर्क बनाने में बड़ी कठिनाई होती है जैसे बंगलोर के साथ सम्पर्क करने में मुझे प्रायः कठिनाई का अनुभव हुआ है।

टेलीफोन कनेक्शन देने में जो भी प्राथमिकता निर्धारित की जाती है उसका सख्ती से पालन करना चाहिये और इसमें पक्षपात की गुंजाइश नहीं रहने देनी चाहिये।

बंगलौर में बेतार के तार केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं किन्तु उनके लिए भवन का निर्माण नहीं हुआ।

१९६३-६४ के अन्त तक ६,६०,००० टेलीफोन कनेक्शन देने का लक्ष्य है और टेलीफोन को स्वचालित भी बनाया जा रहा है। यह पद्धति सभी राज्यों की राजधानियों के बीच स्थापित कर देनी चाहिये।

Shri Yajnik (Ahmedabad) : I congratulate the Ministry of Posts and Telegraphs for the progress shown by them. It is good that a separate Ministry has been set up for this Department but the Board of Posts and Telegraphs has not been made an autonomous body.

The employees of the Department have made great contribution for the progress so much so that the revenues have increased from 87 crores to 97 crores of rupees but the report has not made any mention of what has been done for these employees there should be a separate chapter in the annual report to deal with the facilities provided for the employees.

The increase in the dearness allowance of the employees is from Rs. 2 to Rs. 10 which is insufficient. Moreover the trends of dearness have been found from the year 1961 but the increase in the dearness allowance has been made since the year 1945. This increase should be to the extent of Rs. 25.

The provision for the amenities in the houses for the employees were to the tune of rupees 2·29 crores of rupees for the year 1962-63 but for the year 1964-65 it is rupees 1·94 crore. The buildings for the Post offices are in dilapidated conditions especially at Ludhiana and some other places.

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीनहुए }
{ MR. SPEAKER *in the Chair* }

Tuticorin and Bhavnagar are such places where the post office buildings are like black holes.

Only four percent of the employees have been provided with accommodation. The Ministry should take active steps in this direction and should work out a programme for 4 or 5 years at the cost of 10 to 20 crores of rupees.

[Shri Yajnik]

The officers of the Department appear to be very conservative and they do not pay attention to the provision of facilities for the employees. They exhort them to do more work at less remuneration. Moreover these employees are not given the remuneration.

The R.M.S. sorters are to take an annual test and on passing that they are given the annual increament. It is unjustified. No such provision has been laid down in any other Department. It is unjustified when R.M.S. employees are on duty for 36 hours they are given only two rupees as allowance whereas the railway drivers get rupees 18 and the T.T. inspectors get rupees 7. R.M.S. employees should be given at least rupees 7.

The workers union in the Department has been accorded recognition. The report should show what guirievances of the union have been redressed and they should be consulted to solve the problems relating to the employees.

श्री महेश दत्त मिश्र (खंडवा) : मैं इस बात की सराहना करता हूं कि डाक तार विभाग का अलग मंत्रालय बनाया गया। अन्य सदस्यों की इस मांग का समर्थन करता हूं कि इस का बोर्ड भी रेलवे बोर्ड की तरह स्वायत्तशासी बनाया जाए। यह विभाग सारे देश में फैला हुआ है और उस दृष्टि से उसे अलग नहीं किया जा सकता किन्तु इसे स्वायत्तशासी अवश्य बनाना चाहिये ।

इसकी कुशलता के बारे में कुछ शिकायतें हैं जैसे कई बार पत्र पहुंचने के कई घंटे बाद तार पहुंचता है । इनका कारण यही है कि कुछ शर्तें पूरी नहीं की गई । इस विभाग के कर्मचारियों के प्रति उपेक्षा भाव दिखाया जाता है ।

इस विभाग में अन्य सभी विभागों की तुलना में भ्रष्टाचार कम है । हमें इस बात का श्रेय इसे देना चाहिये कि यह अत्यंत ईमानदार विभाग है ।

मध्य प्रदेश में अलग सर्किल बनाना चाहिये और यदि अभी भवन न बनाये जा सकें तो नागपुर में अस्थायी तौर पर विभाग स्थापित करना चाहिये ।

कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए वेतन आयोग ने प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, साज सामान आदि के बारे में सिफारिशें की थीं । प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं अपर्याप्त हैं ।

डाक घरों और तार घरों की संख्या में वृद्धि हुई है, किन्तु अभी सभी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है । २४ घंटे की सेवा आरम्भ कर दी गई है किन्तु यह व्यवस्था अपर्याप्त है । रात्रि के समय काम पर आने वाले कर्मचारियों के लिए सोने की व्यवस्था नहीं है ।

वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार कर्मचारियों को इनाम आदि के रूप में कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता ।

कर्मचारी संघ का सुझाव है कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कार्यकुशलता परिषदें बनानी चाहियें ताकि सरकार और कर्मचारी इस दृष्टि से अपने अपने उत्तरदायित्व का पालन कर सकें ।

मेरा सुझाव है कि कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की स्थापना करनी चाहिये। सेवा स्थिति में भी सुधार होना चाहिये और महंगाई भत्ते में वृद्धि करनी चाहिये।

बजट से पता लगता है कि १० करोड़ रुपये का अधिशेष है। यह विकासशील विभाग है अतः अधिशेष राशि राजस्व में नहीं लानी चाहिये बल्कि विभाग पर ही खर्च होनी चाहिये।

प्रवर पदाली को अधिक पैसे देने चाहियें। इस पर १५ लाख रुपया खर्च होगा और अन्य विभागों की तरह यहां भी खंजाचियो को विशेष भत्ता देना चाहिये। इस पर २५ लाख रुपया खर्च होगा।

अधिक डाक घर और तार घर तो स्थापित करने चाहियें किन्तु कर्मचारियों का कार्य भार नहीं बढ़ना चाहिये। विभाग कर्मचारियों की मांगों की पूर्ति के लिए कार्यशील नहीं है। उसे इस ओर ध्यान देना चाहिये।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : While speaking on the Demands for grants the Ministry of Posts and Telegraphs I have to submit a few words regarding two or three workshops of the Department. The articles sent to these workshops for repair are thrown into dustbins and the Department has to incur a huge loss.

In India there are 45 lakhs of villages which would have 7½ lakhs of gram Panchayats. All these gram Panchayats should have telephone connections.

"Own your telephone" scheme has failed in Delhi. Thousands of applications are lying pending. If the Government is unable to provide telephone connections, they may entrust this work to some consumers Society.

Cases of thefts are on the increase in the Department. Madras has incurred a loss of 13,29,003 rupees.

The Madras Telephone repair workshop repairs the articles of District of Madras only and the articles sent from other places are lying there unattended.

Articles worth of rupees 1.69 lakhs have been sent to Alipur workshop for repairs during the years 1961-62 and 63, but those have not been repaired.

The Delhi workshop Condemned articles worth of 10·5 lakhs of rupees out of the articles sent to them and articles worth of 55000 rupees have only been repaired.

The workshop of Bombay produced 35,000 switch board plugs from 1958 to 1961 and the Department has rejected 2,065 switch Board plugs. This is a net loss of rupees 17,503.

The Jabalpur workshop purchased galvanised tubes from 1961 to 1963 on which an extra amount of rupees 118 lakhs has been spent. Such losses should be avoided.

The R.M.S. compartment attached to the train from Baroda in the Kotah sector is very small. I had made this complaint to Shri Jagjivan Ram who has agreed to redress the grievance. That compartment should be a bigger one.

If on the Baroda Mathura route, the R.M.S. van is attached to the local train, post can reach the villages in time.

The R.M.S. employees are supplied uniforms after three years and the supply of soap to them has been discontinued. The effect of emergency should not tax only these poor employees.

The qualifications for appointment in the Department are Matriculation and even then the Department cannot attract the candidates. The reasons for that are that the employees of the Government have to work hard and remunerations are less.

The rest house for R.M.S. at Kotah not been white wash hased for the last several years.

The building for Posts and Telegraphs in Kotah was constructed several hundred years ago. A new building should be constructed there. I must congratulate you for opening a new R.M.S. office at Kotah. The repair shows that every where there is dirth of employees. There number should be increased.

डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : मैं वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों का आभारी हूं और विभाग के कार्यों के बारे में कुछ बातें बताऊंगा।

तीसरी योजना के लिए नियत ७७.६ करोड़ रुपये में से ५६ करोड़ रुपया १९६३-६४ के आखिर तक खर्च किया जा चुका है और आशा है कि लक्ष्य की पूर्ति हो जायेगी। कुल २३,००० डाकघर खोले जाने थे जिनमें से १२,९६६ डाकघर खोले जा चुके हैं।

डाक की वस्तुएं २३ करोड़ से बढ़ कर ५४ करोड़ हो गई हैं और डाकघरों की संख्या २२,११६ से बढ़ कर ९२,२३९ हो गई है। इस समय ९० प्रतिशत डाकघर देहाती क्षेत्र में हैं नये कार्यक्रम के अनुसार पिछड़े हुए क्षेत्रों में डाकघर खोलने पर बल दिया जायेगा। प्रयोगात्मक डाकघरों पर दूसरी योजना में १,७९,४६,७२२.६३ नये पैसे रुपये और तीसरी योजना में १,२७,९०,८७७.८५ नये पैसे रुपये की हानि हुई है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

डाक सेवाओं में अभी बहुत सुधार की आवश्यकता और गुंजाइश है। अभी ८,००० गांवों में एक सप्ताह बाद डाक पहुंचती है। २७२ गांवो में डाक नहीं पहुंचती। ये कमियां तीसरी योजना में पूरी हो जायेंगी।

डाक की वस्तुयें गलत पते पर न जायें इसके लिए पर्यवेक्षण कर्मचारी बढ़ाये जा रहे हैं और इस वर्ष २,८५,८१ शिकायतों में से ७५,१२१ का निपटारा हो चुका है।

बचत बैंक की सुविधाओं का विस्तार किया गया है। धोखेबाजी के मामलों की संख्या बहुत ही कम है अर्थात् ०.५ प्रतिशत है।

डाक अनुसन्धान केन्द्र अक्तूबर, १९६२ में स्थापित किया गया था। इसके द्वारा चलाई गई योजनाओं में एक सफदरजंग हवाई अड्डे पर हवा द्वारा डाक छांटने का यंत्र और लेखन-सामग्री बेचने के लिए सुराख वाली मशीनें हैं।

टेलीफोन के मामले में भी हमने काफी प्रगति की है। प्रथम योजना, के आरम्भ में देश भर में १,६८,४०० टेलीफोन थे, १९६३ में कुल मिलाकर यह संख्या ६,४८,७८९ हो गयी। तीसरी योजना के अन्त तक यह संख्या ८ लाख हो जायेगी। तीसरी योजना में २,५०,००० टेलीफोनों की व्यवस्था है। लगभग १२०० एक्सचेंज खोले जायेंगे। १,८३,८४० टेलीफोन लगाये जा चुके हैं और ५९२ नये एक्सचेंज खोले जा चुके हैं। इतना होने पर भी २.४ लाख लोग अभी प्रतीक्षा सूची पर हैं जिनकी ओर से टेलीफोन लगाये जाने की मांग है। इस कार्य का जैसे जैसे सम्भव होगा विस्तार किया जायेगा, और चौथी योजना के अन्तर्गत और बड़ी योजना बनाना सम्भव हो सकेगा। इस बारे में सब से बड़ी कठिनाई यह कि सामान और स्टोर काफी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। विदेशी विनिमय की भी कठिनाइयां हैं। इस पर भी इस सेवा में समुचित सुधार करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। देश के महत्वपूर्ण नगरों को आपस में मिलाने का पूरा प्रयत्न किया गया है। आई० डी० एस० ऋण के अन्तर्गत सामान के आयात से कठिनाई कुछ कम हो गयी है। ट्रंक काल की क्षमता औसत से ७८ प्रतिशत है। "कोक्सियल" केबल सिस्टम तथा 'सब्सक्राइबर डायलिंग सिस्टम' के चालू होने की दिशा में भी प्रगति होने की पूरी सम्भावना है। इस समय इसी 'सिस्टम' के द्वारा ही भारत के सभी प्रमुख नगरों को मिलाया जा रहा है। यह कार्य कुछ तो तीसरी योजना के अन्त तक और कुछ चौथी योजना के अन्तर्गत सम्भव हो सकेगा।

योजना के प्रथम तीन वर्षों में ६५१ तार कार्यालय खोले गये हैं। १९६३ तक यह संख्या ७६९० हो गयी थी। १९४७–४८ में जो क्षमता २४.६५ थी वह १९६२–६३ में ४०.६५ थी। यह निर्णय किया गया है कि सभी विकास खंडों के प्रमुख कार्यालयों के स्थानों पर तार की सुविधायें उपलब्ध की जाय। इसके अतिरिक्त उन स्थानों पर भी यह सुविधा हो, जहां कि पुलिस स्टेशन हो। तीसरी योजना के अन्तर्गत लगभग १०० ऐसे स्टेशन खोले जा चुके हैं। गत कुछ वर्षों में इस सेवा में काफी सुधार हुआ है तथा केवल १.०३ प्रतिशत तारों को डाक द्वारा भेजना पड़ा है,। "टैलेक्स" सेवा, दिल्ली, मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता में उपलब्ध है। भारत इस समय ४२ देशों के साथ 'टैलेक्स' द्वारा पूरी तरह से मिला हुआ है। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि तीसरी योजना के अन्त तक २२ नये टेलीप्रिंटरों का काम आरम्भ हो जायेगा। 'हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लिमिटेड' के कार्यक्रम का टेलीप्रिन्टरों की कमी के पूरा करने के विचार से विस्तार किया जा रहा है। आशा है कि हिन्दी के टेलीप्रिन्टरों का वर्ष १९६५ तक निर्माण हो जायेगा और यह सेवा भी चालू हो जायगी।

भारत के अन्तर्राष्ट्रीय संचार सेवा के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि भारत २५ देशों से प्रत्यक्ष रेडियो फोटो सेवा द्वारा / दूर संचार अनुसंधान केन्द्र ने स्वदेशी निर्माण के डिजाइन तैयार करने के काम में अच्छा योग दिया है तथा नई तकनीकी प्रणालियों और विद्यमान आस्तियों से पूरा पूरा लाभ उठाने में भी डाक तथा तार विभाग की वर्कशापों में उत्पादन अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक निर्धारित लक्ष्य से २५ प्रतिशत अधिक बढ़ जायेगा। "इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्री" लाख रुपये के सामान का निर्यात कर सकेगा। विल्जियम के "बैल टेलीफोन मेनुफैक्चरिंग कम्पनी" से "टेलीफोन स्विचों" की "क्रासबार" प्रकार के क्रय के सम्बन्ध में करार काफी सोच विचार तथा विश्व बैंक, योजना आयोग वैदेशिक कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उद्योगों तथा मंत्री मण्डल की उपसमिति के साथ परामर्श से किया गया है।

प्रशिक्षण का कार्य विभाग स्वयं करेगा। वैसे तो विभाग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की काफी सुविधाएं हैं। देश में विभिन्न स्थानों पर काफी प्रशिक्षण केन्द्र काम कर रहे हैं।

[श्री भगवती]

विभिन्न सर्कलों में कई ट्रेनिंग क्लासें खोली गई हैं। "रिफ्रेशर" पाठ्यक्रम का भी उपबन्ध है। दक्षिण और पूर्वी के लिए गृह प्रशिक्षण केन्द्रों की भी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। प्रतिरक्षा के कार्यों में भी विभाग ने काफी शानदार ढंग से सहयोग किया है। प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में प्रत्येक मांग को पूरा किया गया है।

इस बात को सुनिश्चित करने के उपाय हो रहे हैं कि डाकघरों तथा आर एम एस के लिये अधिवास कम है। उसके बारे में कार्यवाही की जा रही है। कई इमारतें बनाई जा चुकी हैं तथा कई निर्माणाधीन हैं। कुछ सुनिश्चित करने के प्रयत्न भी हो रहे हैं कि विभाग के कर्मचारियों के लिए निवास स्थान की सुविधा उपलब्ध हो। गृह-निर्माण के लिए आवंटित ३ करोड़ की राशि में से १ करोड़ रुपया निवास स्थानों के लिए व्यय हो चुका है। निवास के मकानों के लिए भी योजना बनाई जा रही है। तीसरी योजना के अन्तर्गत प्रथम दो वर्षों में क्वार्टरों की व्यवस्था की गयी है। चालू वर्ष में १००० और तैयार हो जायेंगे। १९६४–६५ का लक्ष्य १२०० है। योजना के अन्त तक यह संख्या १३,५०० हो जायेगी। इसके अतिरिक्त और भी मकान बनाने इत्यादि बिभागीय समिति सारे काम का पुनरीक्षण कर रही है।

कर्मचारियों के लिए अनेक कैन्टीनें, औषधालय तथा सहकारी सोसाइटियां स्थापित की गई है। पांच अवकाश स्थानों के अलावा ९ और की स्थापना का विचार है। विभाग के कर्मचारियों को अन्य सुविधायें, जैसे छात्रवृत्ति और शिक्षा वृत्ति भी दी जा रही है। अधिक समय काम करने के भत्ते के संबंध में एक नई योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी संख्या को, यह भत्ता जो अभी नहीं मिलता, मिलने लगेगा।

हम अपने कार्यों के बारे में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के मंत्रियों से भी परामर्श करते रहते हैं। हमारे कुल कर्मचारियों की संख्या ४२७,०२९ है। इन में २१३४ गजेटेड अधिकारी हैं। और यह बड़े ही सन्तोष की बात है कि हमारे सम्बन्ध कार्मिक संघों से बहुत अच्छे हैं। हम उन के प्रतिनिधियों से समय समय पर परामर्श लेते रहते हैं। लोगों को हर बात से सूचित करने के लिए विभाग का प्रचार कार्य भी काफी अच्छी तरह चल रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मंत्रालय ने अच्छा काम किया है, इसके लिए मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। डाक और तार के बांड के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि उसका कार्य ऐसा है कि कभी कभी व्यक्तिगत सदस्यों की सुविधायों के उपयुक्त पदों का निर्माण कर दीया जाता है। मेरा निवेदन है कि पदों के निर्माण का उत्तरदायित्व तो केवल सदस्य (प्रशासन) पर होना चाहिए। और मेरा विनम्र सुझाव यह है कि अन्य सदस्यों को उस में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

अब मैं कार्यकुशलता के प्रश्न को लेता हूं। मैं यह नहीं कहता कि कर्मचारी और अधिकारी अपने काम में कुशल नहीं है किन्तु समूचे रूप से देखा जाए तो विभाग का काम कौशलपूर्ण नहीं है।

डा० रानेन सेन के प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि बेल कम्पनी ने ट्यूनेशिया में जासूसी का कोई काम नहीं किया किन्तु साथ ही अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कह दिया कि उसके विरुद्ध कुछ आरोप थे। हमें पाकिस्तानी और चीनी जासूसों का खतरा है। भला ऐसी स्थिति में इस प्रकार की कम्पनी के साथ करार क्यों किया जा रहा है?

इस कम्पनी के साथ सौदा करने से हमें ५० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि भी हो रही है। भले ही हमें टेलीफोनों की अत्यधिक आवश्यकता है किन्तु हमें गलत योजना से आवर्तक हानि नहीं उठानी चाहिये।

कानपुर, जबलपुर, नागपुर जिन स्थानों पर भी मैं गया हूं मैंने देखा है कि कर्मचारियों की बहुत कमी है। डाक महाप्रबंधक को जब भी इस बारे में लिखा गया है उन्होंने कहा है कि आवश्यक कार्यवाही की जा रही है किन्तु कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई। डाकघरों मे कार्य बहुत बढ़ गया किन्तु कर्मचारी संख्या में कम होते हुए भी सराहनीय काम कर रहे हैं। अतः उनकी संख्या बढ़ाना आवश्यक है।

रेल डाक सेवा के कर्मचारियों के समक्ष दो समस्याएं हैं एक तो उन्हें स्टेशन से बाहर जाने पर जो भत्ता दिला जाता है वह १९४८-४९ में निर्धारित किया गया था जब निर्वाह व्यय बहुत कम था। इसमें संशोधन करना चाहिये।

डाक छांटने वालों को हर वर्ष वेतन वृद्धि के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। वे लोग २०, ३० वर्ष से काम कर रहे है और कुशल हैं अतः इस परीक्षा की प्रथा को तुरंत समाप्त कर देना चाहिये।

लाइनमेन कर्मचारियों ने चीनी आक्रमण के समय आशातीत काम किया है और उनका काम बिना किसी संदेह के प्रवीणता का काम है किन्तु उन्हें प्रवीण कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता। उन्हें प्रवीण कर्मचारियों की श्रेणी में रखना चाहिये।

महंगाई भत्ते के बारे मे मेरे माननीय मित्र ने पहले ही कहा है कि २, ५ या १० रुपये की वृद्धि निरर्थक है।

अनिवार्य जमा के पैसे कर्मचारियों को तुरंत लौटा देने चाहिये। इस विभाग में महिलाएं बड़ी संख्या में नौकरी कर रही हैं। करनूल की श्रीमती लक्ष्मी की ओर से विभाग के एक उच्च अधिकारी श्री रहीमउद्दीन अहमद के काम पत्रों से पता लगता है कि विभाग में धूर्त लोग भी काम करते हैं।

श्री अ० कु० सेन : मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ऐसा व्यक्तिगत मामला मुझे भेज दें ताकि मैं उसकी जांच कर सकूं?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें यह मामला पहले माननीय मंत्री को भेजना चाहिये था और यदि उन्हें उचित उत्तर न मिलता तो वह इस मामले को यहां उठा सकते थे।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा यही निवेदन है कि इस अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। मैं यह मूल पत्र माननीय मंत्री को भेज दूंगा।

श्री अ० कु० सेन : उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है।

श्री ब० कु० दास (कंटाई): उपमंत्री ने विभाग के विभिन्न कार्यों पर प्रकाश डाला है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

[श्री व० कु० दास]

वित्त के मामले में यह विभाग रेलवे मंत्रालय की पद्धति को अपना रहा है और तीन विनियोग निधियां बनाई हैं, जैसे नवीकरण प्रारक्षित निधि, विकास निधि और राजस्व प्रारक्षित निधि। वास्तव मे राजस्व प्रारक्षित निधि की कोई आवश्यकता नहीं है और अब तक इसमें लगाया गया ५ करोड़ रुपया विकास निधि में लगाया जा सकता है।

विकास निधि के प्रयोजन स्पष्ट होने चाहियें। चालू वर्ष में इस निधि में ७५ लाख रुपये की कमी हुई है जोकि न्यायोचित नहीं है। इस निधि को १९६०–६१ में १ लाख रुपये से आरम्भ किया गया था और केवल १९६३–६४ में इस पर २५० लाख रुपया खर्च किया गया था। इस निधि से समय पर समय वस्तुएं बदलने का खर्च भी पूरा होना चाहिये। आशा है कि इसका ध्यान रखा जायेगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

न्याय प्रशासन में पुनर्वास मंत्रालय के हस्तक्षेप के बारे में पंजाब उच्च न्यायालय का निर्णय

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बेरकपुर): पुनर्वास मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया है कि पंजाब उच्च न्यायालय ने दो परिस्थितियों के आधार पर निर्णय किया है एक तो यह कि प्रादेशिक निबटान आयुक्त ने ९ सितम्बर, १९६० को बिक्री पत्र इस्तेमाल न करने का गुप्त आदेश दिया था और दूसरे उन्होंने निबटान उप-मुख्यायुक्त को कारण पूछने की प्रारूप सूचना भेजी कि वे उस पर हस्ताक्षर कर के प्रबंन्ध अधिकारी हैदराबाद को भेज दें। मंत्री महोदय कहते हैं कि विधि मंत्रालय ने २० सितम्बर को उन्हें परामर्श दिया था और तब यह कार्य किया गया था किन्तु सच तो यह है कि ८ सितम्बर को गुप्त आदेश भेज दिये गये थे। यह सब श्री धर्मवीर के नाम त्यागी जी के पत्र के बाद ऐसा हुआ था

निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : स्थिति यह है कि हमने यह सम्पत्ति एक शरणार्थी को १९५८ में ३ लाख रुपये पर अस्थायी तौर पर दी थी। ये श्री मंगाराम थे जिन्होंने ३,३०००० रुपये की बोली दी थी। कानून के अनुसार उन्हें यह सम्पत्ति दो साल रखने का अधिकार था जबकि अब ६, ७ वर्ष हो गये हैं और हम इस सम्पत्ति को नीलामी में बोली जीतने वाले को नहीं दे सके। मैं विभाग मे काम करने वाले सभी अधिकारी अर्द्ध न्यायिक हैं जैसा कि उच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया है। विधि मंत्रालय से हम विभिन्न प्रक्रमों मे सलाह लेते रहे हैं। हमें यह सलाह दी गई थी कि यदि नीलामी खरीदने वाले बिक्री पत्र दे तो उसमें दो वर्ष और लग जायेंगे।

हमें माननीय सदस्यों से कई प्रकार के पत्र आते रहते है किन्तु प्रश्न है कि क्या उनके प्रभाव में हम कोई गलत काम करते हैं और न्यायाधिपति ने स्वयं कहा है कि जहां तक मेरा और मेरे सचिव का सम्बंध है हम किसी के पत्र से प्रभावित नहीं हुए।

श्री काशी राम गुप्त (अलवर): क्या वे इस बात की जांच करेंगे कि जब श्री त्यागी मंत्री थे तो नीलामी खरीदने वाले ने उन्हें अपना वायदा पूरा करने के लिए लिखा था। क्या संसद् सदस्य होते हुए वे सम्बन्धित अधिकारी को इस प्रकार के पत्र लिख सकते हैं।

श्री मेहर चन्द खन्ना : उन्होंने अधिकारियों को नहीं बल्कि मुझे पत्र लिखे थे। वे जब कांग्रेस सम्मेलन में हैदराबाद गये तो वे शरणार्थी उनसे मिले थे और मुझे मंत्री होने के नाते खेद है कि उस व्यक्ति ने हमें ३½ लाख रुपये दे रखे है और मैं उन्हें सम्पत्ति नहीं दिला सका।

श्री ह० प० चटर्जी (नवद्वीप): माननीय मंत्री इस बात का क्या प्रायश्चित करने के लिए तैयार है कि उच्च न्यायालय का निर्णय है कि उन्होंने किसी के दबाव से ऐसा किया है?

अध्यक्ष महोदय : वे इसका उत्तर दे चुके हैं कि उन्होंने किसी के प्रभाव से ऐसा नहीं किया।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): क्या माननीय मंत्री यह समझते हैं कि यह पत्र साधारण है या विशेष और विधि मंत्रालय ने क्या सलाह दी थी तथा नीलामी के खरीदार को सम्पति दिलाने का क्या उपाय बताया था ?

श्री मेहर चन्द खन्ना: विधि मंत्रालय ने सलाह दी थी कि जिस व्यक्ति के पास सम्पत्ति है उसे २ साल के लिए दी गई थी अत: अधिक सुरक्षित उपाय यह है कि खरीदार को कोई बिक्री पत्र न दिया जाए और मंगाराम को यह कारण बताने की सूचना दी जाए कि अक्तूबर, १९६० के मध्य से सम्पति उन के नाम से हटा कर खरीदार को क्यों न दी जाय और बाद में उसे बेदखल कर दिया जाय।

यह पत्र किसी तरह विशेष नहीं था। ऐसे पत्र मुझे प्राय: आते रहते हैं।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnaur) : Both the members of Parliament who have been mentioned here were no party to the case and they were not given chance to defend themselves.

Shri Mehr Chand Khanna : That is true. They were involved simply for reminding me.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह सिद्ध हो गया है कि दिनांक २८ सितम्बर, १९६० को प्रथम सूचना प्रादेशिक निबटान आयुक्त ने विधि मंत्रालय की हिदायत पर तैयार कर के प्रबन्धक अधिकारी को दी थी और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बेदखली के आदेश को रद्द कर दिया था। क्या वकील की राय पुनर्वास मंत्रालय को भेजी जाती है या श्री त्यागी के द्वारा उन्हें भेजी जाती है। क्या यह सामान्य रीति है और सदस्य इस प्रकार उन्हें लिख सकते हैं?

श्री मेहर चन्द खन्ना : इन पत्रों का उद्देश्य यही है कि खरीदार को सम्पति लौटाई जाए। मैंने इस सम्बन्ध में स्पष्ट वक्तव्य दिया है। आंध्र प्रदेश न्यायालय ने यही निर्णय दिया था कि अफरी सम्पत्ति ली जा सकती है किन्तु उससे स्पष्टीकरण मांगें बिना सम्पति लौटाने के लिए नहीं कहा जा सकता। उन्होंने यह भी कहा था कि इस निर्णय पर अपील की जा सकती है।

[श्री मेहरचन्द खन्ना]

यदि किसी सदस्य ने यह चिंता प्रकट की कि न्याय किया जाए और शरणार्थी को सम्पत्ति लौटाई जाए तो इस में कोई अनुचित बात नहीं । इस सम्बन्ध में मुझे प्राय: पत्र आते रहते हैं ।

मैं विधि मंत्रालय का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यह सलाह दी । इस विधि में एक असाधारण स्थिति का सामना करना पड़ता है और आवश्यकता यह है कि विस्थापित व्यक्तियों को संक्षिप्त न्याय प्रक्रिया द्वारा सहायता दी जा सके ।

Shri Prakash Vir Shastri : The Hon. Speaker may guide us whether on receipt of a complaint from ta grieved person the membei of Pailiament dan approach the Minister.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जो व्यक्ति ३½ लाख रुपया दे सकता है वह न्यायालय में जा सकता है । किन्तु इस मामले में मंत्रालय में विभागीय तौर पर दबाव डाला है ।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : माननीय सदस्या भी तो इस समस्या को यहां इसलिए लाई है कि किसी ने उन से इसकी प्रार्थना की है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: किसी ने मुझ तक पहुंच नहीं की । मैं ने "टाइम्स आफ इंडिया" में निर्णय पढा है । मुझे इस प्रकार के आरोप से सुरक्षित किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : इस में कोई आरोप नहीं है । सदस्यों को बाहर से सूचना मिलती ही है । इस में कोई हर्ज नहीं कि लोग सदस्यों के पास अपनी शिकायत ले जाएं और सदस्य अपने कर्तव्य का पालन करें ।

अनुदानों की मांगें—जारी

डाक और तार विभाग—जारी

श्री ब० कु० दास : प्राक्कलन समिति ने यह भी कहा है कि निधि की राशि इतनी नहीं रही जितनी पूंजीगत विनियोग में वृद्धि हुई है । अत: आशा है कि विधि की नियमन इस रीति से किया जाए ।

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुए ।]

[SHRI KHADILKAR *in the Chair*]

माननीय उपमंत्री ने बताया कि पिछड़े इलाकों में २०० और नये डाकघर खोले जाने हैं और पहले हो उन्हें इन पर १ करोड़ रुपये की हानि हो रही है । किन्तु फिर भी सरकार को लम्बे सोमान्त प्रदेश की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये जहां पाकिस्तान का खतरा है और शरणार्थियों की समस्या है । वहां की विधि तथा व्यवस्था के लिए अधिक संचार सुविधाओं की आवश्यकता है ।

गांवों में दिसम्बर, १९६३ तक १२०६१ डाकघर खोले जा चुके हैं किन्तु ग्रामीण अधिकाधिक सुविधाओं के लिये आतुर हैं ।

बहुत अलग अलग क्षेत्रों में इस सिद्धांत में संशोधन की आवश्यकता है कि ३ मील की दूरी पर डाकघर होना चाहिये क्योंकि वहां सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं ।

खण्ड मुख्यालय और थाना मुख्यालय को तारघरों से मिलाने के निर्णय के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिये कि जहां ५००० की आबादी भी हो वहां भी इन सुविधाओं की व्यवस्था की जाए ।

उत्तरी खण्ड और पश्चिमी खण्ड के दो प्रशिक्षण केन्द्रों के अलावा डायमंड हार्बर और सरसा में भी केन्द्र खोलने चाहियें ।

विभागातिरिक्त कर्मचारियों की संख्या १,५७,६७६ है जो बहुत बड़ी है उन्हें भी कल्याण की सुविधाएं देनी चाहिये ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को प्रशिक्षण के लिये अलग अलग राज्यों में अलग अलग छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। उन में सुधार होना चाहिये ।

सभापति महोदय : वे अपना भाषण कल जारी रखें ।

[इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार, २६ मार्च, १९६४/६ चैत्र, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।]

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Thursday the 26th March, 1964/Chaitra 6, 1886 (Saka)]

२६८९
GMGIPND—LS III—234(Ai)LS —16-6-64—600